

**JOINT COMMITTEE INSPECTION REPORT**  
**IN THE MATTER OF:**  
**Original Application No.30/2026 (CZ)**  
**TUSHAR DWIVEDI V/S STATE OF MP & ORS.**  
**Hon`ble National Green Tribunal Central Bench**  
**Bhopal Order Dated: 30.02.2026**



**Date of visit: 18/03/2026**  
**Location- Satna M.P**

**46**  
**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL,**  
**ORIGINAL APPLICATION NO. 30/2026**

**INDEX**

<b>S. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Annexure</b>	<b>Page No.</b>
1.	Joint Committee Inspection Report.		1-10
2.	Nomination of officials from concerning departments	1	11-18
3.	Letter regarding joint visit	2	19
4.	Attendance sheet of the participants on the day of joint inspection.	3	20
5.	“ <b>Sthal Panchnama</b> ” on dated 18/03/2026 during joint visit.	4	21
6.	Mining Department letter dated 09/04/2026	5	22-23
7.	Mining Department letter no. 49/2019 dated 09/01/2020	6	24-25
8.	Mining lease document	7	26-41
9.	Divisional Forest officer Satna letter no 12994 dated 14/12/2017	8	42-52
10.	Environment clearance from SEIAA	9	53-57
11.	Mining Plan dated 27/08/2020	10	58-61
12.	Mining department order no.36 dated 01/12/2021	11	62-64
13.	Mining department order no. 1021 dated 26/07/1999	12	65-91
14.	Consent to operate dated 24/12/2021 & CCA renewal dated 12/01/2023.	13	92-103
15.	Forest department letter no. 977 dated 23/04/2026.	14	104-127
16.	Photographs taken during joint inspection.	15	128-130

Date

Place: Bhopal

Submitted by MPPCB: -

through Counsel

  
Adv. Parul Bhadoria

Ph. No.: (+91)-8085977111;

Email: [parul.bhadoria04@gmail.com](mailto:parul.bhadoria04@gmail.com)

**REPORT OF THE JOINT COMMITTEE CONSTITUTED BY HON'BLE  
NGT (CZ) IN THE COMPLIANCE OF ORDER DATED 30-02-2026, IN OA  
NO. 30/2026 RAMESH SINGH VS STATE OF M.P. & ORS**

1. Hon'ble NGT (CZ), Bhopal in OA No. 30/2026 vide its order dated 30/02/2026 in the matter of "Tushar Dwivedi Vs State of Madhya Pradesh & Ors" directed as follows :-

*"1. The present Original Application has been filed under Sections 14, 15 and 18 of the National Green Tribunal Act, 2010, raising a substantial question relating to the environment, forest protection arising out of continuous illegal stone mining, illegal blasting, and mining inside forest land around Village Ramnagar, Tehsil Rampur Baghelan, District Satna, Madhya Pradesh, respondent no 9 are continuously carrying out mining beyond the sanctioned lease area, including forest land and adjoining private lands, without any valid Environmental Clearance, Consent to Operate, or permission under the Forest Conservation Act, 1980.*

*2. The illegal mining operations are accompanied by unlawful blasting using heavy machinery and explosives, causing excessive vibration, cracks in houses, severe noise pollution, and endangering human life and livestock. The Applicant raised this issue before authority and has been repeatedly threatened with dire consequences, including threats to life, for raising objections against the illegal mining.*

*3. It is further alleged that heavy mining vehicles are being illegally routed through PWD/public roads, despite the mining plan specifying a separate approach road. This has resulted in extensive damage to public infrastructure, increased dust pollution, and serious risk to school-going children and local residents. The use of public roads itself demonstrates that mining is being carried out outside the permitted lease area.*

*4. A substantial issue of environmental has been raised.*

*5. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.*

*7. We also deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application from a joint Committee consisting of:*

- i. One representative from the Collector District Satna (M.P).*
- ii. One representative from the DFO Satna (M.P).*
- iii. One representative from the Member Secretary Madhya Pradesh Pollution Control Board (M.P.).*

8. *The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within four weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.”*

## 2. Constitutions of Committee:-

In compliance of the order dated 30.02.2026 the following officers from Concerned departments were nominated for the Joint Committee:-

S. No	Name of Department	Name of Committee Member
1.	One representative from Collector District Satna (M.P).	Shri Sujeet Nagesh Tahsildar , Rampur Baghelan District - Satna (M.P.).
2.	One representative from District Forest officer Satna (M.P).	Shri Shubham Dubey Range Forest Officer Satna (M.P.)
3.	One representative from State Pollution Control Board (M.P.).	Shri Sudhanshu Tiwari Regional Officer MPPCB Regional Office, Satna (M.P.)

The copies of the nomination letters are enclosed as **Annexure—1**.

## 3. Date of inspection:-

The MPPCB Being the Nodal Agency in this matter, coordinated with all the concerned departments and fixing the date of site visit and it was conducted on 18/03/2026 at Village – Ramnagar Tahsil- Rampur Baghelan, District – Satna (M.P.).

## 4. Inspection of the joint committee :-

That prior to the site visit, an on-site meeting of all Committee Members was convened at Village Ramnagar District - Satna, (M.P). The information was given to the complainant Mr. Tushar Dwivedi and respondent no.-9 vide letter No.2091 dated 16/03/2026. The copy of this letter is enclosed as **Annexure-2**. The following officers/person were present during the inspection:-

- i. Shri Sujeet nagesh, Tahsildar, Rampur baghelan, District - Satna (M.P.)
- ii. Shri Shubham dubey, RFO Satna, Forest Division, Satna District - Satna (M.P.)
- iii. Shri Sudhanshu Tiwari, Regional Officer, MP PCB Regional Office, Satna (M.P.)
- iv. Shi H.P. Singh, mining officer District - Satna (M.P.)
- v. Respondent no.09 – Shri Ambuj Dwivedi and Others.

The Attendance sheet prepared during inspection is enclosed as **Annexure--3.**

This report is being filed by the aforementioned Joint Committee after conducting the field visit on 25/02/2026. The **Sthal Panchnama** attached as **Annexure--4.**

## **5. Background and Specific Issues in this matter:-**

The present Original Application has been filed under Sections 14, 15 and 18 of the National Green Tribunal Act, 2010, raising a substantial question relating to the environment, forest protection arising out of continuous illegal stone mining, illegal blasting, and mining inside forest land around Village Ramnagar, Tehsil Rampur Baghelan, District Satna, Madhya Pradesh, respondent no 9 are continuously carrying out mining beyond the sanctioned lease area, including forest land and adjoining private lands, without any valid Environmental Clearance, Consent to Operate, or permission under the Forest Conservation Act, 1980.

The illegal mining operations are accompanied by unlawful blasting using heavy machinery and explosives, causing excessive vibration, cracks in houses, severe noise pollution, and endangering human life and livestock. The Applicant raised this issue before authority and has been repeatedly threatened with dire consequences, including threats to life, for raising objections against the illegal mining.

It is further alleged that heavy mining vehicles are being illegally routed through PWD/public roads, despite the mining plan specifying a separate approach road. This has resulted in extensive damage to public infrastructure, increased dust pollution, and serious risk to school-going children and local residents. The use of public roads itself demonstrates that mining is being carried out outside the permitted lease area.

**6. Factual Status Report of the Issues raised in petition: -**

(A) As per report submitted by the Mining Department satna **Annexure--5**

- I. A mining lease was granted to Mr. Ambuj Dwivedi (S/o Mr. Manoj Kumar Dwivedi) for an area of 2.000 hectares at Khasra No. 1289/1344/1/G/1, Village Ramnagar, Tehsil Rampur Baghelan, via an order dated 09.01.2020. The lease period is from 29.07.2020 to 28.07.2030. According to the Forest Divisional Officer's letter dated 14.12.2017, 0.182 hectares of the sanctioned area lies within forest limits, 132 meters from the boundary of Forest Compartment R.F. 759. While fencing and RCC pillars were found on-site, no plantation (tree planting) was observed around the lease area. **Annexure—6, 7, 8.**
- II. Conditional environmental clearance was granted to the leaseholder by M.P. SEIAA, Bhopal, on 24.03.2021.
- III. Fencing and RCC pillars were found, but no plantation was found around the sanctioned lease (Photographs attached.)
- IV. During joint inspection it was found that No any crusher is installed in the sanctioned area.
- V. Mining is being carried out according to the approved mining plan.
- VI. According to the approved mining plan, excavation work can be done up to 06 meters. It is mandatory to inform the DGMS (Directorate General of Mines Safety) for excavation beyond 06 meters.
- VII. Demarcation was carried out by the Tehsildar of Rampur Baghelan at the time of land entry. Subsequently, land entry permission was granted via the Collector Satna's order dated 01.12.2021. **Annexure—9, 10, 11.**

- VIII. No plantation (tree planting) was found around the mining lease area. RCC pillars and fencing were found around the site. No encroachment or illegal mining was found on forest land.
- IX. As per the terms of land entry, the leaseholder has installed RCC pillars and fencing. No illegal excavation was found on forest land.
- X. The divisional committee marked a distance of 132 meters from the boundary of Forest Compartment R.F. 759, where the joint team found no encroachment or illegal mining.
- XI. According to the Sub-Divisional Officer's (SDO) report regarding land entry, there are no water bodies within a 500-meter radius. As per rules, the lease was sanctioned leaving a 100-meter distance. No water bodies exist within this 100-meter periphery.
- XII. No encroachment or illegal mining was found on forest land. Previously, a limestone lease was sanctioned to Mr. Brijkishore Dwivedi for 5 years starting 05.09.1999 on 8.85 acres of land near Khasra No. 1289/1344/G. **Annexure—12.**
- XIII. Environmental clearance was granted by M.P. SEIAA, Bhopal, on 24.03.2021. Investigations and actions regarding illegal mining complaints are conducted by the Mining Inspector, Satna.
- XIV. No crusher is installed in the sanctioned area. The leaseholder obtained the Consent to Operate (CTO) from the Madhya Pradesh Pollution Control Board on 24.12.2021. Which is valid up to 05/12/2027 **Annexure—13.**

**B. As per report submitted by the Forest Department Satna Annexure—14**

- XV. In point no.-05 Petitioner complaint that respondent no. 09 has carried out mining operations without proper boundary demarcation, has illegally encroached into the adjoining forest area.

For above complaint team of revenue department and forest department conducted Joint survey (सीमांकन), there is no excavation in forest land area near by the sanctioned lease of respondent no. 09 ([Annexer-01 survey report](#)).

- XVI. In point no.-07 Petitioner complaint that respondent no. 09 has illegally encroached forest area under compartment No. 01, Kacch Karmank RF-759 for mining operations

For above complaint team of team of revenue department and forest department conducted Joint survey (सीमांकन). There is no encroachment found in forest land area near by the sanctioned lease of respondent no. 09 ([Annexure-01a survey report](#)).

- XVII. In point no.-09 Petitioner complaint that respondent no. 09 (Annexure A-6) Petitioner complaint that respondent no. 09 remove 100mtr. Plantation fence.

Above complaint is totally wrong, according to records available of plantation 100 hectare in RF-759 Beet Janardanpur (2016-17 to 2020-21), there is no provision of fence in sanctioned project and also not in measurement book of that project. ([Annexure-02a](#))

- XVIII. In point no.-09 Petitioner complaint that respondent no. 09 mine in forest land depicted in photographs annexure-A-7 page 34 to 41

After examine block map of RF-759 and survey report of joint inspection of team of revenue department and forest department (सीमांकन) GPS given in annexure-A-7 page 34 to 41 are outside the forest boundary. ([Annexure-03a](#))

## **C. Reply on behalf of Madhya Pradesh Pollution Control Board**

It is respectfully submitted that the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory authority entrusted with the responsibility of prevention and control of pollution and enforcement of environmental norms. The Board has examined the matter based on records, inspection reports, and inputs received from concerned departments.

### **XIX. Reply to Para 1 of the OA**

- The mining lease has been granted by the competent authority and Environmental Clearance (EC) has been issued by SEIAA.
- The project proponent has also obtained Consent to Operate (CTO) from MPPCB, which is valid up to the prescribed period.
- As per joint inspection conducted by concerned authorities, no mining activity has been found outside the sanctioned lease area, and no encroachment into forest land has been observed.

### **XX. Reply to Para 2 of the OA**

- That the allegations regarding illegal blasting, excessive vibration, and damage to houses are not substantiated by any inspection report available with the Board.
- No such violations have been recorded during inspections.
- However, the project proponent is required to strictly adhere to environmental norms and conditions prescribed in EC and CTO.

### **XXI. Reply to Para 3 of the OA**

That the allegations regarding use of public roads, damage to infrastructure, and dust pollution the project proponent is required to ensure:

- Proper transportation management
- Dust suppression measures
- Compliance with conditions of Environmental Clearance

**XXII. Reply to Para 4 of the OA**

- That the issue relating to environmental concerns has been examined.
- As per available inspection reports, no major environmental violation has been observed.

**XXIII. Plantation / Green Belt Development**

During inspection, it was observed that no plantation (tree plantation) has been carried out in and around the lease area.

This indicates non-compliance / inadequate compliance of green belt development conditions prescribed under Environmental Clearance.

**XXIV. Boundary Demarcation-** RCC pillars and fencing have been found on site, indicating proper demarcation of lease area.

**XXV. Forest Land & Encroachment** - No encroachment or illegal mining has been found on forest land as per joint inspection.

**XXVI. Crusher Installation-** No crusher unit has been found installed within the lease area.

**7. Conclusion:** - Based on inspection dated 18/03/2026:

- i. The major allegations regarding illegal mining, forest encroachment, and absence of statutory permissions are not substantiated based on Joint inspection and available records.
- ii. However, it has been observed that the project proponent (Respondent No. 09) has not carried out adequate plantation/green belt development, which is a violation of environmental conditions.

**8. Recommendation: -**

The project proponent may be directed to:

- Undertake immediate plantation/green belt development as per EC conditions
- Submit compliance report to MPPCB within stipulated time
- MPPCB may initiate appropriate action as per provisions of environmental laws in case of continued non-compliance



---

**SUJEET NAGESH  
TAHSILDAR,  
RAMPUR BAGHELAN  
NAGOD, DISTRICT SATNA (M.P.)**



**SUDHANSHU TIWARI  
REGIONAL OFFICER  
MPPCB SATNA**



**SHUBHAM DUBEY  
RANGE FOREST OFFICER  
FOREST DIVISION SATNA  
DISTRICT SATNA**



Annex 56 I

**मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेय कॉलोनी, भोपाल-462016  
Fax No : +91-755-2463742 E-mail : [it\\_mppcb@rediffmail.com](mailto:it_mppcb@rediffmail.com)



**LIFE**  
Lifestyle for  
Environment



क्रमांक 306/विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/2026  
प्रति

भोपाल, दिनांक

12 FEB 2026

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | कलेक्टर,<br>कलेक्टर कार्यालय,<br>सतना। | 2 | संभागीय वन अधिकारी (DFO),<br>वन विभाग कार्यालय,<br>सतना। |
|---|--|---|--|

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/2026 (CZ), (तुसार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 03-02-2026 के अनुपालन बावत् ।

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/2026 (CZ), के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 03-02-2026 का कृपया अवलोकन हो, आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है:-

- The present Original Application has been filed under Sections 14, 15 and 18 of the National Green Tribunal Act, 2010, raising a substantial question relating to the environment, forest protection arising out of continuous illegal stone mining, illegal blasting, and mining inside forest land around Village Ramnagar, Tehsil Rampur Baghelan, District Satna, Madhya Pradesh, respondent no 9 are continuously carrying out mining beyond the sanctioned lease area, including forest land and adjoining private lands, without any valid Environmental Clearance, Consent to Operate, or permission under the Forest Conservation Act, 1980.
  - We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-
    - One representative from the District Magistrate, Satna, MP
    - One representative from DFO, Satna, MP
    - One representative from Madhya Pradesh Pollution Control Board
- The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

The report in the matter be filed by the Committee by email at [ngtcbhbho-mp@gov.in](mailto:ngtcbhbho-mp@gov.in)

List it on 27th April, 2026.

माननीय अधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार संयुक्त समिति गठित का गठन कर 6 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं ।

अतः आपके कार्यालय से एक प्रतिनिधि नामांकित किये जाने का अनुरोध है, ताकि निर्धारित समयावधि में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके। क्षेत्रीय

प्रयोगशाला प्रभारी/सहायक प्रभारी  
कनि. वैज्ञानिक I/कनि. वैज्ञानिक II  
लेखापाल/स्थापना  
17/2/26  
क्षेत्रीय अधिकारी

11

अधिकारी, सतना को बोर्ड की ओर से समिति 57 का सदस्य तथा प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 27-04-2026 को नियत है।

संलग्न-:एनजीटी आदेश ।

समक्ष प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

Digitally Signed by: Manoj Kumar

Mandrai

Date: 12-02-2026

12:04 pm

अधीक्षण यंत्री (विधि)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

प्रतिलिपि-:

- ✓ क्षेत्रीय अधिकारी,क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना को निर्देशित किया जाता है कि माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशानुसार संयुक्त गठित समिति से समन्वय कर निर्धारित समयावधि के 01 सप्ताह पूर्व एक्शन टेकन रिपोर्ट मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

58



**मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेय कॉलोनी, भोपाल-462016

Fax No: +91-755-2463742 E-mail: lt\_mppcb@rediffmail.com



क्रमांक

/विधि/एनजीटी/प्रनिवो/2026

भोपाल, दिनांक

// कार्यालय आदेश //

सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक 5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना को (पक्षकारों के नाम) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल बेच, भोपाल के OA 30/2026 (तुसार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हे सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने आवेदन पत्र करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है, कि म०प्र० विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कतव्यों तथा उत्तदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनसे कि मामले के संचालन में बोर्ड अभिभाषक को सहायता पहुचाने की संभावना हो। रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिदिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावे।
- (2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे की बोर्ड द्वारा नियुक्त अभिभाषक को सहायता पहुचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामाग्री के साथ बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
- (5) बोर्ड अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजपत्र भेजेगा:-
  - (1) वादपत्र की एक प्रति के साथ बोर्ड की एक रिपोर्ट।
  - (2) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (3) उन सभी दस्तावेजों की एक पूरी सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल/सेन्ट्रल बेच में प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट अपेक्षा की गई है।
  - (4) मामले के विशादीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में बोर्ड अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा बोर्ड के विरुद्ध पारित किया जाता है तो बोर्ड को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

प्रयोजशाला प्रभारी/सहायक संचालक/विज्ञानिक  
कनि. वैज्ञानिक I/कनि. वैज्ञानिक II  
लेखापाल/स्थापना

*(Signature)*

17/1/26

(13)

- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा बोर्ड अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही के किये जाने के लिये इस बोर्ड को भेजेगा।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे कि उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्घशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सोप देने के पश्चात भी जब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।
- (12) प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में बोर्ड अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण पत्र या दस्तावेज आप्रकटिक/छुपी हुई न रह जाये।
- (13) प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह जैसे ही विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट सदस्य सचिव को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रक्रम में कार्य किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुर्नरीक्षण आपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित की जाये सदस्य सचिव को अपनी अनुशंसा के साथ बोर्ड को अग्रेषित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

Digitally Signed by: Manoj Kumar  
Mandrai  
Date: 12-02-2026  
12:53 pm  
अधीक्षण यंत्री(विधि)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 FEB 2026

पृ०क्र० 308 /विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2026,

प्रतिलिपि:-

- (1) क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर बोर्ड अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ सदस्य सचिव को भेजने हेतु अग्रेषित मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड को सद्वै ही भेजी जावे। कृपया प्रकरण की आगामी सुनवाई से पूर्व रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि निर्धारित समयावधि में माननीय एनजीटी के आदेश का पालन हो सके।
- (2) श्रीमती पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चेम्बर, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally Signed by: Manoj Kumar  
Mandrai  
Date: 12-02-2026  
12:03 pm

अधीक्षण यंत्री(विधि)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

14



## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना (म.प्र.)

क्रमांक/ 508 शिकायत/2026

सतना दिनांक 19/2/26

### //आदेश//

म प्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र क्र 306/विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/2026 दिनांक-12.02.2026 माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल बेंच द्वारा प्र क्र 30/2026 (CZ) (तुषार द्विवेदी बनाम म प्र शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 03.03.2026 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति गठित कर कलेक्टर कार्यालय से प्रतिनिधि नामांकित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः तहसीलदार रामपुर बाघेलान को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है। कृपया वन परिक्षेत्राधिकारी रामपुर बाघेलान, क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय म प्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, सतना से समन्वय स्थापित किया जाकर पालन प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय को 15 दिवस के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करे। साथ ही पालन प्रतिवेदन की प्रति इस कार्यालय करे उपलब्ध करावे।

कलेक्टर

जिला-सतना(म.प्र.)

क्रमांक/ 508 शिकायत/2026

सतना दिनांक 19/2/26

### प्रतिलिपि-

1. म प्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल भोपाल म0प्र0।
2. तहसीलदार रामपुर बाघेलान ।
3. वन परिक्षेत्राधिकारी रामपुर बाघेलान,
4. क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय म प्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, सतना की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर

जिला-सतना(म.प्र.)

प्रयोगशाळा प्रगारी/सहायक यंत्री/विज्ञानिक  
कनि. वैज्ञानिक I/कनि. वैज्ञानिक II  
लेखापाल/स्थापना

25/2/26  
क्षेत्रीय अधिकारी

Dr. Prachi Pandey  
PI. Poochi



## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना (म.प्र.)

क्रमांक/ 510 शिकायत/2026

सतना दिनांक 03/03/26

### //संशोधित आदेश//

म प्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र क्र 306/विधि/NGT (CZ)/प्रनिबो/2026 दिनांक-12.02.2026 माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल बेंच द्वारा प्र क्र 30/2026 (CZ) (तुषार द्विवेदी बनाम म प्र शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 03.03.2026 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति गठित कर कलेक्टर कार्यालय से प्रतिनिधि नामांकित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार पालन हेतु पूर्व से कार्यालय के पत्र क्र/508/शिकायत/2026 दिनांक 19.02.2026 के तहत पालन प्रतिवेदन हेतु आदेश जारी किया गया था जिसमे आंशिक संशोधन करते हुए तहसीलदार रामपुर बाघेलान को पूर्व से कलेक्टर प्रतिनिधि नामांकित किया गया है। कृपया वन परिक्षेत्राधिकारी रामपुर बाघेलान, क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय म प्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, सतना के साथ जिला खनिज अधिकारी, सतना से समन्वय स्थापित किया जाकर पालन प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय को 15 दिवस के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करे। साथ ही पालन प्रतिवेदन की प्रति इस कार्यालय करे उपलब्ध करावे।

  
कलेक्टर  
जिला-सतना (म.प्र.)



क्रमांक/ 510 शिकायत/2026

सतना दिनांक 03/03/26

प्रतिलिपि-

1. म प्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल भोपाल म०प्र०।
2. तहसीलदार रामपुर बाघेलान ।
3. वन परिक्षेत्राधिकारी रामपुर बाघेलान,
4. क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय म प्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, सतना की ओर पालनार्थ।
5. जिला खनिज अधिकारी, सतना

  
कलेक्टर  
जिला-सतना (म.प्र.)

  
प्रयोगशाळा प्रभारी/सहायक वंकी/वैज्ञानिक  
कनि. वैज्ञानिक I/कनि. वैज्ञानिक II  
लेखापाल/स्थापना   
P. P. C. S.  
क्षेत्रीय अधिकारी



62  
ok क्षेत्रीय कार्यालय,  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,



रीवा रोड मैहर बाई पास, सतना (म.प्र.)

E-Mail-romppcb\_satna@rediffmail.com, website- www.mppcb.nic.in

क्रमांक 2004 /क्षे.का/प्र.नि.बो./पूर्व/2026,

सतना, दिनांक 23/02/2026

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,  
जिला-सतना (म.प्र.)

विषय:- मान्नीय एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक 30/2026 (CZ) तुषार द्विवेदी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश के अनुसार संयुक्त निरीक्षण करने बावत्।

सन्दर्भ:- 1. मान्नीय एन.जी.टी. का आदेश दिनांक 03.02.2026 के अनुपालन में।  
2. बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक 306 दिनांक 12.02.2026 ।

—000—


महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में लेख है कि मान्नीय एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक 30/2026 (CZ) तुषार द्विवेदी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य के संबंध में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता को ओ.आई.सी. बनाया गया है एवं प्रकरण में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गठित समिति में सदस्य भी बनाया गया है जिसका प्रकरण में गठित कमेटी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट मान्नीय एन.जी.टी. मे प्रस्तुत किया जाना है।

अतएव अनुरोध है कि अपने कार्यालय से किसी सक्षम अधिकारी को नामांकित कर इस कार्यालय को अवगत कराये जाने का कष्ट करें ताकि मान्नीय एन.जी.टी. में प्रतिवेदन समय-सीमा में प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्न:- मान्. राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश।

ok

  
(सुधांशु तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
सतना (म.प्र.)

17



# कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सतना (म.प्र.)

(मुखियारगंज रेल्वे फाटक के पास/सिविल लाइन, सतना)

E.Mail.dfotsatna@mp.gov.in

क्र./न्याया0/1674

Phone. 07672-223355

/सतना, दिनांक 19-2-2026

प्रति,

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र सतना

विषय:-माननीय न्यायालय NGT के प्रकरण क्र० OA No.30/2026 श्री तुषार द्विवेदी विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2026 के संबंध में  
संदर्भ:-अधीक्षण यंत्री (विधि) म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का पत्र क्र०/306 दिनांक 12.02.2026

—000—

विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय न्यायालय NGT के प्रकरण क्र० OA No 30/2026 श्री तुषार द्विवेदी विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जो कि ग्राम रामनगर तहसील रामपुर बाघेलान में लगातार पत्थर के अवैध उत्खनन अवैध ब्लास्टिंग एवं वनक्षेत्र के अन्दर हो रहे अवैध उत्खनन से संबंधित है। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2026 को पारित निर्णय में संयुक्त समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में रिस्पोंडेंट की ओर से एक-एक प्रतिनिधि की नियुक्ति की जानी है। वनविभाग की ओर से उक्त समिति हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है।

अतः आप अन्य विभागों के समिति सदस्यों से संपर्क करते हुये उक्त स्थल की वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन माननीय न्यायालय की वेबसाइट [ngtczbbho-mp@gov.in](mailto:ngtczbbho-mp@gov.in) पर पारित आदेश में दी गई अवधि के अन्दर अपलोड करते हुये इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डल अधिकारी  
वन मण्डल, सतना

पृ.क्र./न्याया0/1675

/सतना, दिनांक 19-2-2026

प्रतिलिपि:-

1. जिला कलेक्टर सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला सतना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबोधशाखा प्रभारी/सहायक चंत्री/वैज्ञानिक  
कनि. वैज्ञानिक I/सहायक वैज्ञानिक  
लेखापाल/स्थापना  
क्षेत्रीय अधिकारी

वनमण्डल अधिकारी  
वन मण्डल, सतना

18



क्षेत्रीय कार्यालय,

Annexure - 2



LiFE  
Lifestyle for  
Environment

## म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

रीवा रोड मैहर बाई पास, सतना (म.प्र.)

E-Mail-romppcb\_satna@rediffmail.com, website- www.mppcb.nic.in

क्रमांक

2091

/क्षे.का/प्र.नि.बो./पूर्व/2026,

सतना, दिनांक 16/3/26

प्रति,

1. तहसीलदार,  
रामपुर बघेलान,  
जिला-सतना (म.प्र.)
2. वन परिक्षेत्राधिकारी,  
वन परिक्षेत्र सतना,  
जिला-सतना (म.प्र.)
3. खनिज अधिकारी,  
जिला सतना (म.प्र.)

विषय:- माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक 30/2026 (CZ) तुषार द्विवेदी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश के अनुसार संयुक्त निरीक्षण करने बावत्।

- सन्दर्भ:-
1. माननीय एन.जी.टी. का आदेश दिनांक 03.02.2026 के अनुपालन में।
  2. कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना का पत्र क्रमांक 508 दिनांक 19.02.2026 ।
  3. कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना का पत्र क्रमांक 510 दिनांक 06.03.2026 ।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में लेख है कि माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक 30/2026 (CZ) तुषार द्विवेदी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य के संबंध में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता को ओ.आई.सी. बनाया गया है एवं प्रकरण में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गठित समिति में सदस्य भी बनाया गया है जिसका प्रकरण में गठित कमेटी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट माननीय एन.जी.टी. में प्रस्तुत किया जाना है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार दिनांक 18.03.2026 को सुबह 10.30 बजे से संयुक्त निरीक्षण आपसे चर्चा उपरांत रखा गया है। कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

cc

(सुधाशु तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

सतना, दिनांक 16/3/26

पृ.क्रमांक 2092 /क्षे.का/प्र.नि.बो./पूर्व/2026,  
प्रतिलिपि,

1. कलेक्टर महोदय, जिला सतना की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण यंत्री (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री तुषार द्विवेदी (पिटिशनर), की ओर सूचनार्थ तथा उक्त दिनांक को निरीक्षण के समय उपस्थित हेतु।

cc

(सुधाशु तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
सतना (म.प्र.)









19

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकार (N.G.R.) सेन्ट्रल बेंच प्रकरण  
 क्रमांक 30/2026 (CZ), (दुसार द्विवेदी विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन व  
 अन्य)

निम्न-सूची-3

उपरिस्थिति पत्रक

दिनांक  
18/03/2026

क्र०	नाम	पता	हस्ताक्षर
01	श्री सुजीत नागेश (तहसीलदार रामपुर बघेलान)	रामपुर बघेलान, सतना	 18/03/2026
02	श्री रघु. पी. सिंह (स्वनिज अधिकारी)	Municipal Office Collectorate Satna	 18/3/2026
03	श्री सुभम दुबे (वन परिक्षेत्र अधिकारी)	Forest Range Office Satna	 18/03/26
04	श्री सुधांसु तिवारी (क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना)		
05	श्री अंजु ब द्विवेदी (Reg. No. 09)		
06	अमीषका सिंह बघेल	Transport Nagar/Khairi Rewa (M.P.)	
7	राजेश तिवारी	कुढ़वा	
8	सुखदेव शर्मा राष्ट्रिय प्रकाश संस्थान मध्य प्रदेश परिषद अनिल द्विवेदी बृजेन्द्र कुमार मिश्रा	पटवारी राणागानि।। रामनगर यादवगढ़ पन्ना जिला सतना च. स. सज्जनपुर	 राष्ट्रिय प्रकाश संस्थान  

पंचनामा

आज दिनांक 18/03/2026 को मा० N.G.T प्रकरण क्रमांक 30/2026 (CZ), (तुसार द्विवेदी विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य) के परिपेक्ष में स्थल का निरीक्षण मा० N.G.T द्वारा गठित टीम के साथ किया गया। जिसमें जिला प्रशासन कि ओर से तहसीलदार रामपुर बघैलान श्री सुजीत नागेश, स्वनिज अधिकारी श्री रच.पी सिंह, वन विभाग कि तरफ से वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री शुभम दुवे एवं, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना की तरफ से श्री सुधांगु तिवारी क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित रहे एवं शिकायतकर्ता श्री अंबुज द्विवेदी से इस्माय पर चर्चा की गई।

- तुसार
- ① श्री सुजीत नागेश (तहसीलदार, रामपुर बघैलान) *18/03/26*
  - ② श्री रच.पी. सिंह (स्वनिज अधिकारी) *18/03/26*
  - ③ श्री शुभम दुवे (वन परिक्षेत्र अधिकारी) *18/03/26*
  - ④ श्री सुधांगु तिवारी (क्षेत्रीय अधिकारी) *18/03/26*
  - ⑤ श्री अंबुज द्विवेदी (Respondent No. 9) *18/03/26*

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म.प्र.)

E-mail modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक... 542 / खनिज / 2026,  
प्रति,

सतना दिनांक... 9/04/2026

क्षेत्रीय अधिकारी,

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

जिला सतना म0प्र0

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/2026 (CZ) (तुषार द्विवेदी बनाम म0प्र0 शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 03.02.2026 के संबंध में पालन प्रतिवेदन।

संदर्भ:- कार्यालय कलेक्टर जिला सतना का आदेश क्रमांक 510/शिकायत/2026 सतना दिनांक 06.03.2026।

—00—


उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश दिनांक 06.03.2026 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/2026 (CZ) (तुषार द्विवेदी बनाम म0प्र0 शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 03.02.2026 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति गठित कर तहसीलदार तहसील रामपुर बघेलान को कलेक्टर प्रतिनिधि नामांकित किया गया है एवं वन परिक्षेत्राधिकारी रामपुर बघेलान, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना एवं जिला खनिज अधिकारी से पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त निर्देशानुसार संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.03.2026 को उक्त क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया गया। जिसके अनुसार प्रकरण क्रमांक 30/2026 (CZ) तुषार द्विवेदी बनाम म0प्र0 शासन व अन्य के संबंध में खनिज विभाग से संबंधित वस्तुस्थिति की जानकारी इस प्रकार है:-

1. बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 यह है कि जिला सतना तहसील रामपुर बघेलान के ग्राम रामनगर खसरा क्रमांक 1289/1344/1/ग/1 रकबा 2.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर श्री अम्बुज द्विवेदी पिता श्री मनोज कुमार द्विवेदी निवासी ग्राम जनार्दनपुर तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना को संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल आदेश क्रमांक 375-77/खनिज/उ.प./न.क्र.49/2019 भोपाल दिनांक 09.01.2020 से उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया गया था। जिसकी अवधि 29.07.2020 से 28.07.2030 तक अनुबंधित है। वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना के पत्र क्र. मा.चि./12994 सतना दिनांक 14.12.2017 से स्वीकृत क्षेत्र वनसीमा से 250 मीटर के अंदर का क्षेत्र 0.182 हे० है। जिसकी वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 759 की वन सीमा से दूरी 132 मीटर है। उक्त क्षेत्र 250 मीटर का क्षेत्र होने से संभागीय समिति द्वारा कार्यवाही विवरण दिनांक 03.10.2018 के माध्यम से वनसीमा से दूरी 132 मीटर छोड़कर चैनलिंग, फेंसिंग तथा वृक्षारोपण किये जाने की शर्त पर स्वीकृति प्रदाय की गई थी। गठित संयुक्त समिति द्वारा मौके पर स्वीकृत क्षेत्र के चारो ओर फेंसिंग पाया गया एवं आर.सी.सी. पिलर स्थापित पाये गये, किन्तु उत्खनिपट्टा के आसपास वृक्षारोपण नहीं पाया गया। (संलग्न-1, 2 एवं 3)
2. बिन्दु क्रमांक 04 यह है कि पट्टाधारी श्री अम्बुज द्विवेदी को म0प्र0 SEIAA भोपाल के पत्र क्रमांक 7606/SEIAA/2021 दिनांक 24.03.2021 से सशर्त पर्यावरण अनुमति प्रदान की गई है।
  - (4) उत्खनिपट्टा स्वीकृत क्षेत्र के चारो ओर फेंसिंग पाया गया एवं आर.सी.सी. पिलर स्थापित पाये गये, किन्तु उत्खनिपट्टा के आसपास वृक्षारोपण नहीं पाया गया।
  - (8) स्वीकृत उत्खनिपट्टा के आसपास वृक्षारोपण नहीं पाया गया।
  - (9) स्वीकृत क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं है।
  - (13) अनुमोदित खनन योजना अनुसार कार्य किया जा रहा है।

- (14) उत्खनिपट्टा स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग पाया गया।
- (33) अनुमोदित खनन योजना अनुसार 06 मीटर तक उत्खनन कार्य किया जा सकता है। 06 मीटर उत्खनन के पश्चात् DGMS को अवगत कराया जाना होता है।
- (37) भू-प्रवेश के समय तहसीलदार तहसील रामपुर बघेलान द्वारा सीमांकन कराया गया। तत्पश्चात् न्यायालय कलेक्टर महोदय सतना द्वारा आदेश दिनांक 01.12.2021 से भू-प्रवेश की अनुमति प्रदान की गयी। (संलग्न-4, 5 एवं 6)
3. **बिन्दु क्रमांक 05** यह है कि उत्खनिपट्टा क्षेत्र के आस-पास कोई वृक्षारोपण नहीं पाया गया। क्षेत्र के चारों ओर आर.सी.सी. पिलर स्थापित पाये गये एवं फेंसिंग पाई गई। वन भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जाना नहीं पाया गया। साथ ही वन भूमि में किसी प्रकार का अवैध उत्खनन होना नहीं पाया गया।
  4. **बिन्दु क्रमांक 06** यह है कि भू-प्रवेश की शर्तों के अनुसार पट्टाधारी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर आर.सी.सी. पिलर स्थापित किये गये एवं फेंसिंग कराई गई। वन भूमि में किसी प्रकार का अवैध उत्खनन होना नहीं पाया गया।
  5. **बिन्दु क्रमांक 07** यह है कि संभागीय समिति द्वारा वन भूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ. 759 की वन सीमा से दूरी 132 मीटर है। जिसमें गठित संयुक्त टीम को किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं अवैध उत्खनन किया जाना नहीं पाया गया।
  6. **बिन्दु क्रमांक 08** यह है कि भू-प्रवेश के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन में 500 मीटर के अंदर कोई जलीय संरचना नहीं होने का लेख किया गया है। खनिज नियमों अनुसार 100 मीटर की दूरी छोड़कर नियमानुसार उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है। 100 मीटर की परिधि में कोई जलीय संरचना नहीं पाई गई।
  7. **बिन्दु क्रमांक 09 एवं 10** यह है कि वन भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जाना नहीं पाया गया। साथ ही वन भूमि में किसी प्रकार का अवैध उत्खनन होना नहीं पाया गया। पूर्व में इसी क्षेत्र के पास खसरा क्रमांक 1289/1344/ग के रकबा 8.85 एकड़ में खनिज चूनापत्थर का खनिपट्टा श्री बृजकिशोर द्विवेदी निवासी जनार्दनपुर तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना को अवधि 05.09.1999 से 05 वर्ष हेतु स्वीकृत था, उनके द्वारा खनन कार्य किया जाना पाया गया। (संलग्न-7)
  8. **बिन्दु क्रमांक 11 एवं 12** यह है कि MOPRO SEIAA भोपाल के पत्र क्रमांक 7606/SEIAA/2021 दिनांक 24.03.2021 से पर्यावरण अनुमति प्राप्त है। अवैध उत्खनन की शिकायतों पर खनि निरीक्षक सतना द्वारा जांच कर कार्यवाही की जाती है।
  9. **बिन्दु क्रमांक 16** यह है कि स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं है। पट्टाधारी द्वारा MOPRO प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना से दिनांक 24.12.2021 से जलवायु सम्मति (CTO) की अनुमति प्राप्त की गई है। (संलग्न-8)

अतः कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उक्त क्षेत्र का संयुक्त मौका निरीक्षण करते हुये वस्तुस्थिति की जानकारी एवं पालन प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
 प्रभारी अधिकारी खनिज  
 जिला सतना (MOPRO)  
 सतना दिनांक.....

पत्र पृष्ठा क्रमांक...../खनिज/2026,  
 प्रतिलिपि:-

कलेक्टर महोदय जिला सतना की ओर आदेश दिनांक 06.03.2026 के संबंध में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी खनिज  
 जिला सतना (MOPRO)

संचालनालय  
भौमिकी तथा खनिकर्म  
मध्यप्रदेश

29-ए, "खनिज भवन", अरेरा हिल्स, भोपाल

फोन एवं फैक्स : 0755-2551795

E-mail : dirgeomn@mp.nic.in

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक

क्रमांक /खनिज/उ.प./न.क्र.49/2019, उपरोक्त विषयांगत संदर्भित प्रस्ताव के माध्यम से कलेक्टर सतना द्वारा तहसील रामपुर बाघेलान के ग्राम रामनगर की निजी भूमि खसरा क्रमांक 1289/1344/1/ग/1 के रकबा 2.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर क्रशर आधारित पत्थर खनिज उत्खनिपट्टा के स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2015 को मय सहपत्रों के अद्योषित किया गया है। तहसीलदार रामपुर बाघेलान द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 30.09.2015 में आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु कोई वैधानिक अड़चन न होने की अनुशंसा की गई है। वनमण्डलाधिकारी सतना के प्रतिवेदन दिनांक 14.12.2017 अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि न होकर वन सीमा से 250 मीटर की दूरी के भीतर स्थित है। कमिश्नर रीवा संभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा दिनांक 03.10.2018 अनुसार आवेदक के पक्ष में वन सीमा से 132 मीटर की दूरी छोड़कर चैनलिंग फेंसिंग तथा वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई है। आवेदित क्षेत्र के संबंध में ग्राम पंचायत रामनगर द्वारा ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 26.01.2018 से आवेदित क्षेत्र के संबंध में ग्राम सभा का उत्खनिपट्टा स्वीकृति की सहमति का प्रस्ताव दिया गया है। क्षेत्रीय प्रमुख रीवा द्वारा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2018 में लेख किया गया कि आवेदित क्षेत्र में निम्न श्रेणी चूनापत्थर संस्तर अवलोकित किये गये हैं, जिसे गौण खनिज के रूप में उपयोग किया जा सकता है, आवेदित क्षेत्र पर आवेदक को सतह से 03 मीटर तक उत्खनन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। क्षेत्रीय प्रमुख जबलपुर द्वारा पत्र दिनांक 18.01.2019 से रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट प्रेषित की गई, रासायनिक विश्लेषण अनुसार आवेदित क्षेत्र में निम्न श्रेणी का चूनापत्थर उपलब्ध होना पाया गया। मानचित्रकार द्वारा आवेदित खसरा क्रमांक 1289/1344/1/ग/1 का संपूर्ण आवेदित रकबा 2.000 हेक्टेयर क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध बताया जाकर उसे मानचित्र में अंकित कर संलग्न किया गया है साथ ही अंकित किया गया है कि आवेदित क्षेत्र पूर्व में श्री बृज किशोर द्विवेदी के पक्ष में वर्ष 1994 से 2004 तक स्वीकृत था, जो कि वर्तमान में रिक्त है। कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना के प्रतिवेदन दिनांक 19.10.2015 अनुसार आवेदित क्षेत्र पुरवा नहर कमाण्ड क्षेत्र में नहीं आता है। प्रस्ताव के साथ भूमि स्वामी की सहमति एवं आवेदित क्षेत्र के संबंध में कलेक्टर कार्यालय सतना द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18(1क) अनुसार समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना की प्रति संलग्न की गई है।

अतः कलेक्टर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर आवेदक के पक्ष में निम्नांकित विवरण/शर्त अनुसार क्रशर आधारित पत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृति की सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है:-

1. आवेदक का नाम :

श्री अम्बूज द्विवेदी,  
आत्मज श्री मनोज कुमार द्विवेदी,  
निवासी ग्राम व पोस्ट जनार्दनपुर,  
तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म.प्र.)

//2//

2. स्वीकृत क्षेत्र का विवरण : ग्राम- रामनगर  
 खसरा क्रमांक- 1289/1344/1/ग/1  
 रकबा- 2.000 हेक्टेयर (संलग्न मानचित्र अनुसार)  
 खनिज- क्रशर आधारित पत्थर  
 अवधि- 10 वर्ष

प्रदान की गई सैद्धांतिक सहमति अनुसार आवेदक द्वारा क्षेत्रीय प्रमुख रीवा की अनुशंसा अनुसार सतह से 03 मीटर तक ही उत्खनन किया जायेगा तथा कमिश्नर रीवा संभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा दिनांक 03.10.2018 अनुसार वन सीमा से 132 मीटर की दूरी छोड़कर चैनलिंग फेसिंग तथा वृक्षारोपण कराया जायेगा। आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 42 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित समयावधि में अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत की जायेगी तत्पश्चात स्वीकृति आदेश इस शर्त पर जारी किये जायेंगे कि आवेदक द्वारा खनन संक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व नियमानुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

संलग्न : खसरा पांचसाला, भू-वैज्ञानिक प्रतिवेदन  
 तथा स्वीकृत मानचित्र

उप संचालक  
 वास्ते संचालक


375 - 77

पृ0क्रमांक  
 प्रतिलिपि :-

/खनिज/उ.प./न.क्र.49/2019,

भोपाल, दिनांक 9/1/2020

- 1) कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित प्रस्ताव क्रमांक 748/खनिज/2019 दिनांक 24.07.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय रीवा की ओर स्वीकृति क्षेत्र का खसरा पांचसाला, नक्शा संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) श्री अम्बूज द्विवेदी आत्मज श्री मनोज कुमार द्विवेदी, निवासी ग्राम व पोस्ट जनार्दनपुर, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना (मध्यप्रदेश) की ओर स्वीकृति क्षेत्र का खसरा पांचसाला, नक्शा, भू-वैज्ञानिक प्रतिवेदन एवं सिया से संबंधित बिन्दुओं की जानकारी संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
 8/1/2020  
 उप संचालक  
 वास्ते संचालक

25

प्ररूप-सात  
(नियम 26 देखिए)  
उत्खनन पट्टा विलेख

यह करार एक पक्षकार के रूप में म.प्र. राज्यपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उनके पदोत्तरवर्ती भी हैं) और दूसरे पक्षकार श्री अम्बुल द्विवेदी आत्मज श्री मनोज कुमार द्विवेदी, निवासी ग्राम/पोस्ट जनार्दनपुर, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना, म.प्र. (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिती भी हैं);

अथवा

.....X..... X..... (सोसायटी या सहयोजन का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) तथा .....X.....X..... (व्यक्ति का नाम, पद सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उसके अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी हैं);

अथवा

..... X..... X..... (भागीदारों के नाम तथा पते) आत्मज ..... X.....  
... X ..... निवासी ..... समस्त व्यक्ति, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932(1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म के नाम तथा अभिनाम .....X..... X.....  
... (फर्म का नाम) के अधीन भागीदारी में कारबार कर रहे हैं और जिनका रजिस्टर्ड कार्यालय ..... X.....  
..... X ..... में ..... X..... पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उक्त समस्त भागीदार, उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी हैं);

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी ..... X..... X.....  
..... (कंपनी का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ..... X.....X..... पर है (पता) जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी हैं);

के बीच आज तारीख ..... को किया गया।

पट्टेदार/पट्टेदारों ने, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) इसके नीचे लिखी गई अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों के संबंध में पत्थर (यांत्रिक विधि से गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनन पट्टे के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है और राज्य सरकार के पास प्रतिभूति के रूप में रुपये 1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) की राशि जमा की है:

At Receiver

Page 1 of 14  
उप संचालक (खनिज प्रशासन)  
जिला-सतना (MOPCO)

26

इस बात का साक्षी है कि इस विलेख में तथा इसमें इसके नीचे लिखी अनुसूची में या उसके द्वारा आरक्षित और अंतर्विष्ट भाटकों तथा स्वामिस्वों का पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा भुगतान किये जाने और उसके/उनके द्वारा अनुपालन, पालन की जाने वाली प्रसंविदाओं तथा करारों के प्रति फलस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी, एतद्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को पट्टा प्रदान और अंतरित करता है;

पत्थर कीं ऐसी समस्त खदानें (यहां खनिज या खनिजों का विवरण दें)(जिसे इसमें इसके पश्चात् और अनुसूची में उक्त खनिजों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है), जो उन भूमियों में, जिन्हें उक्त अनुसूची के भाग-एक में निर्दिष्ट किया गया है, स्थित, अव्यस्थित है और उनमें तथा उसके नीचे है, इसके संबंध में प्रयोज्य स्वतंत्रताओं, भावित्तियों, तथा विशेषाधिकारों को सम्मिलित करते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग-दो में वर्णित हैं, ऐसी स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने तथा उपभोग करने के संबंध में उन निबंधनों तथा भातों के अध्यधीन रहते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग-तीन में वर्णित हैं, इस अपवाद के साथ और इस पट्टे में से, राज्य सरकार के प्रति वे स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार आरक्षित करते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग-चार में वर्णित हैं, परिसर दिनांक .....से आगामी 10 वर्ष की कालावधि के लिए धारण करने हेतु पट्टेदार/पट्टेदारों को, एतद्वारा प्रदान किये जाते हैं, पट्टे पर दिये जाते हैं, अतः उन विभिन्न भाटकों तथा स्वामित्वों को, जो उक्त अनुसूची के भाग-पांच में वर्णित हैं, क्रमशः ऐसे राज्यों पर, जो उसमें विनिर्दिष्ट हैं, उक्त अनुसूची के भाग-छः में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार को देगा या उनका भुगतान करेगा और पट्टेदार एतद्वारा, राज्य सरकार के साथ ऐसी प्रसंविदा करता है/करते हैं, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-सात में अभिव्यक्त किया गया है, और राज्य सरकार एतद्वारा, पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ ऐसी प्रसंविदा करती है, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-आठ में अभिव्यक्त किया गया है, और इसके पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से ऐसी सहमति की जाती है, जो अनुसूची के भाग-नौ में अभिव्यक्त की गई है;

जिसकी साक्ष्य में यह विलेख उस दिनांक और वर्ष को जो कि ऊपर लिखे हैं, उस रीति में, जो इसके अधीन प्रकट होती है, निष्पादित किया जाता है.

### ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची भाग एक-इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र :

ग्राम रामनगर में स्थित भूमियों वह समस्त भू-भाग (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) जो रामपुर बघेलान तहसील में रामनगर ग्राम पंचायत में है और जो खसरा क्रमांक 1289/1344/1/ग/1 जिसमें 2.000 हे. का क्षेत्र है, जो इससे संलग्न नक्शे में अंकित है तथा जो लाल रंग से दर्शाया गया है, और जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं :-

उत्तर में खसरा नम्बर 1289/1344/1/ग  
दक्षिण में खसरा नम्बर 1296 द्वारा  
पूर्व में खसरा नम्बर 1289/1344/1/ग द्वारा  
और

पश्चिम में खसरा नम्बर 1226 द्वारा

जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त भूमि" के रूप निर्दिष्ट किया गया है.

*A. Deiveli*

उप संचालक (खनिज प्रशासन)  
जिला-सतना (महबूब) 14

27

भाग दो-उन निबंधनों तथा शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो भाग तीन में दिये गये हैं, पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा प्रयोग और उपभोग की जाने वाली स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार

1. भूमि पर प्रवेश करना तथा खनिज प्राप्त करना, तथा कार्य करना इत्यादि- एतद्वारा किये गये पट्टा अंतरण की की अवधि के दौरान समस्त समयों पर, उक्त भूमि पर प्रवेश करने और उक्त खनिज/खनिजों, को प्राप्त करने के संबंध में कार्य करने, उनकी दरेसी करने, प्रसंस्करित करने, संपरिवर्तित करने, ले जाने तथा उनका निपटारा करने के बारे में स्वतंत्रता तथा शक्ति.

2. मशीनरी, उपस्कर इत्यादि को लाना तथा उनका उपयोग करना- इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में, उक्त भूमि पर या उसके नीचे कोई इंजन, मशीनरी, संयंत्र, दरेसी-फर्शों, ईट-भट्टा, कर्मशाला, भण्डारगृह, गोदाम, शेड तथा अन्य भवन और अन्य कार्य स्थापित करने, निर्माण करने, संधारण करने और उपयोग करने तथा उस भूमि पर या उसके नीचे उसी प्रकार की सुविधाओं के लिए या उनके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति.

3. रास्तों तथा मार्गों इत्यादि का बनाया जाना और विद्यमान रास्तों तथा मार्गों का उपयोग- इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में, उक्त भूमि में या उसके ऊपर कोई ट्राम पथ, रास्ते तथा अन्य मार्गों को बनाने और छोड़ों, पशुओं, वेगनों या अन्य वाहनों सहित या रहित उसका (या उक्त भूमि में या उस पर किसी विद्यमान ट्रामपथों, रास्तों तथा अन्य मार्गों) ऐसी भातों पर, जैसी कि सहमत हों, उनका उपयोग करने की या उनके संबंध में स्वतंत्रता तथा भाक्ति.

4. भवन तथा रास्ते की सामग्री इत्यादि- इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में, उत्खनन कर पत्थर, बजरी तथा भवन और रास्ते के निर्माण संबंधी अन्य सामग्रियों तथा मिट्टी प्राप्त करने और उनका उपयोग करने और उन्हें काम में लेने तथा ऐसी मिट्टी से ईटे या कवेलू विनिर्मित करने और ऐसे ईटों तथा कवेलुओं का उपयोग करने के लिए और उसके संबंध में स्वतंत्रता तथा भाक्ति, किन्तु ऐसी सामग्री, ईटों या कवेलुओं का विक्रय करने के लिए नहीं.

5. जलधाराओं से पानी का उपयोग इत्यादि- इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए किन्तु किसी विद्यमान या भावी पट्टेदारों के अधिकारों के अध्यक्षीन रहते हुए तथा कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा से उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किन्हीं जलधाराओं, जलमार्गों, झरनों या अन्य स्रोतों को काम में लाने और उनका पानी उपयोग करने या ऐसी किसी जलधारा या जलमार्ग को मोड़ने, उसे बढ़ाने या उस पर बांध बनाने और ऐसे किसी जल को संग्रहित करने तथा अवरुद्ध करने और किसी जलमार्ग, पुलिया, नालियां या जलाशयों को बनाने, निर्माण करने और बनाये रखने के लिए और उस संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति, किन्तु इस प्रकार नहीं कि जिससे किन्हीं कृष्य भूमियों, ग्रामों, भवनों या पशुओं के पानी पीने के स्थानों या पूर्व में आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त रूप से जल प्रदाय से वंचित करेगा और न किसी भी प्रकार से किसी जलधारा या झरनों को गंदा या प्रदूषित ही करेगा, परन्तु यह कि पट्टेदार किस नाश्य जलधारा में नौचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा या राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी जलधारा को नहीं मोड़ेगा.

6. चट्टे लगाने, ढेर लगाने, जमा करने के प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग- उक्त भूमियों की सतह के पर्याप्त भाग पर, उसमें खदानों के किसी उत्पाद या किये गये कोई कार्य और किन्हीं औजारों, उपस्करों, मिट्टी तथा सामग्रियों और पदार्थों के, जो इस भाग में वर्णित स्वतंत्रताओं, शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोदे गये हों, या निकाले गये हों, चट्टे लगाने, ढेर लगाने, भंडारण करने या जमा करने के प्रयोजनों के लिए, प्रवेश करने और उपयोग रकने की स्वतंत्रता तथा शक्ति.

A. D. D. D.

उप संचालक (स्वनिज प्रशासन)  
जिला-सतना (म०प्र०)

28

भाग तीन-भाग दो में वर्णित स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों  
का प्रयोग करने के संबंध में निबंधन तथा शर्तें  
(Terms and Conditions)

1. कतिपय स्थानों पर कोई भवन इत्यादि नहीं होगा— किसी सार्वजनिक विहार भूमि, श्मशान भूमि या कब्रिस्तान भूमि या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने गये किसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान में या जिसे राज्य सरकार सार्वजनिक स्थान के रूप में अवधारित करे, कोई भवन या तद्दृश्य कोई संरचना ऐसी रीति में निर्मित, स्थापित या रखी नहीं जाएगी और कोई भी भूतल संक्रियाएँ नहीं की जायेगी जिससे किन्हीं भवनों, कार्यों, संपत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को, यदि कोई हों या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े और भूतल संक्रियाओं के लिये ऐसी किसी भूमि का, जो इस पट्टे में सम्मिलित न होने वाले कार्यों या प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा पूर्व में ही दखल में ली गई हो, उपयोग नहीं किया जाएगा। पट्टेदार किसी मार्ग, कुएं या तालाब के संबंध में किसी अधिकार में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा/ नहीं करेंगे।

2. ऐसी भूमि में जो पूर्व से उपयोग में न हो, भूतल संक्रियाओं के लिए अनुज्ञा— ऐसी भूमि का जो भूतल संक्रियाओं के लिए पूर्व में ही उपयोग में नहीं लाई गई है, उस बाबत उपयोग करने के पूर्व, पट्टेदार, जिले के कलेक्टर को दो कलेण्डर पूर्व की एक लिखित सूचना देगा/देंगे जिसमें स्थान का नाम या अन्य वर्णन या इस प्रकार किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा और वह प्रयोजन जिसके जिसके लिए वह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा उक्त भूमि का, यदि कलेक्टर, उसके द्वारा ऐसी सूचना प्राप्ति के दो मास के भीतर आपत्ति करे, तब इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस प्रकार की, की गई आपत्ति, राज्य सरकार को निर्देश किए जाने पर, निप्रभावित नहीं की जाती या वह अभिव्यक्त नहीं कर दी जाती।

3. अधिसूचना क्र. एफ 1-107-2000-बारह-1 दि. 24 नवम्बर, 2001 द्वारा विलोपित।

4. लगी हुई शासकीय अनुज्ञप्तियों तथा पट्टों के लिए सुविधाएँ— पट्टेदार, ऐसी किसी भूमि पर, जो पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा धारित भूमि में समावृष्टि है, या ऐसी भूमि से लगी हुई है या जिस तक उसके/उनके द्वारा धारित भूमि से पहुंचा जाता है, शासकीय अनुज्ञप्तियों या पट्टे के विद्यमान या भावी धारकों को उस तक पहुंच की युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान किये जाने बाबत अनुज्ञा देगा :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तियों या पट्टों के ऐसे धारकों द्वारा इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की संक्रियाओं के बारे में कोई सारवान प्रतिवाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता का उपयोग किये जाने के कारण पट्टेदार/पट्टेदारों को हुई हानि या नुकसान के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हों, या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय।

भाग चार — राज्य सरकार के लिए आरक्षित स्वतंत्रताएं,  
शक्तियां तथा विशेषाधिकार

1. अन्य खनिजों के बारे में कार्य करना— राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या किसी पट्टेदार को उक्त भूमि में तथा उस पर प्रवेश करने और उक्त खनिजों को छोड़कर अन्य खनिज तथा किन्हीं अन्य पदार्थों की खोज करने, प्राप्त करने, उसके संबंध में कार्य करने, खोदने, पाने, उत्खनन करने, दरेशी करने, प्रसंस्कारित करने, संपरिवर्तित करने और ले जाने और उन प्रयोजनों के लिए, खननें, सुरंग बनाने, तैयार करने, स्थापित करने, निर्माण करने, संधारण करने और ऐसे गड्डों,

Amended

Page 4 of 14  
उप संचालक (खनिज प्रशासन)  
जिला-सतना (MO/PRO)

29

फूपकों, अनतियों, अनुसंरंगों, समतालिकाओं तथा अन्य लाइनों, जलमार्गों, वायुमार्गों, जल प्रवाहों, नालों, जलाशयों, इंजनों, मशीनरियों, संयंत्र, भवनों, नहरों, ट्रामपथों, रेलपथों, सड़क मार्गों तथा अन्य कार्यों, और ऐसी सुविधाओं का जैसी कि आवश्यक या सुविधाजनक समझी जाएं, उपयोग करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति :

परन्तु यह कि ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्ति का उपयोग करने में, इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उनके संबंध में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जायगा और इस स्वतंत्रता या भावित का प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हों, या असहमति की दशा में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए.

2. रेलपथ तथा रास्ते बनाना— राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या किसी पट्टेदार को इस विलेख के भाग-दो में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए उक्त भूमियों में तथा उस पर प्रवेश करने और उस पर, उसके ऊपर या उसके आरपार किन्हीं रेलपथों, ट्रामपथों, सड़क मार्गों, पाइप लाईनों तथा अन्य मार्गों से या उन पर से या उनके साथ-साथ समस्त प्रयोजनों के लिए और किसी अवसर पर अपेक्षित हो, घोड़ों, पशुओं या अन्य पशुगाड़ियों, वेगनों, वाहकों, लोकोमोटिवों या अन्य वाहनों सहित या रहित, पुनः पार करने की स्वतंत्रता तथा भावित :

परन्तु यह कि ऐसे अन्य पट्टेदार या व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता तथा भावित का प्रयोग करने में, इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उनके संबंध में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता या शक्ति का प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार/पट्टेदारों को हानि या नुकसान के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हों या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय.

### भाग पांच — इस पट्टे द्वारा आधारित भाटक और स्वामित्व (Royalty), अनिवार्य भाटक (डेडरेंट) या स्वामित्व, जो भी उच्चतर हो, का भुगतान करना

1. पट्टेदार, [अधिसूचना क्र. एफ 19-75-2000-बारह-2, दि. 21-5-2001 विलोपित] प्रत्येक वर्ष के लिए इस भाग के खण्ड 2 में विनिर्दिष्ट अनिवार्य भाटक का भुगतान करेगा :

परन्तु इन नियमों के नियम 30 के अधीन जहां ऐसे पट्टे का धारक उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता, प्रबंधक, नियोजित व्यक्ति, ठेकेदार या उप-पट्टेदार द्वारा पट्टा-क्षेत्र से हटाये गये या खपाये गये किसी भी खनिज के लिए स्वामित्व (रायल्टी) के भुगतान करने के लिए दायी हो गया है, वहां वह ऐसे क्षेत्र के संबंध में ऐसे स्वामित्व या अनिवार्य भाटक, जो भी उच्चतर हो, का भुगतान करने का दायी होगा.

2. भाटक और अनिवार्य भाटक के भुगतान का ढंग— इस भाग के खण्ड 1 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, पट्टे के अस्तित्व के दौरान पट्टेदार पट्टान्तरित और इस अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों के लिए, इन नियमों की अनुसूची-चार में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से ऐसी रीति में, जैसा कि नियम 30 (1) (क) में विनिर्दिष्ट है, वार्षिक अनिवार्य भाटक का राज्य सरकार को भुगतान करेगा/करेंगे.

3. स्वामित्व के भुगतान की दरें तथा ढंग— इस भाग के खण्ड 1 के उपबंध के अध्याधीन रहते हुए, पट्टेदार इस पट्टे के अस्तित्व के दौरान उसके/उनके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये खनिज/खनिजों के संबंध में नियम 30 (1) (ख) में विनिर्दिष्ट किये गये स्वामित्व का, इन नियमों की अनुसूची-तीन में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से राज्य सरकार को भुगतान करेगा/करेंगे.

Attested

Page 5 of 14  
उप संचालक (खनिज प्रशासन)  
जिला-सतना (म०प्र०)

30

4. सतही भाटक का भुगतान— पट्टेदार उक्त भूमियों के जो समय-समय पर पट्टेदार/ पट्टेदारों द्वारा इस विलेख के प्राधिकार के अधीन दखल की गई हैं या उपयोग की गई हैं, समस्त भागों के सतह के संबंध में, क्रम 1: प्रतिवर्ष प्रति हेक्टर या उसके किसी भाग के लिए रु 5.00 की दर से या ऐसे दखल या उपयोग के प्रारंभ होने की कालावधि के दौरान दखल किये गये या उपयोग किए हुए उसके भाग का, जब तक कि क्षेत्र का इस प्रकार दखल या उपयोग समाप्त न हो जाय, भाटक का राज्य सरकार को भुगतान करेगा/करेंगे और इस प्रकार उपयोग की गई सतह भूमि को यथासंभव उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित करेगा/करेंगे। सतह भाटक का भुगतान नियम 30(1)(ग) में दिये गये ब्यौरे के अनुसार किया जाएगा।

### भाग छः— भाटक और स्वामित्व संबंधी उपबंध

1. भाटक और स्वामित्व कटौती आदि से मुक्त होंगे— इस अनुसूची के भाग-पांच में उल्लेखित भाटक और स्वामित्व का, नियम 30(1) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य सरकार को किसी भी कटौती से मुक्त भुगतान किया जाएगा।

2. स्वामित्व की संगणना के ढंग— उक्त स्वामित्वों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, पट्टेदार/ पट्टेदार खपत किये गये तथा प्रेशण किये गये खनिज/खनिजों के उत्पादन का एक सही लेखा रखेगा। साथ ही खनिज/खनिजों की मात्रा का, जो कि स्टॉक में है या निर्यात की प्रक्रिया में है, इस नियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच-पड़ताल की जा सकेगी।

3. यदि भाटक और स्वामित्वों का समय पर भुगतान नहीं होता है, तो कार्रवाई— इस विलेख के निबंधनों तथा शर्तों के अधीन राज्य सरकार को शोध्य कोई भाटक, स्वामित्व या अन्य रकम का पट्टेदार/ पट्टेदारों द्वारा विहित समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो, वह रकम, उस पर शोध्य चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, साधारण ब्याज के साथ, खनिज अधिकारी/सहायक खनिज अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।

### भाग सात— पट्टेदार/ पट्टेदारों की प्रसंविदाएं

1. पट्टेदार भाटकों तथा स्वामित्वों, करों इत्यादि का भुगतान करेगा— पट्टेदार, इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक तथा स्वामित्वों का ऐसे समयों पर तथा ऐसी रीति में, जो इस विलेख के भाग पांच तथा छः में उपबंधित हैं, भुगतान करेगा/करेंगे और ऐसे समस्त करों, रेंटों, निर्धारणों तथा अधिरोपणों का, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, जो सार्वजनिक मांग के स्वरूप के हों और जो पट्टेदार/ पट्टेदारों के उन परिसरों तथा संकायों के, जो-तत्सदृश्य अन्य परिसरों तथा संकायों के सामिलाती हों, सिवाय भू-राजस्वों की मांगों के, पर या उनके संबंध में राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा समय-समय पर प्रभारित किये जाएं, निर्धारित किये जायें या अधिरोपित किये जायें, का भी भुगतान करेगा/करेंगे तथा उनका उन्मोचन करेगा/करेंगे।

2. सीमाचिन्हों का अच्छी हालत में संधारण करना तथा रखना— पट्टेदार अपने/उनके स्वयं के व्यय पर इस पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाये जाने वाले सीमांकन के अनुसार सीमा चिन्हों तथा स्तंभों को स्थापित करेगा और समस्त समयों पर उन्हें संधारित तथा मरम्मत में रखेगा। ऐसे चिन्ह तथा स्तंभ झाड़ियों से तथा अन्य बाधाओं से पर्याप्त स्पष्ट रहेंगे जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें।

3. संक्रियाएं एक वर्ष के भीतर प्रारंभ की जाएंगी और कुशलता से कार्य किया जाएगा— पट्टेदार, पट्टा निष्पादित किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संक्रिया प्रारंभ करेगा/करेंगे और उसके पश्चात् इस पट्टे के चालू रहने के दौरान समस्त समयों पर उक्त खनिजों को, स्वेच्छापूर्वक

*A. Daniels*

उप संचालक (खनिज प्रशासन)  
जिला-सतना (MO PRO)

31

अवरोध के बिना निपुणता से तथा कुशलता से और इसमें इसके पश्चात् खण्ड 12 में विनिर्दिष्ट रीति से, उक्त भूमियों के भूतल या उस पर की फसलों, भवनों, संरचनाओं या अन्य संपत्ति को अनावश्यक या अपरिहार्य नुकसान किये बिना या किये जाने की अनुज्ञा दिये बिना, प्राप्त करेगा/करेंगे, उनके संबंध में कार्य करेगा/करेंगे तथा विकास करेगा/करेंगे. इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए संक्रियाओं में खान के संबंध में मशीनरी स्थापित करना, ट्रामपथ बिछाना या किसी रास्ते का निर्माण करना सम्मिलित हैं.

4. सरकार को समस्त दावों के विरुद्ध क्षतिपूरित रखा जाएगा— पट्टेदार, ऐसे समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिये, जो इस पट्टे द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके/उनके द्वारा किये गये हों, उस विषय पर प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसा युक्तियुक्त हरजाना तथा प्रतिकर देगा तथा उनको भुगतान करेगा/करेंगे जो कि विधियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाय और ऐसे समस्त दावों के तथा उसके बारे में समस्त लागत तथा खर्च के विरुद्ध ऐसे किसी नुकसान, क्षति या विघ्न के संबंध में जो किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किये जाएं, राज्य सरकार को क्षतिपूरित करेगा/करेंगे और पूर्णरूप से तथा संपूर्णतः क्षतिपूरित रखेगा/रखेंगे.

5. गड्डे इत्यादि को सुरक्षित करना तथा अच्छी हालत में रखना— पट्टेदार, इस पट्टे के अस्तित्व में रहने के दौरान समस्त गड्डे तथा खदानों को, जो कि उक्त भूमियों में बनाये जायं, या उपयोग में लाये जायें, इमारती लकड़ी या अन्य टिकाऊ साधनों से अच्छी तरह से तथा पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा/रखेंगे और उसे प्रत्येक गड्डे या खदान के चाहे वह परित्यक्त हो अथवा न हो, इर्दगिर्द, कलेक्टर के समाधान पर्यन्त बाड़ लगाएगा/लगाएंगे तथा उसे संधारित करेगा/करेंगे और उस अवधि के दौरान, उक्त भूमियों में की समस्त खदानों को सिवाय ऐसी खदानों के, जो परित्यक्त कर दी गई हैं, यथासंभाव जल से तथा दूषित वायु से मुक्त रखेगा/रखेंगे.

6. खान को आवश्यक सीमा तक मजबूत करना तथा संभालना— पट्टेदार, यथास्थिति, संबंधित रेल प्रशासन या राज्य सरकार के समाधानपर्यन्त खान के किसी भाग को, जो कि उसकी राय में किसी रेलपथ, जलाशय, नहर, रास्ते तथा किसी अन्य सार्वजनिक कार्य या संरचना की सुरक्षा के लिए ऐसा मजबूतीकरण या संभाल अपेक्षित है, मजबूत करेगा/करेंगे तथा संभाल करेगा/करेंगे.

7. खदानों का निरीक्षण अनुज्ञात किया जाना— पट्टेदार, निरीक्षण, परीक्षण सर्वेक्षण, पूर्वक्षण करने और उसके नक्शे बनाने, नमूने लेने तथा कोई आंकड़े एकत्र करने के प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को परिसर में, जिसमें कोई भवन, उत्खनन या पट्टे में समाविष्ट भूमि सम्मिलित है, प्रवेश करने को अनुज्ञात करेगा/करेंगे और पट्टेदार उसके/उनके द्वारा नियोजित ऐसे योग्य व्यक्ति के साथ, जो खान से तथा कार्यों से परिचित हैं, ऐसे अधिकारी, अभिकर्ताओं, नौकरों तथा कर्मकारों को ऐसे प्रत्येक निरीक्षण करने में प्रभावी तौर पर सहायता करेगा/करेंगे और खदानों के कार्यकरण के संबंध में ऐसी समस्त सुविधाएं, जानकारी देगा/देंगे जो कि वे युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित करें और ऐसे समस्त आदेशों तथा विनियमों, जैसे कि केन्द्र या राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा, समय-समय पर अधिरोपित करना उचित समझे, के अनुरूप अनिवार्य रूप से कार्य करेगा/करेंगे तथा उनका अनुपालन करेगा/करेंगे।

8. दुर्घटना की रिपोर्ट की जाना— पट्टेदार, बिना विलंब के कलेक्टर को किसी ऐसी दुर्घटना की एक रिपोर्ट भेजेगा/भेजेंगे जो इस पट्टे के अधीन संक्रियाओं के अनुक्रम में हुई हो जिनके कारण मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति या संपत्ति में गंभीर क्षति कारित की गई हो या जो जीवन या संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या संकटापन्न करने वाली हो।

9. अन्य खनिजों के अन्वेषण की रिपोर्ट की जाना— पट्टेदार, पट्टा क्षेत्र में ऐसे किसी खनिज को, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, अन्वेषण की रिपोर्ट ऐसे प्रत्येक उपलब्धि के स्वरूप तथा स्थिति के बारे में पूर्ण विवरण के साथ कलेक्टर को अविलंब देगा/देंगे। यदि ऐसा कोई खनिज, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, पट्टा क्षेत्र में अन्वेषित किया जाता है, तो पट्टेदार ऐसे खनिज को तब तक प्राप्त नहीं

*Attested*

Page 7 of 14  
उप संचालक (खनिज प्रशासन)  
जिला-सतना (MOPRO)

82

करेगा/करेंगे और उसका निपटारा नहीं करेगा/करेंगे जब तक कि ऐसे खनिज को पट्टे में सम्मिलित न कर लिया जाय या उसके लिए एक पृथक पट्टा अभिप्राप्त न कर लिया जाय।

10. उत्पाद तथा कर्मचारियों इत्यादि के बारे में अभिलेखों तथा लेखाओं का रखा जाना—पट्टेदार उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर ऐसे कार्यालय में, जो उक्त भूमियों पर या उसके निकट स्थित हो, लेखाओं की सही तथा बोधगम्य ऐसी लेखी पुस्तकें, रखेगा/रखेंगे या रखवाएगा/रखवाएंगे, जिनमें निम्नलिखित के संबंध में समय-समय पर सही प्रविष्टियां अंतर्विष्ट होंगी :

- (1) उक्त भूमियों से प्राप्त उक्त खनिज/खनिजों की मात्रा तथा प्रकार
- (2) उन खनिज/खनिजों को, जिनका विक्रय तथा निर्यात किया गया हो, मात्राएं तथा विभिन्न प्रकार, पृथक-पृथक रूप से.
- (3) अन्यथा निपटाये गये विभिन्न प्रकारों के उक्त खनिज/खनिजों की मात्राएं और ऐसे निपटारे की रीति तथा प्रयोजन.
- (4) उक्त खनिज/खनिजों के समस्त विक्रयों की कीमतें तथा अन्य समस्त विवरण.
- (5) उक्त भूमियों पर खानों या कार्यों में नियोजित व्यक्तियों, की संख्या, तकनीकी कार्मिकों की राष्ट्रीयता, अर्हताएं तथा वेतन विनिर्दिष्ट करते हुए.
- (6) ऐसे अन्य तथ्य, विशिष्टियां तथा परिस्थितियां, जिनके बारे में केन्द्र या राज्य सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करें और ऐसे अधिकारियों को ऐसे समयों पर, जैसा कि केन्द्र या राज्य सरकार नियत करे, ऐसी समस्त या किन्हीं लेखा पुस्तकों के असली तथा सही संक्षिप्त सार और पूर्वोक्त समस्त या किसी विशय के बारे में ऐसी जानकारी, विवरणियां, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, निःशुल्क प्रस्तुत करेगा/करेंगे तथा ऐसे युक्तियुक्त समयों पर ऐसे अधिकारियों को, जैसा कि केन्द्र या राज्य सरकार उस निमित्त नियुक्त करे, उक्त लेखा-पुस्तकों, रेखाकों तथा अभिलेखों का परीक्षण तथा निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपियां तथा उनके उद्धरण तैयार करने के प्रयोजनों के लिए उक्त कार्यालयों में प्रवेश करने तथा उन तक अबाध पहुंच रखने के लिए अनुज्ञात करेगा/करेंगे.

11. रेखांक इत्यादि संधारित करना— पट्टेदार, उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर खान कार्यालय में उक्त भूमियों की खानों के सही, बोधगम्य, आदिनांक तथा संपूर्ण रेखांक संधारित करेगा/करेंगे. पट्टे के अधीन उक्त रेखांक में उसके/उनके द्वारा की गई समस्त संक्रियाएं तथा खुदाई और उसके/उनके द्वारा की गई संक्रियाओं के अनुक्रम में उसके/उनके द्वारा की गई समस्त खाइयां, गड्ढे तथा भू-वैज्ञानिक आंकड़े दर्शाये जायेंगे और ऐसे समस्त रेखांक, उस प्रयोजन के लिए किये जाने वाले ऐसे वास्तविक सर्वेक्षण से और उसके द्वारा जो कि बारह मास या किसी ऐसी कालावधि के अंत में, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, संशोधित किये जायेंगे तथा भरे जायेंगे और पट्टेदार, राज्य सरकार को जब कभी अपेक्षित किये जाएं, ऐसे रेखाकों की सही तथा ठीक प्रतिलिपियां निःशुल्क प्रस्तुत करेगा/करेंगे. समस्त खाइयों, गड्ढों के शुद्ध अभिलेखों में—

- (क) वह अवमृदा तथा स्तर (स्ट्राटा) जिसमें वे हैं;
- (ख) कोई खनिज जो मिला है;
- (ग) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हित का कोई अन्य विषय और समस्त आंकड़े; दर्शाए जायेंगे। -

पट्टेदार इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को समस्त युक्तियुक्त समयों पर उसका निरीक्षण करना अनुज्ञात करेगा/करेंगे. ब कभी राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय, उस क्षेत्र

At Deivoli

उप संचालक (खनिज प्रशासन) Page 8 of 14  
जिला-सतना (म०प्र०)

33

का एक ऐसा संयुक्त रेखांक भी प्रदाय करेगा/करेंगे जिसमें मोटाई, झुकाव, ढाल इत्यादि के साथ-साथ भण्डार के प्रकार के अनुसार मात्रा दर्शाई जाएगी।

12. तृतीय पक्षों को हुई क्षति के लिए प्रतिकर का भुगतान— पट्टेदार इस विलेख द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति या संपत्ति के किये गये समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिए युक्तियुक्त तथा समाधानकारक प्रतिकर देगा तथा उसका भुगतान करेगा/करेंगे और समस्त समयों पर ऐसे समस्त वादों, दावों तथा मांगों के लिए तथा उनके विरुद्ध जो कि ऐसे किसी नुकसान, क्षति या विघ्न के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किये जाएं, राज्य सरकार को हानिरहित रूप से बचाएगा और क्षतिपूरित रखेगा. शासकीय भूमि की दशा में क्रमशः 10 तथा 20 वर्षीय पट्टों के मामले में, पट्टेदार भू-राजस्व के 30 तथा 60 गुना के बराबर प्रतिकर का भुगतान करेगा/करेंगे.

13. अन्य खनिजों की खुदाई में बाधा नहीं पहुँचाई जाएगी— पट्टेदार एतद्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं तथा शक्तियों का ऐसी रीति में प्रयोग करेगा/करेंगे कि जिससे उक्त भूमियों के भीतर ऐसे किसी खनिज का, जो इस पट्टे में सम्मिलित नहीं है, के विकास तथा खुदाई में कोई अनावश्यक या युक्तियुक्त रूप से परिहार्य कोई बाधा या अवरोध न हो और समस्त समयों पर, यथास्थिति, उक्त भूमियों से निकट किसी भूमि में किसी ऐसे खनिजों या किन्हीं खनिजों के संबंध में, केन्द्र और राज्य सरकार तथा पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियों या उत्खनन पट्टों के धारकों को ऐसे खनिजों को प्राप्त करने, खुदाई करने, विकास करने तथा उनको ले जाने के प्रयोजन के लिए उन तक उक्त भूमियों के ऊपर तथा उसके आरपार युक्तियुक्त पहुंच मार्ग तथा सुरक्षित और सुविधाजनक पथ प्रदान करेगा/करेंगे :

परन्तु यह कि पट्टेदार, ऐसे पट्टेदारों या पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियों के धारकों द्वारा ऐसे पथ के उपयोग के कारण या परिणामस्वरूप उसे/उन्हें किसी नुकसान या क्षति के लिए युक्तियुक्त प्रतिकर प्राप्त करेगा/करेंगे।

14. पट्टे का अंतरण (Transfer)— पट्टेदार, मंजूरी प्राधिकारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना—

(क) उत्खनन पट्टा या उसमें के किसी अधिकार, हक या हित को समनुदेशित नहीं करेगा/करेंगे, उप-पट्टे पर नहीं देगा/देंगे, बंधक नहीं करेगा/करेंगे या किसी भी रीति से अंतरित नहीं करेगा/करेंगे, या

(ख) ऐसा कोई ठहराव, संविदा या समझौता नहीं करेगा/करेंगे जिसके द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों का सारवान सीमा तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से वित्त पोषण होगा जिसके द्वारा या जिसके अधीन पट्टेदार की सक्रियाएं या कारबार सारवान रूप से पट्टेदार/पट्टेदारों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की निकाय द्वारा नियंत्रित की जायें,

(ग) मंजूरी प्राधिकारी एक लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय पट्टे को पर्यवसित कर सकेगा यदि उसकी राय में पट्टेदार/पट्टेदारों ने ऊपर दिये गये उपबंधों से किसी भी उपबंध का भंग किया है या नियम 35 में दिये गये अनुसार के सिवाय पट्टे या उसमें के किसी अधिकार, हक या हित का अंतरण किया है परन्तु यह कि ऐसा कोई भी आदेश पट्टेदार/पट्टेदारों को उसका/उनका कथन करने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा.

15. पट्टेदार आवश्यक अतिरिक्त रकम जमा करेगा— जब कभी रूपये ...../— का प्रतिभूति निक्षेप या उसका कोई भाग या प्रतिभूति-निक्षेप की पुनः पूर्ति करने, राज्य सरकार के पास इसमें इसके पश्चात् जमा की गई और रकम समपद्धत की जाय या इसमें इसके पश्चात् घोषित शक्ति के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा उपयोग की जाये, तब पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और रकम

*A. K. Divesh*

उप संचालक (स्वातंत्र्य प्रशासन) of 14,  
जिला-सतना (मोटा)

34

जमा करेगा/करेंगे जो कि प्रतिभूति रकम के अधिविनियोजित भाग के साथ मिलकर राज्य सरकार के पास जमा रकम को रूपये ...../- तक लाने के लिए पर्याप्त हो.

16. पट्टे का पर्यवसान किये जाने पर अच्छी हालत में खदान की राज्य सरकार को सुपुर्दगी— पट्टेदार उक्त अवधि या उसके नवीकरण का अवसान होने पर या ऐसी अवधि के पहले उसका पर्यवसान कर दिये जाने पर, राज्य सरकार को समस्त खाने, गड्डे, जलमार्ग और अन्य कार्य जो अब विद्यमान हैं या जो इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि पर खोदे जाने वाले हैं या उस पर या उसके अधीन बनाये जाने वाले हैं, सिवाय उनके जिनका राज्य सरकार की मंजूरी से परित्याग कर दिया गया है और किसी सामान्य या उचित कार्यकरण वाले समस्त इंजिनों, मशीनरी, संयंत्र, भवनों, संरचनाएं, अन्य कार्य तथा सुविधाएं, जो कि उक्त अवधि के प्रारंभ होने के समय उक्त भूमि पर या उसके नीचे थे, तथा पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा स्थापित ऐसी समस्त मशीनरी जो कि खानों को क्षति पहुंचाये बिना निकाली नहीं जा सकती या उक्त भूमि के नीचे के खुदाई कार्य (सिवाय उसमें से ऐसे जो राज्य सरकार की मंजूरी से काम में न लाने वाले हो गये हैं) और पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा भूतल के ऊपर ईंटों या पत्थर से बनाये गये समस्त भवन तथा संरचनाएं, अच्छी मरम्मत की हालत में तथा दशा में और उक्त खानों का तथा उक्त खनिजों की ओर खुदाई के लिए समस्त दृष्टि से उपयुक्त हों, सुपुर्द करेगा/करेंगे.

17. अग्रक्रय का अधिकार— (क) राज्य सरकार को, उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर तथा समस्त समयों पर एतद्द्वारा अंतरित उक्त भूमियों में पड़े उक्त खनिजों या पट्टेदार/पट्टेदारों के नियंत्रण में और कहीं पड़े हुए उक्त खनिजों को अग्रक्रय करने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेदार/पट्टेदारों को लिखित सूचना देकर किया जायेगा) और पट्टेदार संभव समस्त शीघ्रता से समस्त खनिजों को या इस उपबंध के अधीन, राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गये उत्पाद या खनिजों को, ऐसी मात्रा में, ऐसे समयों पर, ऐसी रीति में तथा ऐसे स्थान पर, जो कि उक्त अधिकारों का प्रयोग करने बाबत सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, सुपुर्द करेगा/करेंगे.

(ख) राज्य सरकार द्वारा, एतद्द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए अग्रक्रय में लिये गये समस्त खनिजों या खनिजों के उत्पादों की भुगतान की जाने वाली कीमत वह होगी जो अग्रक्रय के समय विद्यमान उचित बाजार कीमत हो :

परन्तु यह कि उक्त उचित बाजार कीमत की संगणना करने में सहायता करने की दृष्टि से पट्टेदार, यदि ऐसी अपेक्षा की जाय, राज्य सरकार को, उसकी गोपनीय जानकारी के लिए अन्य ग्राहकों को, बेचे गये उक्त खनिजों या उनके उत्पादों की मात्राओं, वर्णनों तथा कीमतों के और मालभाड़े के लिए, उसका वहन करने के लिए किये गये भाटक-पत्र (चार्टर) के विवरण प्रस्तुत करेगा/करेंगे और ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निदेशित किया जाय, ऐसे खनिजों या उत्पादों के विक्रय या मालभाड़े के लिए पक्षकारों द्वारा की गई संविदाओं तथा भाटक-पत्रों की मूल या अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करेगा/करेंगे।

(ग) युद्ध स्थिति या आपाल-काल के विद्यमान रहने की दशा में (जिसके विद्यमान रहने के बारे में भारत के राष्ट्रपति एकमात्र निर्णायक रहेंगे और भारत के राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना निश्चायक सबूत होगी) राज्य सरकार की केन्द्रीय सरकार की सहमति से, उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर तथा समस्त समयों पर उक्त भूमियों पर या उनके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों के कार्यों, संयंत्र, मशीनरी तथा परिसर का या इस पट्टे के अधीन संक्रियाओं का तत्काल कब्जा तथा नियंत्रण लेने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेदार/पट्टेदारों को एक लिखित सूचना द्वारा किया जाएगा) और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान पट्टेदार ऐसे कार्यों, संयंत्रों, परिसरों तथा खनिजों के उपयोग करने या उन्हें काम में लाने के बारे में केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिये गये समस्त निदेशों का अनुपालन तथा पालन करेगा/करेंगे :

उप संचालक (स्वनिज प्रशासन)  
जिला-सतना (MOPRO)  
Page 10 of 14

AH Devised

35

परन्तु यह कि ऐसे उचित प्रतिकर का, जो कि राज्य सरकार द्वारा करार करने में व्यतिक्रम किये जाने पर उसके द्वारा अवधारित किया जाय, पट्टेदार/पट्टेदारों को, इस खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में या उसके परिणमस्वरूप उसे/उन्हें हुए समस्त हानि या नुकसान का भुगतान किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग, एतद्वारा प्रदान की गई उक्त अवधि को पर्यवसित नहीं करेगा या इस विलेख के निबंधनों तथा उपबंधों को, इस खण्ड के उपबंधों को प्रभावशील करने के लिये आवश्यकता से अधिक प्रभावित नहीं करेगा।

18. राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली— यदि कोई ऐसे कार्य या विषय जो कि उस निमित्त इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट प्रसंविदाओं के अनुसार पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा किये जाने हैं या उनका पालन किया जाना है, उस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर नहीं किये जाते हैं या उनका पालन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार उन्हें करवा सकेगी या उनका पालन करवा सकेगी और पट्टेदार, मांग की जाने पर, राज्य सरकार को ऐसे समस्त व्ययों का भुगतान करेगा/करेंगे, जो कि इस प्रकार कार्य किये जाने या उनका अनुपालन किये जाने में किये गये हों तथा ऐसे व्ययों के संबंध में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

19. अन्य बाध्यताएं (Obligations)— (क) पट्टेदार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से अन्यून मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा/करेंगे।

(ख) पट्टेदार, खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा/करेंगे।

(ग) पट्टेदार स्वयं के व्यय पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, भूमि का पुनरुद्धार, प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों का उपयोग जैसे उपाय और ऐसे अन्य उपाय करेगा/करेंगे जैसे कि कलेक्टर द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें।

(घ) पट्टेदार, नियमों में निर्धारित तारीख पर तथा रीति में भूमि के अधिभोगी को प्रतिकर का भुगतान करेगा/करेंगे।

(ङ) पट्टेदार, नियोजन के विशय में, जनजातियों तथा स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा/देंगे।

(च) पट्टेदार नियमों में यथा उपबंधित विधिमान्य अभिवहन पास के बिना पट्टा क्षेत्र से कोई खनिज या उसके उत्पाद का परिवहन नहीं करेगा/करेंगे।

### भाग आठ—राज्य सरकार की प्रसंविदाएं (Covenants)

1. पट्टेदार अधिकारों को निर्बाध रूप से धारण कर सकेगा/सकेंगे तथा उनका उपभोग कर सकेगा/सकेंगे— पट्टेदार, एतद्वारा आरक्षित भाटकों तथा स्वामिस्वों का भुगतान करने पर और इसमें अंतर्विष्ट समस्त प्रसंविदाओं तथा करारों का पालन तथा संपादन करने पर या पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से पालन तथा संपादन किये जाने पर, ऐसे अधिकारों तथा परिसरों का, जो एतद्वारा, पट्टान्तरित किये गये हैं तथा ऐसी अवधि के दौरान, जो कि, एतद्वारा, प्रदान की जाती है, राज्य सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उसके अधीन दावा करे, बिना किसी अवैध विघ्न के धारण करेगा/करेंगे या धारण कर सकेगा/कर सकेंगे और उनका उपभोग करेगा/करेंगे या उपभोग कर सकेगा/कर सकेंगे।

2. तृतीय पक्षों की भूमि का अर्जन तथा उसका प्रतिकर— यदि, इस अनुसूची के भाग-सात के खण्ड 4 के उपबंध के अनुसार, पट्टेदार, उक्त भूमियों के किसी भाग की सतह के दखलकार को किसी नुकसान या क्षति के लिए, जो कि पट्टेदार/पट्टेदारों की प्रस्तावित संक्रियाओं के कारण उद्भूत

*A. D. D. D.*

Page 11 of 14  
 राज्य सरकार (स्वामिस्व प्रशासक)  
 जिला-सतलुज (पट्टा)

36

की प्रतिकर देने की प्रस्थापना करे और उक्त दखलकार राज्य सरकार को आरक्षित तथा इस विलेख द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को पट्टान्तरित किये गये हैं अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करने में अपनी सहमति देने से इंकार करे तो पट्टेदार इस विषय की रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा/करेंगे और उसके पास वह रकम जमा करेगा/करेंगे जो कि प्रतिकर के रूप में प्रस्थापित की थी और यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिकर की प्रस्थापित रकम उचित तथा युक्तियुक्त है या यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है और पट्टेदार/पट्टेदारों ने उसके पास ऐसी और रकम, जैसी कि राज्य सरकार उचित तथा युक्तियुक्त समझे, तो राज्य सरकार दखलकार को यह आदेश देगी कि वह पट्टेदार/पट्टेदारों को उस भूमि में प्रवेश करना और ऐसी संक्रियाएं करना अनुज्ञात करे, जैसी कि इस पट्टे के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, ऐसे प्रतिकर की रकम का निर्धारण करने में राज्य सरकार, भूमि अर्जन अधिनियम के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी।

3. नवीकरण किया जाना— नियमों के उपबंधों की शर्तों के अनुसार उत्खनन पट्टा नवीकरण किये जाने योग्य है।

4. पट्टा पर्यवसित करने की स्वतंत्रता— (1) पट्टेदार, मंजूरी प्राधिकारी को कम से कम छः कलेण्डर मास की एक लिखित सूचना देकर इस पट्टे को किसी भी समय पर्यवसित कर सकेगा/कर सकेंगे और ऐसी सूचना का अवसान होने पर, यदि पट्टेदार ऐसा अवसान होने पर समस्त भाटकों, स्वामिस्वों, नुकसानों के लिए प्रतिकर और ऐसा धन देगा/देंगे और उसका भुगतान करेगा/करेंगे जो कि उस समय शोध्य हों तथा इस विलेख कि अधीनस्थ पट्टाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को देय है और इस विलेख को राज्य सरकार को परिदत्त करेगा, तब यह पट्टा तथा उक्त अवधि और एतद्द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार आत्यंतिक रूप से समाप्त हो जायेंगे तथा पर्यवसित हो जायेंगे किन्तु वे, इस विलेख में अंतर्विष्ट किन्हीं प्रसंविदाओं या करार के किसी भंग के संबंध में पट्टाकर्ता के किसी अधिकार या उपचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

(2) मंजूरी, प्राधिकारी, पट्टेदार द्वारा किए गये आवेदन पर उसे उसके पट्टे से, जो कि खनिजों के समूह के लिए है, एक या अधिक खनिजों का इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उस खनिज के भण्डार अब इस सीमा तक निःशेष हो चुके हैं या उनका इस सीमा तक ह्रास हो गया है कि उस खनिज के बारे में कार्य करना आर्थिक रूप से और आगे संभव नहीं है, अभ्यर्पित करने की अनुज्ञा देगा, कि पट्टेदार

(क) ऐसे खनिज के अभ्यर्पण के लिए आवेदन ऐसी आशयित तारीख के कम से कम छः माह पूर्व करेगा, और

(ख) यह वचन देता है कि वह, इस प्रकार अभ्यर्पित खनिज के बारे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे उस खनिज के लिए बाद में उत्खनन पट्टा प्रदान किया गया है, की जाने वाली खुदाई में कोई रुकावट कारित नहीं करेगा।

5. प्रतिभूति निक्षेपों की प्रतिदाय— इस पट्टे या उसके किसी नवीकरण का पर्यवसान होने के पश्चात् ऐसी तारीख को जिसे कलेक्टर चयन करे, इस पट्टे के संबंध में भुगतान की गई प्रतिभूति निक्षेप की रकम का, जो राज्य सरकार के पास जमा है और जिसका उपयोजन इस पट्टे में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित नहीं है, पट्टेदार/पट्टेदारों को प्रतिदाय कर दी जाएगी, प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं होगा।

### भाग नौ— सामान्य उपबंध

1. निरीक्षण में बाधाएं— इस मामले में, जहां पट्टेदार या उसका/उनके अंतरिती, समनुदेशिती उन अधिकारियों द्वारा, जो उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये गये हैं, प्रवेश किये जाने या निरीक्षण किये जाने को अनुज्ञात नहीं करता है, तो कलेक्टर, पट्टेदार/पट्टेदारों को

*A. O. D. V. S.*

Page 12 of 14  
उप संचालक (खनिज प्रशासन)  
जिला-सतना (MOPD)

37

सूचना देगा तथा उससे/उनसे यह अपेक्षा करेगा कि वह/वे ऐसे समय के भीतर, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, यह कारण बतलाए कि पट्टा क्यों न पर्यवसित कर दिया जाय तथा उसका/उनके प्रतिभूति निक्षेप क्यों न समपहृत कर लिये जाएं, और यदि पट्टेदार उपरोक्त समय में मंजूरी प्राधिकारी को समाधानपर्यन्त कारण बतलाने में असफल रहता है/रहते हैं तो वह पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा प्रतिभूति निक्षेप की सम्पूर्ण राशि या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगा।

2. स्वामिस्व (Royalty) का भुगतान करने में व्यतिक्रम (Defaults) करने तथा प्रसंविदाओं का भंग करने के मामले में शास्ति— यदि पट्टेदार या उसका/उनके अंतरिती या समनुदेशिती नियमों, अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित भाटक या स्वामिस्व का भुगतान करने में व्यतिक्रम करता है/करते हैं या शर्तों में से किसी शर्त तथा प्रसंविदा का, उन शर्तों को छोड़कर, जो कि ऊपर प्रसंविदा 1 में निर्दिष्ट हैं, भंग करता है/करते हैं, तो कलेक्टर, पट्टेदार/पट्टेदारों से यह अपेक्षा करते हुए एक सूचना देगा कि वह/वे यथास्थिति, भाटक, स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उपचार, सूचना की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर करे/करें और यदि ऐसे समय के भीतर भाटक तथा स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उपचार नहीं किया जाता है, तो मंजूरी प्राधिकारी ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कि उसके/उनके विरुद्ध की जा सकती है, पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा प्रतिभूति निक्षेप की संपूर्ण राशि या उसका कोई भाग समपहृत कर सकेगा या नियमों में यथा उपबधित शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

3. अपरिहार्य घटना के कारण पट्टे की शर्तों की पूर्ति करने में असफलता— पट्टे/पट्टेदारों द्वारा इस पट्टे की शर्तों में से किसी भी शर्त की पूर्ति करने में असफल रहने पर राज्य सरकार पट्टेदार/पट्टेदारों के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेगी या ऐसी असफलता को इस पट्टे का भंग नहीं समझा जाएगा, जहां तक कि ऐसी असफलता को उस सरकार द्वारा अपरिहार्य घटना के कारण उद्भूत होने वाली समझा जाता है और यदि अपरिहार्य घटना के कारण पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस पट्टे की शर्तों तथा निबंधनों में से किसी शर्त तथा निबंधन की पूर्ति में विलम्ब होता है, तो ऐसे विलम्ब की अवधि को इस पट्टे द्वारा नियत की गई कालावधि में जोड़ दिया जाएगा. इस खण्ड में अभिव्यक्त "अपरिहार्य घटना" से अभिप्रेत है, दैवीकृत, युद्ध, विप्लव, बलवा, सिविल, अशांति, हड़ताल, भूकम्प, ज्वार भाटा, तूफान, ज्वारिया लहर, बाढ़, तड़ित (लायटनिंग) विस्फोट, आग या अन्य कोई ऐसी घटना जिसे पट्टेदार युक्तियुक्त रूप से निवारित या नियंत्रित नहीं कर सकता था/कर सकते थे।

4. पट्टे का अवसान होने पर पट्टेदार उसकी/उनकी संपत्ति हटा लेंगे— पट्टेदार, इस विलेख के कारण देय भाटकों तथा स्वामिस्वों का प्रथमतः भुगतान करने पर तथा उन्हें उन्मोचित करने पर उक्त अवधि का अवसान होने के पश्चात् या उसका पूर्वतर पर्यवसान किये जाने के पश्चात् या उसके पश्चात् तीन कलेण्डर माह के भीतर (जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड 1 तथा 2 के अधीन पर्यवसित न कर दिया जाए और उस मामले में, पंद्रह दिन से कम न होने वाले समय में किसी भी समय, ना कि ऐसे पर्यवासन से तीन कलेण्डर माह के भीतर) उसके/उनके फायदे के लिए समस्त या किसी इंजिन, मशीनरी, संयंत्र, भवन, संरचना, ट्रामपथ तथा अन्य किसी कार्य, परिनिर्माण और सुविधाओं को, जो कि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा उक्त भूमियों में या उन पर खड़े किये गये हों, स्थापित किये गये हों, या रखे गये हों, और जिन्हें पट्टेदार इन नियमों के अधीन राज्य सरकार का परिदत्त करने के लिए बाध्य नहीं है/नहीं हैं, उठाए जा सकेंगे तथा हटाए जा सकेंगे।

5. पट्टा पर्यवसित किये जाने के तीन मास से अधिक समय के पश्चात् रहने दी गई सम्पत्ति समपहरण— यदि उक्त अवधि के अवसान या इस अनुसूची के भाग-आठ के खण्ड 4 में अंतर्विष्ट उपबंध के अधीन उस अवधि के पूर्वतर पर्यवसान के प्रभावी होने से तीन कलेण्डर माह के अंत में उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजिन, मशीनरी, संयंत्र भवन, संरचनाएं, ट्रामपथ, तथा अन्य कार्य, परिनिर्माण तथा सुविधाएं या अन्य संपत्ति, जो कि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा, उत्खनन पट्टे के अधीन उसके

*A. Daniel*

Page 13 of 14  
संचालक (खनिज प्रशासन)  
जिला-एतना (न०प्र०)

38

उनके द्वारा धारित किन्हीं अन्य भूमियों में किये जाने वाले संकायों के संबंध में अपेक्षित नहीं है, तो वे उन्हें हटाया जाने की अपेक्षा करते हुए कलेक्टर द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों दी गई लिखित सूचना के पश्चात् यदि एक कलेण्डर माह के भीतर न हटाये जायें, तो वे उनके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई प्रतिकर देने या इस बाबत उन्हें कैफियत देने के दायित्व के बिना राज्य सरकार की संपत्ति समझे जायेंगे तथा वे ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार उचित समझे, विक्रय किये जा सकेंगे या उनका निपटारा किया जा सकेगा।

6. यह पट्टा सतना में निष्पादित किया गया है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन, पट्टेदार और पट्टाकर्ता के बीच, एतद्वारा, यह करार किया जाता है कि पट्टे के अधीन क्षेत्र, पट्टे की शर्त, पट्टे के अधीन वसूलीय शोध्यों के संबंध में तथा पट्टेदार और पट्टाकर्ता के संबंध के बारे में कोई विवाद होने की दशा में, वाद (या अपीलें) सतना स्थित (नगर का नाम) के सिविल न्यायालयों में फाइल किये जायेंगे तथा यह स्पष्टतः करार किया जाता है कि ऊपर नामित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में कोई वाद फाइल करने या कोई कार्रवाई करने या कोई याचिका फाइल करने के लिए पक्षकारों में से कोई पक्षकार सक्षम नहीं होगा।

7. स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित क्षेत्र से प्रत्याशित स्वामिस्व रुपये ..... प्रतिवर्ष है.

जिसके साक्ष्य में यह विलेख, प्रथमतः ऊपर लिखी तारीख को इसके अधीन वर्णित रीति में निष्पादित किया गया है।

साक्षी:

- (1) Kuldip Chandra  
(2) Pawan K...

उप संचालक (स्विडिज प्रशासन)  
जिला-सतना (MOPO)

कलेक्टर  
जिला सतना (म.प्र.)  
राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिए तथा उनकी ओर से

.....  
द्वारा हस्ताक्षरित  
तारीख.....  
पट्टेदार A.H. Deivedi


तारीख .....

(हस्ताक्षरित तथा पदाभिधान)


(1) .....

(2) .....

ग्राम - रामनगर  
 तहसील - रामपुर बघेलान  
 जिला - सतना



- अविहित क्षेत्र



- स्वीकृत क्षेत्र  
 (2.0 हे.)

नोट:- यह नक्शा पूर्व से स्वीकृत क्षेत्र के नक्शे से देख कर बनाया गया है।

*[Signature]*


*[Signature]*  
 (अभिजित प्रसाद 1)  
 (म.व.)

*[Signature]*  
 अतिरिक्त  
 सतना (म.व.)

*[Signature]*  
 11/06/2020

40

ग्राम - रामनगर, प.स. रामनगर




डिजिटल नक्शे के अंतर्गत  
भाग क्षेत्र विमा।  
16/6/15

16/6/15  
[Signature]

सत्य-प्रतिवेदि

तहसीलदार  
तहसील कोटर  
जिला सतना (म.प्र.)



आवेदित क्षेत्र  
-11/10/2018  
आवे 59

ख. नं. रकबा (हे.)  
1289/1344/17 2.00

11/10/2018  
सहायक खनिज मानचित्रकार  
खनिज धार्या  
जिला सतना (म.प्र.)

41



# कार्यालय वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश

E-mail-[dfosatna@mpforest.org](mailto:dfosatna@mpforest.org)

Phone- 07672-223355

क्रमांक/मा.चि./ 12994  
प्रति,

सतना, दिनांक /14/12/2017

कलेक्टर (खनिज शाखा)  
जिला सतना (म.प्र.)

विषय:-ग्राम रामनगर तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना के कुल रकवा 2.00 हेक्टैयर पर प्राप्त उत्खनिपट्टा आवेदन क्रमांक/32/क्यूएल/2015 दिनांक 22.06.2015 के सम्बन्ध में अनापत्ति/ अभिमत दिये जाने बावत। आवेदक अम्बुज द्विवेदी पिता श्री मनोज कुमार द्विवेदी निवासी ग्राम जनार्दनपुर तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/1014/खनिज दिनांक 16.07.2015।

000

आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त ग्राम रामनगर तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना के खसरा क्रमांक 1289/1344/1/ग/1 रकवा 2.00 हे. पर उत्खनिपट्टा की जांच वन परिक्षेत्र अधिकारी सतना से कराई गई। वन परिक्षेत्राधिकारी सतना/ उपवनमण्डल अधिकारी सतना के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित क्षेत्र नजदीकी वन कक्ष क्रमांक आर0एफ0 759 से निकटतम दूरी 132 मीटर है। वन सीमा से 250 मीटर के अन्दर का रकवा 1.818 हेक्टेयर तथा 250 मीटर के बाहर का रकवा 0.182 हेक्टेयर है, जिसकी अनुशंसा उपवनमण्डल अधिकारी सतना द्वारा की गई है। खसरा क्रमांक 1289/1344/1/ग/1 रकवा 2.00 हेक्टेयर में से केवल 0.182 हेक्टेयर पर ही इस कार्यालय द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है। शेष रकवा 1.818 हेक्टेयर क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर के अन्दर का क्षेत्र होने से अनापत्ति दिया जाना सम्भव नहीं है। आवेदित क्षेत्र का जी0पी0एस0 निम्नानुसार है।

- (1) N 24° 36' 53.1" E 081° 04' 30.2" (2) N 24° 36' 52.5" E 081° 04' 37.2" (3) N 24° 36' 58.5" E 081° 04' 38.4" (4) N 24° 36' 58.7" E 081° 04' 36.0" (5) N 24° 36' 58.6" E 081° 04' 34.2" (6) N 24° 36' 59.1" E 081° 04' 31.6"

विषयांकित प्रकरण में आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर के अन्दर का क्षेत्र 1.818 हेक्टेयर एवं 250 मीटर के बाहर का क्षेत्र 0.182 हेक्टेयर है।

कृपया राजस्व अभिलेखों का भी परीक्षण कर लें कि यह भूमि वनभूमि के रूप में परिभाषित तो नहीं है अन्यथा वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

५

वनमण्डल अधिकारी  
वन मण्डल सतना

पृ.क्र./मा.चि./  
प्रतिलिपि-

सतना दिनांक/ / /2017

- 1 उप वन मण्डल अधिकारी उपवनमण्डल सतना की ओर सूचनार्थ।
- 2 वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र सतना की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डल अधिकारी  
वन मण्डल सतना

कार्यालय 'कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

क्रमांक राजस्व/4/3/ख.बै./2018/4493 रीवा, दिनांक 5 अक्टूबर 2018  
प्रति,

1. मुख्य वन संरक्षक,  
रीवा वृत्त रीवा।
2. कलेक्टर,  
जिला रीवा/सतना/सीधी/सिंगरौली।
3. वनमण्डलाधिकारी,  
जिला रीवा/सतना/सीधी/सिंगरौली।
4. खनिज अधिकारी,  
जिला रीवा/सतना/सीधी/सिंगरौली।

विषय:- वन सीमा से 250 मी० की परिधि में आने वाली भूमियों को खनि रियायत में स्वीकृति बावत बैठक का कार्यवाही विवरण।

—0—

विषयांतर्गत आयुक्त रीवा संभाग, रीवा की अध्यक्षता में दिनांक 03.10.2018 को वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा, कलेक्टर जिला रीवा एवं खनि अधिकारी रीवा की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिले के कलेक्टर, वन मण्डल अधिकारी एवं खनि अधिकारी से एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा की गई। बैठक में संभागीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय का कार्यवाही विवरण संलग्न कर भेजा जा रहा है। तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(कमिश्नर द्वारा आदेशित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अंजली द्विवेदी)

डिप्टी कमिश्नर(राजस्व)

रीवा संभाग, रीवा

पृ०क्रमांक राजस्व/4/3/खनि.बै./2018/4493 रीवा, दिनांक 5 अक्टूबर 2018  
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन वन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. सचिव, म०प्र० शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अंजली द्विवेदी)

डिप्टी कमिश्नर(राजस्व)

रीवा संभाग, रीवा

## कार्यालय कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

वन सीमा से 250 मीटर की परिधि के अंतर्गत आने वाली खनि रियायतों  
की संभाग स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 03.10.2018 का

### कार्यवाही विवरण

क्र० . राजस्व/4/3/2018/

दिनांक /10/2018

दिनांक 03.10.2018 को कार्यालय कलेक्टर रीवा के एन.आई.सी कक्ष में म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग के पत्र क्रमांक 19-9/2009/12-1, भोपाल दिनांक 07.08.2012 के अनुसार राज्य शासन द्वारा वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण की दृष्टि से वन क्षेत्र के बाहर लेकिन वन सीमा से 250 मीटर के अंदर की भूमि में खनिज की उपलब्धता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए खनि रियायत स्वीकृति के संबंध में विचार करने हेतु गठित समिति की बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। जिसमें आयुक्त रीवा, संभाग रीवा, मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा, कलेक्टर रीवा/सीधी/सतना/सिंगरौली, वन मण्डल अधिकारी जिला रीवा/सतना/सीधी/सिंगरौली एवं खनि अधिकारी सतना, प्रभारी अधिकारी खनिज रीवा, सहायक खनि अधिकारी सीधी, सहायक खनि अधिकारी सिंगरौली उपस्थित हुए। समिति द्वारा विषयांकित समस्त प्रकरणों के संबंध में प्रस्तुत प्रस्तावों का प्रकरणवार सूक्ष्म परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत लिये गये निर्णय की प्रकरणवार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है—

### जिला-सिंगरौली

प्रकरण क्रमांक 1.1— ग्राम महुगड़ी पवाई तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली के खसरा क्रमांक 55, 57, 58 रकबा 03.500 हे० क्षेत्र में आवेदित खनिज पत्थर (गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनिपट्टा क्षेत्र वन सीमा से 250 की परिधि में आने से निराकरण किये जाने के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	स्वीकृत क्षेत्र का ग्राम	खनिज का नाम	खसरा क्र. / कुल रकबा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
1.	के.वी. टेक्नो सल्यूशन प्रा. लिमि. डायरेक्टर विनय कुमार सिंह	महुगड़ी पवाई (चितरंगी)	पत्थर क्रेशर गिट्टी	55, 57, 58 03.500 हे०	वन मण्डल अधिकारी, जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 3554 दिनांक 16.09.2018 अनुसार वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 34 से आवेदित क्षेत्र की दूरी 108 मीटर प्रतिवेदित की गई है।	विचाराधीन प्रकरण में सर्व सम्मति से वन सीमा से 150 मीटर दूरी छोड़कर एवं स्थल पर वृक्षारोपण करने तथा चैनलिंग फेंसिंग कराये जाने की शर्त पर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रकरण क्रमांक 1.2— ग्राम पिपरवान तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली के खसरा क्रमांक 225/1/1, 225/1/3 रकबा 01.900 हे० क्षेत्र में आवेदित खनिज पत्थर (गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनिपट्टा क्षेत्र वन सीमा से 250 परिधि में आने से निराकरण किये जाने के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	स्वीकृत क्षेत्र का ग्राम	खनिज का नाम	खसरा क्र. / कुल रकबा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
2.	श्री गौरव सिंह बघेल	पिपरवान (चितरंगी)	पत्थर क्रेशर गिट्टी	225/1/1, 225/1/3 01.900 हे०	वन मण्डल अधिकारी, जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 3568 दिनांक 17.09.2018 अनुसार वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 12 से आवेदित क्षेत्र की दूरी 210 मीटर प्रतिवेदित की गई है।	विचाराधीन प्रकरण में सर्व सम्मति से वन सीमा से 210 मीटर दूरी छोड़कर एवं स्थल पर वृक्षारोपण करने तथा चैनलिंग फेंसिंग कराये जाने की शर्त पर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रकरण क्रमांक 1.3— ग्राम पिपरवान तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली के खसरा क्रमांक 225/1/1, 225/2/4, 225/1/5 रकबा 02.020 हे० क्षेत्र में आवेदित खनिज पत्थर (गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनिपट्टा क्षेत्र वन सीमा से 250 परिधि में आने से निराकरण किये जाने के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	स्वीकृत क्षेत्र का ग्राम	खनिज का नाम	खसरा क्र. / कुल रकबा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
3.	श्री गौरव सिंह बघेल	पिपरवान (चितरंगी)	पत्थर क्रेशर गिट्टी	225/1/1, 225/2/4, 225/1/5 02.020 हे०	वन मण्डल अधिकारी, जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 3569 दिनांक 17.09.2018 अनुसार वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 12 से आवेदित क्षेत्र की दूरी 90 मीटर प्रतिवेदित की गई है।	आवेदक से वन सीमा से 150 मीटर दूरी सुनिश्चित करने की सहमति एवं प्रकरण में पुनः परीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण क्रमांक 2.2- ग्राम भटेवरा (भटूरा) तहसील मैहर जिला सतना के खसरा क्रमांक 121/2 रकबा 01.303 हे० क्षेत्र में स्वीकृत खनिज चूनापत्थर हेतु खनिजपट्टा क्षेत्र वन सीमा से 250 परिधि में आने से निराकरण किये जाने के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	स्वीकृत क्षेत्र का ग्राम	खनिज का नाम	खसरा क्र. / गूल रकबा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
2.	आर.पी. नागरथ निवासी सिविल लाइन जिला कटनी	भटेवरा (भटूरा)	चूना पत्थर	121/2 1.303 हे०	दिनांक 08.08.2018 में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशानुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र मैहर/उपवनमण्डल अधिकारी मैहर के प्रतिवेदन अनुसार वन, राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त सर्वे सीमांकन किया गया। संयुक्त सर्वे सीमांकन उपरांत उक्त भूमि की दूरी वन सीमा से 250 मीटर तथा गूगल अर्थ के नक्शे के अनुसार नजदीकी वन सीमा से दूरी 349 मीटर पाई गई है।	वन्य प्राणी टाइगर की आवागमन को सुरक्षित करने के लिये आवेदक संस्थान द्वारा चैनलिंग एवं फेंसिंग कराने तथा संबंधित ग्राम वन समिति को टाइगर/वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं मानीटरिंग में व्यय होने वाली राशि दिये जाने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। कलेक्टर सतना स्थानीय वन समिति को आवेदक से जन भागीदारी के अंतर्गत आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करावे।

प्रकरण क्रमांक 2.3- ग्राम भटूरा, तहसील मैहर, जिला सतना के खसरा क्रमांक 117/1ख, 119/2 रकबा 02.696 हे० में स्वीकृत खनिजपट्टा खनिज चूनापत्थर हेतु क्षेत्र में वन सीमा से 250 मीटर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की वस्तुस्थिति के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	ग्राम	ख.नं.	रकबा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
3	अनिल नागरथ निवासी सिविल लाइन जिला कटनी	भटेवरा (भटूरा)	117/1ख 119/2	02.696 हे०	दिनांक 08.08.2018 में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशानुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र मैहर/उपवनमण्डल अधिकारी मैहर के प्रतिवेदन अनुसार वन, राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त सर्वे सीमांकन किया गया। संयुक्त सर्वे सीमांकन उपरांत उक्त भूमि की दूरी वन सीमा से 220 मीटर तथा गूगल अर्थ के नक्शे के अनुसार नजदीकी वन सीमा से दूरी 204 मीटर अर्थात् 250 मीटर के अंदर पाई गई है।	वन्य प्राणी टाइगर की आवागमन को सुरक्षित करने के लिये आवेदक संस्थान द्वारा चैनलिंग एवं फेंसिंग कराने तथा संबंधित ग्राम वन समिति को टाइगर/वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं मानीटरिंग में व्यय होने वाली राशि दिये जाने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। कलेक्टर सतना स्थानीय वन समिति को आवेदक से जन भागीदारी के अंतर्गत आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करावे।

**प्रकरण क्रमांक 1.4-** ग्राम केकरांव तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली के खसरा क्रमांक 779/1, 779/2, 785 रकबा 04.130 हे० क्षेत्र में आवेदित खनिज पत्थर (गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनिपट्टा क्षेत्र वन सीमा से 250 परिधि में आने से निराकरण किये जाने के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	स्वीकृत क्षेत्र का ग्राम	खनिज का नाम	खसरा क्र. / कुल रकबा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
4	सेसस एपेक्स माइनिंग पार्टनर पार्टनर लव कुमार सिंह	केकरांव (चितरंगी)	पत्थर केशर गिट्टी	779/1, 779/2, 785 04.130 हे०	वन मण्डल अधिकारी, जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 3653 दिनांक 20.09.2018 अनुसार वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 08 से आवेदित क्षेत्र की दूरी 140 मीटर प्रतिवेदित की गई है।	विचाराधीन प्रकरण में सर्व सम्मति से वन सीमा से 150 मीटर दूरी छोड़कर चैनलिंग फेंसिंग तथा वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त पर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-2**

**जिला-सतना**

**प्रकरण क्रमांक 2.1-** ग्राम भटेवरा (भटूरा) तहसील मैहर जिला सतना के खसरा क्रमांक 119/1 रकबा 01.463 हे० क्षेत्र में स्वीकृत खनिज पत्थर हेतु क्षेत्र वन सीमा से 250 परिधि में आने से निराकरण किये जाने के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	स्वीकृत क्षेत्र का ग्राम	खनिज का नाम	खसरा क्र. / कुल रकबा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
1.	नयाव मोहम्मद निवासी बस स्टैंड कैमोर जिला कटनी	भटेवरा (भटूरा)	चूना पत्थर	119/1 01.463 हे०	दिनांक 08.08.2018 में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशानुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र मैहर/उपवनमण्डल अधिकारी मैहर के प्रतिवेदन अनुसार वन, राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त सर्वे सीमांकन किया गया। संयुक्त सर्वे सीमांकन उपरांत उक्त भूमि की दूरी वन सीमा से 147 मीटर तथा गूगल अर्थ के नक्शे के अनुसार नजदीकी वन सीमा से दूरी 173 मीटर अर्थात् 250 मीटर के अंदर पाई गई है।	वन्य प्राणी टाइगर की आवागमन को सुरक्षित करने के लिये आवेदक संस्थान द्वारा चैनलिंग एवं फेंसिंग कराने तथा संबंधित ग्राम वन समिति को टाइगर/वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं मानीटरिंग में व्यय होने वाली राशि दिये जाने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। कलेक्टर सतना स्थानीय वन समिति को आवेदक से जन भागीदारी के अंतर्गत आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करावे।

प्रकरण क्रमांक 2.4— ग्राम भदूरा, तहसील मैहर, जिला सतना के खसरा क्रमांक 15/1पी रकबा 06.104 हे० में स्वीकृत खनिज खनिज चूनापत्थर हेतु क्षेत्र में वन सीमा से 250 मीटर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की वस्तुस्थिति के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	ग्राम	ख.नं.	रकबा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
4	श्री के०के० गौतम निवासी गौतम मोहल्ला जिला कटनी	भटेवरा (भदूरा)	15/1पी	06.104 हे०	खदान की वनसीमा से न्यूनतम दूरी 56 मीटर जो वनसीमा से 250 मीटर की परिधि में आने वाला कुल रकबा 06.050 हे० है।	विचाराधीन प्रकरण में सर्व सम्मति से समिति द्वारा प्रकरण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण क्रमांक 2.5— ग्राम चोरमारी, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना के खसरा क्रमांक 841/1/क/1 के रकबा 03.420 हेक्टेयर क्षेत्र में आवेदित खनिज पत्थर (गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनिज क्षेत्र वन सीमा से 250 की परिधि में आने से निराकरण किये जाने के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	ग्राम	खनिज	ख.नं. एवं रकबा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
5	श्री रोमित पाण्डेय	चोरमारी (रामपुर बघेलान)	पत्थर क्रेशर गिट्टी	841/1/क/1 03.420 हे०	वन संरक्षक, सामान्य वन मण्डल, जिला सतना से प्राप्त जानकारी अनुसार तहसील कोटर के ग्राम मझियार के ख.क्र. 841/1/क/1 वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 764 की वनसीमा से 210 मीटर की दूरी पर स्थित है।	विचाराधीन प्रकरण में सर्व सम्मति से वन सीमा से 210 मीटर दूरी छोड़कर चैनलिंग फेंसिंग तथा वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त पर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**प्रकरण क्रमांक 2.6-** ग्राम रामनगर, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना के खसरा क्रमांक 1289/1344/1/ग/1 के रकबा 02.000 हे० क्षेत्र में आवेदित खनिज पत्थर (गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनिपट्टा क्षेत्र वन सीमा से 250 की परिधि में आने से निराकरण किये जाने के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	ग्राम	खनिज	ख.नं. एवं रकबा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
6	श्री अम्बुज द्विवेदी	रामनगर (रामपुर बघेलान)	पत्थर क्रेशर गिट्टी	1289/1344/1/ग/1 02.000 हे०	वन संरक्षक, सामान्य वन मण्डल, जिला सतना से प्राप्त जानकारी अनुसार तहसील रामपुर बघेलान के ग्राम रामनगर के ख.क्र. 1289/1344/1/ग/1 वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 759 की वनसीमा से 132 मीटर की दूरी पर स्थित है।	विचाराधीन प्रकरण में सर्व सम्मति से वन सीमा से 132 मीटर दूरी छोड़कर चैनलिंग फोसिंग तथा वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त पर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**प्रकरण क्रमांक 2.7-** ग्राम कठौता, तहसील मझगवां, जिला सतना के खसरा क्रमांक 44 के रकबा 02.000 हेक्टेयर में खनिज मुरुम हेतु आवेदित उत्खनिपट्टा क्षेत्र वन सीमा से 250 की परिधि में आने से निराकरण किये जाने के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	ग्राम	खनिज	ख.नं. एवं रकबा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
7	श्रीमती प्रमिला देवी राग	कठौता (मझगवां)	मुरुम	44 02.000 हे०	वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल, जिला सतना से प्राप्त जानकारी अनुसार तहसील मझगवां के ग्राम कठौता के ख.क्र. 44 वन कक्ष क्रमांक 865 की वनसीमा से 90 मीटर की दूरी पर स्थित है।	विचाराधीन प्रकरण में सर्व सम्मति से वन सीमा से 100 मीटर दूरी छोड़कर चैनलिंग फोसिंग तथा वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त पर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रकरण क्रमांक 2.8— ग्राम कठौता, तहसील मझगवां, जिला सतना के खसरा क्रमांक 51 के रकबा 02.000 हेक्टेयर में खनिज मुरुम हेतु आवेदित उत्खनिपट्टा क्षेत्र वन सीमा से 250 की परिधि में आने से निराकरण किये जाने के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	ग्राम	खनिज	ख.नं. एवं रकबा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
8	श्रीमती रश्मि गर्ग	कठौता (मझगवां)	मुरुम	51 02.000 हे०	वन संरक्षक, सामान्य वन मण्डल, जिला सतना से प्राप्त जानकारी अनुसार तहसील मझगवां के ग्राम कठौता के ख.क्र. 51 वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 865 की वनसीमा से 140 मीटर की दूरी पर स्थित है।	विचाराधीन प्रकरण में सर्व सम्मति से वन सीमा से 150 मीटर दूरी छोड़कर चैनलिंग फेंसिंग तथा वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त पर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रकरण क्रमांक 2.9— ग्राम खखरा तहसील उचेहरा जिला सतना के खसरा क्रमांक 95 रकबा 0.522 हेक्टेयर क्षेत्र में आवेदित खनिज फर्शी पत्थर हेतु आवेदित नवीनीकरण उत्खनिपट्टा क्षेत्र वन सीमा से 250 की परिधि में आने से निराकरण किये जाने के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	ग्राम	खनिज	ख.नं. एवं रकबा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
9	श्री शीतल सिंह गोंड	खखरा (उचेहरा)	फर्शी पत्थर	95 0.522 हे०	वनमण्डलाधिकारी, जिला सतना से प्राप्त जानकारी अनुसार तहसील उचेहरा के ग्राम खखरा के ख.क्र. 95 वनसीमा बीट देवरी के आवेदित रकबा 0.522 हे. वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 354 की वन सीमा से 100 मीटर की दूरी पर अर्थात् 250 मीटर के अंदर स्थित है।	समिति द्वारा विषयांकित प्रकरण सर्व सम्मति से पुनः परीक्षण किये जाने का किये जाने का निर्णय लिया गया।

**प्रकरण क्रमांक 2.10-** ग्राम चूल्ही तहसील कोटर जिला सतना के खसरा क्रमांक 13/03 रकबा 04.000 हेक्टेयर क्षेत्र में आवेदित खनिज पत्थर (यांत्रिक क्रिया से गिट्टी निर्माण) हेतु आवेदित उत्खनिपट्टा क्षेत्र वन सीमा से 250 की परिधि में आने से निराकरण किये जाने के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	ग्राम	खनिज	ख.नं. एवं रकबा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
10	श्री पुष्पराज सिंह	चूल्ही (कोटर)	पत्थर क्रेजर गिट्टी	13/03 04.000 हे०	वनमण्डलाधिकारी, जिला सतना के पत्र क्रमांक 9989 दिनांक 29.09.2018 अनुसार तहसील कोटर के ग्राम चूल्ही के ख.क्र. 13/03 के आवेदित रकबा 04.000 हे० वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 781 से वन सीमा से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।	विचाराधीन प्रकरण में सर्व सम्मति से कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा के पत्र क्रमांक 3782 दिनांक 03.10.2018 में दशाये औचित्य के आधार पर शासकीय सड़क निर्माण कार्य में खनिज का उपयोग तथा वन सीमा से 50 मीटर की दूरी छोड़कर चैनलिंग फेंसिंग एवं वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त पर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**प्रकरण क्रमांक 2.11-** ग्राम चूल्ही तहसील कोटर जिला सतना के खसरा क्रमांक 8/क रकबा 01.898 हेक्टेयर क्षेत्र में आवेदित खनिज पत्थर (यांत्रिक क्रिया से गिट्टी निर्माण) हेतु आवेदित उत्खनिपट्टा क्षेत्र वन सीमा से 250 की परिधि में आने से निराकरण किये जाने के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	ग्राम	खनिज	ख.नं. एवं रकबा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
11	श्री शिवमंगल सिंह गौर	चूल्ही (कोटर)	पत्थर क्रेजर गिट्टी	8/क 01.898 हे०	वनमण्डलाधिकारी, जिला सतना के पत्र क्रमांक 9960 दिनांक 29.09.2018 अनुसार तहसील कोटर के ग्राम चूल्ही के ख.क्र. 8/क के आवेदित रकबा 01.898 हे० वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 781 से वन सीमा से 25 मीटर की दूरी पर स्थित है।	विचाराधीन प्रकरण में सर्व सम्मति से कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा के पत्र क्रमांक 3782 दिनांक 03.10.2018 में दशाये औचित्य के आधार पर शासकीय सड़क निर्माण कार्य में खनिज का उपयोग तथा वन सीमा से 50 मीटर की दूरी छोड़कर चैनलिंग फेंसिंग एवं वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त पर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

51

प्रकरण क्रमांक 4.5- जिला सीधी तहसील बहरी के ग्राम डढ़िया के खसरा क्रमांक 21 रकवा 03.000 हे० क्षेत्र में खनिज क्रेशर गिट्टी हेतु आवेदित उत्खनिपट्टा क्षेत्र में वन सीमा से 250 मीटर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की वस्तुस्थिति के संबंध में।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	ग्राम	खनिज	खसरा नं. एवं रकवा	प्रकरण की वस्तुस्थिति	निर्णय
5.	श्रीमती सुशीला तिवारी	डढ़िया (बहरी)	पत्थर क्रेशर गिट्टी	21 . 04.000 हे०	वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल सीधी के पत्र क्रमांक 350 दिनांक 13.01.2016 द्वारा उत्खनिपट्टा क्षेत्र के संबंध में वन विभाग द्वारा लेख किया गया है कि स्वीकृत क्षेत्र का आधा भाग 01.500 हे० क्षेत्र वन क्षेत्र से 250 मीटर की परिधि के अंदर है।	विचाराधीन प्रकरण में कलेक्टर, वन मण्डलाधिकारी एवं खनिज अधिकारी को संयुक्त रूप से निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा वन सीमा से 250 मीटर के अंतर्गत आने वाले खनिपट्टा/उत्खनिपट्टा आवेदन पत्रों (34 प्रकरणों) के संबंध में आयोजित बैठक में उपरोक्तानुसार प्रकरणवार निर्णय लेते हुए बैठक का समापन किया गया।

(महेशचन्द्र चौधरी)  
आयुक्त  
रीवा संभाग, रीवा

(अतुल खेरा)  
मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त रीवा

(प्रीति मैथिल नायक)  
कलेक्टर  
जिला रीवा  
(M.F.)

(मुकेश शुक्ल)  
कलेक्टर  
जिला सतना

(अनुराग चौधरी)  
कलेक्टर  
जिला सिंगरौली

(दिलीप कुमार)  
कलेक्टर  
जिला सीधी

(अंजली द्विवेदी)  
उपायुक्त (राजस्व)  
रीवा संभाग, रीवा

(विपिन कुमार पटेल)  
वन मण्डल अधिकारी  
जिला रीवा

(विजय सिंह)  
वन मण्डल अधिकारी  
जिला सिंगरौली

(राजीव मिश्रा)  
वन मण्डल अधिकारी  
जिला सतना

(बृजेन्द्र कुमार झा)  
वनमण्डल अधिकारी  
जिला सीधी

(आर.के. दीक्षित)  
प्र० अधिकारी खनिज  
जिला रीवा

(पी.पी. राय)  
खनि अधिकारी  
जिला सतना

(क्यू.ए. रहमान)  
सहा० खनि अधिकारी  
जिला सीधी

(ए.के. राय)  
खनि अधिकारी  
जिला सिंगरौली

**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.**  
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization  
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony  
Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax: 0755 - 2462136

No.: 7608 ISEIAA 2/

Date: 24.3.21

To,  
Shri Ambuj Dwivedi  
S/o Shri Manoj Kumar Dwivedi,  
Gram & Post - Janardan,  
Tehsil - Rampur Baghelan,  
Dist. Satna, MP - 485881

**Sub: Case No 8169/2021 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method) in an area of 2.0 ha. for production capacity of 20000 cum per annum at Khasra No. 1289/1344/1/GA/1 at Village - Ramnagar, Tehsil - Rampur Baghelan, Dist. Satna (MP) by Shri Ambuj Dwivedi S/o Shri Manoj Kumar Dwivedi, Gram & Post - Janardan, Tehsil - Rampur Baghelan, Dist. Satna, (MP) - 485881**

This has reference to your letter received in SEIAA office on 09.02.2021 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz., the Form - I & II, Appendix-1, DSR, Mining Plan & EMP, the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

There is no National Park/ Sanctuary/Biodiversity area within 10 Km radius. There is no human settlement/water body within 500 m. from mining site. There is forest boundary within 250 m. from mine site. NOC issued in the meeting held on dtd 03.10.2018 under the chairmanship of Divisional commissioner Rewa. It lies at geographical co-ordinates at latitude 24°36'53.89" to 24°36'58.21" and longitude 81°04 '30.19" to 81°04 '31.37" as per mining plan.

The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E), dated 14<sup>th</sup> September 2006.

Based on the information submitted, as at Para (II) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 665<sup>th</sup> SEIAA meeting dated 06.03.2021 and decided to accept the recommendations of 485<sup>th</sup> SEAC meeting dtd. 25.02.2021.

Hence, Prior Environmental Clearance is granted for Stone Quarry (opencast semi mechanized method) in an area of 2.0 ha. for production capacity of 20000 cum per annum at Khasra No. 1289/1344/1/GA/1 at Village - Ramnagar, Tehsil - Rampur Baghelan, Dist.

(MP) for the lease period to Shri Ambuj Dwivedi S/o Shri Manoj Kumar Dwivedi, Gram Post - Janardan, Tehsil - Rampur Baghelan, Dist. Satna, MP - 485881, subject to the following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions.

**A. Specific Conditions**

1. Before commencing any mining activity fencing shall be carried out all around the lease area. Proper watch and ward arrangements should be made with installation of signage at 4 corners of lease area to avoid any untoward incident involving public and animals by the PP.
2. PP shall not start mining activity before execution of lease agreement.
3. The depth of the pit shall be as per the Approved Mining Plan.
4. The entire area shall be fenced and three rows of plantation should be done on the periphery of the boundary.
5. The mining operation shall be restricted to above ground water table and in no case it should intersect the ground water table. In case of working below the ground water table, approval of the Central Ground Water Board shall be obtained.
6. PP shall ensure to construct garland drain with settling tank all around the lease area and regular cleaning & maintenance shall also be carried out by PP.
7. PP shall ensure the proper water supply arrangements for dust suppression, regular sprinkling, plantation and drinking purposes especially in summer season.
8. Total 3600 saplings of suitable tree species i.e. Neem, Pipal, Sissoo, Bargad, Amaltas, Khirni, Mango, Guava, Bamboo, Imli etc. shall be planted by PP in first three years under plantation programme in barrier zone, no mining area and khasra no. 1289/1 in consultation with Gram Panchayat/ District Administration. PP shall also explore and identify the chunk of land in the area from revenue record to carry out plantation programme as proposed.
9. PP shall ensure proper implementation of plantation, dust suppression, construction of approach road and maintenance of existing pakka road as part of Environmental Management Plan. Additional budget provision shall be made as part of EMP.
10. PP must ensure implementation of the following activities under CER as committed :-

❖ Construction & maintenance of drainage (80m) of village Ramnagar

PP shall ensure to construct toilet with proper plumbing in the school of above village and contribute on behalf of village in Jal Jeewan Mission in consultation with Janpad Panchayat and PHED. PP shall give preference to develop/provide infrastructural facilities in schools or aanganwadies of above villages. The modification to the above activities can be made with the permission of the district administration and need based activity for the development of nearby villages shall be implemented by PP in consultation with the District Collector and Gram Panchayat.

11. PP should ensure to submit half yearly compliance report and CSR activity report with photographs of plantation in MP-SEIAA. If PP is failed to upload or submit two consecutive half yearly compliance reports of EC conditions to concerned authority (SEIAA and Regional Office, MoEF&CC, GoI, Bhopal) than prior environmental clearance issued to PP will automatically be treated as cancelled/ revoked as per OM No. 930/SEIAA/2019 dated 30.05.2019 issued by MPSEIAA.
12. A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs. 9.37 Lakh as capital and Rs 5.7 Lakh/year as recurring are proposed by PP.
13. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan.
14. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.


- Overhead sprinklers arrangements with solar pumps should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
16. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
  17. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
  18. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
  19. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 03 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
  20. Thick plantation shall be carryout in the periphery/barrier zone of the lease, mineral evacuation road and common area in the village. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
  21. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
  22. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Tollets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
  23. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
  24. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
  25. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
  26. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA
  27. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
  28. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
  29. The leases which are falling >250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissionner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissionner committee shall be fulfilled by the PP.
  30. Expansion or modernization in the project, entalling capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
  31. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.

- leases which are falling 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
33. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/08/2013.
  34. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 18/01/2020.
  35. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations- Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
  36. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
  37. Mining Lease boundary shall be appropriately earmarked with fencing..
  38. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    - a) Lease owner's Name, Contact details etc.
    - b) Mining Lease area of the project (in ha.)
    - c) Production capacity of the project.

## B. Standard Conditions

1. Valid postal address of the PP with e-mail details.
2. Mining will be carried out as per the approved Mining Plan. In case of any violation of Mining Plan the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled.
3. Effective safeguard measures, such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading and unloading point and all transfer points.
4. Where the quarry is in a hilly terrain and where some part of the hill is already cut for quarrying, further hill cutting shall not be done. In such cases, deepening the existing operational area may be preferably done.
5. Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue department prior to mining operations for all proposals under consideration.
6. The lease holder shall obtain necessary prior permission of the competent authorities for drawal of requisite quantity of water (surface water and groundwater), if required for the project.
7. Parking of vehicles should not be made on public places.
8. Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out regularly.
9. Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken.
10. Trenches/garland drains shall be constructed at foot of dumps to arrest silt from being carried to water bodies.
11. The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps and garland drain.

- soil / solid waste shall be stacked properly with proper slope and adequate safeguards and shall be sized for backfilling (wherever applicable) for reclamation and rehabilitation of mined out area.
14. Reclamation programme shall be carried out as per EMP. Self sustenance of the vegetation should be ensured. No tree-felling shall be done in the leased area, except only with the permission from competent authority.
15. The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of transportation.
16. Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mine workers.
17. Persons working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.
18. Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.
19. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies, as applicable, in addition to the relevant officers of the Government
20. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
21. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
22. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.



(B. Vijay Datta)  
Member Secretary

Endt No. / SEIAA/2021

Dated:

Copy to:-

1. Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal.
2. Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-4620 16
3. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016
4. Collector, District Satna (M. P.)
5. Divisional Forest Officer, District Satna (M. P.)
6. I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF& CC, Gol, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110 003.
7. Director (S), Regional office of the MOEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016.
8. Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh, 29-A, Khanij Bhawan, Arera Hills, Bhopal - 462002.
9. District Mining Officer, District Satna (M. P.)
10. DEO, SEIAA, for update on website.
11. Guard file.

(Alok Nayak)  
Officer-in-Charge

जनजात साधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन  
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म  
क्षेत्रीय कार्यालय रीवा, मध्यप्रदेश  
ई मेल - rhdgmrew@mp.gov.in

क्रमांक  
प्रति,

/मा.प्ला./न.क्र./2020

रीवा, दिनांक

श्री अम्बुज द्विवेदी,  
आत्मज श्री मनोज कुमार द्विवेदी  
निवासी ग्राम व पोस्ट जनार्दनपुर  
तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.)

विषय :-

संशोधित खनन योजना के अनुमोदन बावत।

संदर्भ :-

इस कार्यालय का आवक क्रमांक 870 दिनांक 27/08/2020

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में ग्राम रामनगर, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.) के ख.क्र. 1289/1344/1/ग/1 रकवा 2.000 हे० क्षेत्र पर खनिज पत्थर (यांत्रिकी क्रिया से गिद्धी निर्माण) का उत्खनिपट्टा हेतु संशोधित खनन योजना मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 42 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत संशोधित खनन योजना मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 42 (सी)(3) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत वर्ष 2020-2021 से 2024-2025 तक की अवधि हेतु अनुमोदित की जाती है।

उक्त अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि आवेदक मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों का पालन करेगा एवं 6 मी. की गहराई के पश्चात् उत्खनन कार्य करने हेतु DGMS से स्वीकृति प्राप्त करेगा।

संलग्न :- अनुमोदित संशोधित खनन योजना।

क्षेत्रीय प्रमुख

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म

क्षेत्रीय कार्यालय रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 01/09/2020

पृ. क्रमांक 944/मा.प्ला./न.क्र./2020

प्रतिलिपि-

1. कलेक्टर, (खनि शाखा) जिला सतना मध्यप्रदेश की ओर अनुमोदित संशोधित खनन योजना की एक प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय प्रमुख

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म

क्षेत्रीय कार्यालय रीवा, मध्यप्रदेश

# MODIFIED MINE PLAN WITH EMP & MINE CLOSURE PLAN

OF

## RAMNAGAR STONE MINE

VILLAGE- RAMNAGAR, TEHSIL— RAMPUR BAGHELAN

DISTRICT- SATNA, STATE—MADHYA PRADESH


KHASRA NO. 1289/1344/1/Ga/1, LEASE AREA – 2.00 HECTARE, PVT. LAND (NON FOREST)

LEASE PERIOD -10 YEARS (FROM AGREEMENT)

PLAN PERIOD - 5 YEARS (FROM AGREEMENT)

PREPARED UNDER RULE 42 D OF MADHYA PRADESH MINOR MINERAL RULE 1996

(Amendment vide dt 23/03/2013)



### APPLICANT

SHRI AMBUJ DWIVEDI, S/O - SHRI MANOJ KUMAR DWIVEDI,  
R/O - GRAM & POST - JANARDANPUR, TEHSIL- RAMPUR BAGHELAN,  
DISTRICT- SATNA (M.P.)



### PREPARED BY

DR. RAKESH KUMAR SINGH

AKASH GANGA NAGAR, INFRONT OF SUMIT BAZAR,

PANNA ROAD, SATNA 485001 (MP), PHONE NO.08085379660

REGISTRATION NO. RQP/DGMMP/004/2013 VALID UP TO -17.04.2023

*R.K. Singh*  
Dr. Rakesh Kumar Singh  
Recognize Qualified Person  
Regd. No.-RQP/DGMMP/004/2013  
Valid Upto 17-04-2023

59

परदेशर द्वारा 6 मीटर से अधिक गहराई पर उत्खनन  
किये जाने की बात को पत्राचार अधिनियम 1996  
के विधान 30 (2)(b) प्रावधान के अन्तर्गत DGMS  
घनदाह (BM) कागजात तथा सम्बंधित कानून का अंतर्गत  
एवं खनिज अधिनियम को विहित के अन्तर्गत स्पष्ट  
किया जाना अनिवार्य है।

*S.K.*  
Regional Head  
Directorate of Geology & Mining  
Regional Office, Rewa (M.P.)

**CHAPTER 7**  
**MINES SAFETY**

**7.1 POSSIBILITY OF ACCIDENTS DUE TO MINING OPERATION & ITS  
PRECAUTION MEASURES:**

Probability of accidents both in mine and roads will almost be due to movements of vehicles, formation of voids in mining area, falling of stones from top etc.

All safety precaution will be taken, to prevent road accidents, vehicles engaged will be kept fit and drivers will be instructed to drive slow and carefully. If it is required that the mining operation will go beyond the limits as prescribed by IBM & Mine Safety Rules will implemented by the lease owner and he will seek the necessary permission from the concerning department.

**7.2 IF MINING WILL GO BEYOND 6 METER DEPTH, THEN AS PER MMDR 1961  
RULE IT IS THE RESPONSIBILITY OF LEASEE TO GIVE INFORMATION TO  
DGMS IN FORM 13: If required the permission will be taken by lessee.**

**APPROVED**  
अनुमोदित

*RK Singh*  
**Dr. Rakesh Kumar Singh**  
Recognize Qualified Person  
Regd. No.-RQP/DGMMP/004/2013  
Valid Upto 17-04-2023

(60)

CHAPTER 8DETAILS OF CONCEPTUAL PLAN**8.0 Proposal and manner of reclamation and Rehabilitation of Mined out land:-**

Mining affects environment in various ways including depletion of land cover, Vegetation, removal of soil, change of land scape & deposition of the solid waste product thus causing imbalance in the land scape and increasing air, water and soil pollution. As the mining activity will be progressed the overburden, rejects, tailings, talus and scree material generated will be separately stacked and no progressive mine closer plan is proposed. However it is made clear that at the end of 10 year if the availability of stone will be depleted or warranted or the mineral availability will be exhausted or the excavation of stone at 6.50 m. level will be uneconomical then the lessee shall be constrained leaving no other alternative except to close the mine finally and thereafter.

The lessee shall commence the closer of mine forthwith by way of developed mine pit as a water reservoir by making barbed wire fencing all around the mine site. The same will be utilized as water supply and means of irrigation to the neighbors. Also as an alternative source the water reservoir may be utilized as fish farming for sustainable development of the human beings to enhance their socio economic condition and fulfill the needs of starvation for their livelihoods.

Excavated pit will be developed as Reservoir of natural rain water to the depth of 6.50 m. from below 310 RL. There is no proposal of reclamation and Rehabilitation during next five years progressive Plan period. Backfilling in future of mined out area will be done in Quarry Lease area by semi mechanized method but it depends if the Stone strata continues within the Mining permissible limit.

APPROVED

अनुमोदित

*RK Singh*  
Dr. Rakesh Kumar Singh  
Recognize Qualified Person  
Regd. No.-RQP/DGMMP/004/2013  
Valid Upto 17-04-2023

61

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक / 36/अ67/2021-22

अम्बुज द्विवेदी, पिता श्री मनोज कुमार द्विवेदी,  
निवासी ग्राम जनार्दनपुर तह0 रामपुर बाधेलान,  
जिला-सतना म0प्र0.....आवेदक।

बनाम

शासन म0प्र0 .....

**आदेश**

(दिनांक 01/12/21 को पारित)



- 1- आवेदक द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247(5) के तहत आवेदन, मय दस्तावेज प्रस्तुत किया जाकर तहसील रामपुर बाधेलान अन्तर्गत ग्राम रामनगर स्थित निजी स्वामित्व की आराजी क्रमांक 1289/1344/1/ग/1 रकवा 2.000 हे0 भूमि में उत्खनि पट्टा (केशर आधारित पत्थर उत्खनन) स्वीकृत होना एवं स्वीकृत उत्खनि पट्टे से संबंधित समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति किये जाने के फलस्वरूप स्वीकृत क्षेत्र में उत्खनन कार्य प्रारम्भ करने हेतु भू-प्रवेश की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।
- 2- प्रस्तुत आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी (रा0) रामपुर बाधेलान एवं सहायक खनिज अधिकारी सतना से अभिमत प्राप्त किया गया।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) रामपुर बाधेलान द्वारा तहसीलदार रामपुर बाधेलान के जाँच प्रतिवेदन पर से प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम रामनगर तहसील रामपुर बाधेलान आवेदित आराजी क्रमांक 1289/1344/1/ग रकवा 3.581 हे0 भूमि तेजभान पिता विशेषर प्रसाद ब्रा0 सा0 जनार्दनपुर के नाम दर्ज खसरा अभिलेख है। उक्त आराजी के अंश रकवा 2.000 हे0 में आवेदक भू-प्रवेश की अनुमति चाहता है। आवेदित क्षेत्र से 5 कि0मी0 के अंदर कोई मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय या कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं है। 500 मीटर के अन्दर कोई जलीय क्षेत्र नहीं है। हल्का पटवारी का प्रतिवेदन, एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को भू-प्रवेश की अनुमति दिये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण भेजा गया है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
सतना (म.प्र.)

4- सहायक खनिज अधिकारी, सतना द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 09.11.2021 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदित निजी स्वामित्व की आराजी क्रमांक 1289/1344/1/ग/1 रकवा 2.000 हे० में आवेदक के नाम खनिज पत्थर (केशर हेतु) उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत हुआ है। अनुबन्ध निष्पादन दिनांक 29.07.2020 को एवं पंजियन दिनांक 25.09.2020 को कराया गया है। पर्यावरणीय अनुमति (SEIAA) दिनांक 24-03-2021 को प्राप्त किया गया है। (CTE) जलवायु सम्मति दिनांक 18.06.2021 से प्राप्त है। खदान क्षेत्र में खनन संक्रियाएँ सम्पादित किये जाने हेतु अनुमति (CTO) प्राप्त किये जाने के उपरान्त दिया जा सकता है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य हेतु भू-प्रवेश की अनुमति दिये जाने वावत प्रकरण मूलतः भेजा गया है।

5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामपुर बाधेलान सहा० खनिज अधिकारी सतना के प्रतिवेदन तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। मौजा रामनगर तह० रामपुर बाधेलान की निजी आराजी नं० 1289/1344/1/ग/1 रकवा 2.000 हे० में आवेदक के नाम 10 वर्ष की अवधि हेतु खनिज पत्थर (केशर आधारित पत्थर उत्खनन) उत्खनि पट्टा स्वीकृत है। स्वीकृत क्षेत्र में उत्खनन कार्य प्रारम्भ करने से संबंधित सभी औपचारिकताओं की पूर्ति आवेदक द्वारा की जा चुकी है। भू-प्रवेश की अनुमति दिये जाने में अन्य किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

6- अतः म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247(5) के अन्तर्गत मौजा रामनगर तहसील रामपुर बाधेलान जिला सतना स्थित आ०नं० 1289/1344/1/ग/1 रकवा 2.000 हे० क्षेत्र में खनिज पत्थर (केशर आधारित पत्थर उत्खनन) उत्खनन हेतु भू-प्रवेश की अनुमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

- 1- आवेदक उत्खनन कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व स्वीकृत क्षेत्र की सीमा पर आर.आर.सी के पिलर तैयार कराये।
- 2- स्वीकृत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भू-भाग अथवा वन भूमि में उत्खनन कार्य कदापि न करे।

मलेखर लाल सिंह

63

- 3-आवेदित क्षेत्र में स्थित फलदार/इमारती वृक्षों को काटने की विधिवत अनुमति पृथक से प्राप्त करनी होगी।
- 4-आवादी क्षेत्र एवं मुख्य सड़क से खान एवं खनिज मैन्युअल के तहत निर्धारित सुरक्षित दूरी छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाये।
- 5-स्वीकृत क्षेत्र के अतिरिक्त, अन्य निजी/शासकीय राजस्व या वन भूमि में किसी प्रकार का अवैध उत्खनन एवं भण्डारण कार्य न किया जाये। यदि स्वीकृत क्षेत्र के आस-पास अवैध उत्खनन या भण्डार की इसकी सूचना आवेदक सक्षम अधिकारी को समय-समय पर देगा।
- 6-उत्खनन क्षेत्र के आस-पास मानव बसाहट होने की स्थिति में 100 मीटर दूरी छोड़ना आवश्यक होगा।
- 7-खनिज निरीक्षक द्वारा निर्धारित मृतकर, सतहकर एवं ग्रामीण अवसंरचना की राशि उत्खनन कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
- 8-उत्खनित खनिज की मात्रा, नियत कर, रायल्टी आदि की राशि नियमानुसार निर्धारित अवधि के अंदर खनिज कक्ष में जमा की जाये।
- 9-शर्तों के उल्लंघन की दशा में आदेश स्वमेव निष्प्रभावी होगा।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जिला सतना (म0प्र0)

पृ0क्रमांक / 54/चार.आर./2021

सतना, दिनांक 11/12/2021

प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) रामपुर बाधेलान जिला सतना।
- 2- तहसीलदार, रामपुर बाधेलान जिला सतना म0प्र0।
- 3- सहा0 खनिज अधिकारी, सतना।
- 4- अम्युज द्विवेदी, पिता श्री मनोज कुमार द्विवेदी, निवासी ग्राम जर्नादनपुर तह0 रामपुर बाधेलान, जिला-सतना म0प्र0की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जिला सतना (म0प्र0)

कार्यालय कोलक्टर {गानि शाखा} सत्ता म०प्र०  
 क्रमांक/16 उ.प. 99 सत्ता, दिनांक

आदेश

म०प्र० शासन छान्निज साधन विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.6.98 अनुसार प्रदत्त शक्तिमो को प्रयोग में लाते हुए म०प्र० गौण छान्निज नियम 1996 के नियमों के अन्तर्गत कोलक्टर सत्ता द्वारा श्री वृज विशार द्विवेदी पिता श्री तेजमान प्रसाद द्विवेदी निवासी जादिनपुर जिला सत्ता को छान्निज चूना पत्थर अधि पांच वर्षों हेतु उखानन पट्टा निम्न शर्तों पर स्वीकृत किया जाता है :-

ग्राम	अधि	तक्षित	अ०न०	रकबा	छान्निज
रामनगर	पांच वर्ष	राम.बो.	1289/		चूना पत्थर
			1344/1ग	8.85एकड़	

- नक्शा शुल्क प्रमाणात्करण हेतु रु० 41/- जमा करें।
- सुरक्षा राशि के रूप में रु० 1000/- वालन द्वारा जमा कर प्रति प्रस्तुत करें।
- बैंक गारंटी अथवा प्रतिभूति बैंक पत्र दो वर्षों के लिये अनिवार्य भाटक के के ब्याज रु० 32000/- साखेन्ती 50/- के स्टाम्प पर।
- नियम पालन हेतु रु० 10/- 10/- के स्टाम्प में दो अतिरिक्त जमानतदार।
- अनुबन्ध पत्र में 9 प्रतिशत में एवं नक्शा 6 प्रतिशत में तैयार कर प्रस्तुत करें।
- स्टाम्प ड्यूटी 7200/- प्रस्तुत करें।
- खानन की अधिकतम गहराई 2 मीटर होगी।
- चूना पत्थर का उपयोग भाटटे में जलाकर चूना भावन निर्माण हेतु उपयोग किया जावेगा।
- स्वीकृत पट्टा क्षेत्र संयुक्त छाते की मूमि है भू- प्रवेष्टा की अनुमति पूर्व सहमति प्रस्तुत करना होगा।

यदि आवेदक को उपरोक्त शर्तें मान्य हो तो तीन माह के अन्दर अनुबन्ध निष्पादन हेतु आभिलेखा प्रस्तुत करें, सम्भावधि में आवेदक द्वारा अनुबन्ध निष्पादन न कराने पर स्वीकृत आदेश स्वयं निरस्त माना जावेगा।

छान्नि अधिकाारी,  
 वारंते कोलक्टर सत्ता,  
 म०प्र०।

प०क्र०/16 उ.प. 99 1621  
 प्रतिलिपि :-

सत्ता, दिनांक 26/7/99

- आवेदक श्री वृज विशार द्विवेदी पिता श्री तेजमान द्विवेदी नि.जादिनपुर।
- छान्नि निरीक्षाक वृत्त रामपुर बडौलान जिला सत्ता
- तक्षिलदार तक्षिल रामपुर बडौलान।
- वन मंडलाधिकारी जिला सत्ता म०प्र०।

छान्नि अधिकाारी,  
 वारंते कोलक्टर सत्ता,  
 म०प्र०।


(65)



FILE NO 16/Q.L./99

To go with sanction quarry lease agreement of Lime stone to be grant in village Ramnagar Tehsil Rampur Baghelan Distt. Satna (M.P.) over an area 8.85 Acres Khs Nos. 1289, 1344/1Ga for Five Years in favour of shri Brij Kishore Dwivedi s/o shri Tejbhan Dwivedi R/o. Janardanpur Tehsil Rampur Baghelan Distt. Satna (M.P.) AND AGREEMENT EXECUTED BETWEEN Shri Brij Kishore Dwivedi s/o shri Tejbhan Dwivedi r/o. village Janardanpur Tehsil Rampur Baghelan Distt. Satna (M.P.) Through the Collector, Satna distt. Satna Madhya pradesh.

  
COLLECTOR  
SATNA (M. P.)



  
जन अधिकारी  
सातना (म.प्र.)



66

क्रमांक 1077 दिनांक 1.9.99

बृजकिशोर द्विवेदी तनय श्री तेजभान द्विवेदी  
साकिन-जर्नादनपुर जिला-सतना-809008

1000x1

100x2

50x1

10x3

= योग- 1280/-

एस० के० अग्रवाल  
रहस्य बन्धक, सतना



- (अ) मुद्राक अध्यायक के अन्तगत रु० 1280/-
- (ब) पंचायत समिति के कार्यालय में तारीख 08/09/99 को म.पू.म.प. प्रस्तुत किया गया।
- (क) मुद्राक शुल्क
- (ख) एपकर शुल्क
- (ग) न० पा०/क० लि० शुल्क
- (घ) जाति/पंजीक

1280.

1280.

बृजकिशोर द्विवेदी  
क द्वारा उप जिला सतना, जिला सतना  
के उप पञ्जीक के कार्यालय में तारीख  
08 SEP 1999 को म.पू.म.प. प्रस्तुत किया गया।

उप पञ्जीक  
बृजकिशोर द्विवेदी  
क द्वारा उप जिला सतना, जिला सतना  
के उप पञ्जीक के कार्यालय में तारीख 08/09/99 को म.पू.म.प. प्रस्तुत किया गया।

बृजकिशोर द्विवेदी

67



File No. 16/5499  
attached in agreement A.L. 4/5



COLLECTOR  
SATNA (M. P.)

*Handwritten signature*


*Handwritten signature*  
सतना अधिकाारी  
सतना (म.प्र.)

68





File No. 16/02/99  
 attached in agreement Q.L. 4/5



COLLECTOR  
 SATNA (M. P.)

*Handwritten signature*

सत्यमेव जयते  
 सत्यमेव जयते (म.प्र.)

*Handwritten signature*

70

क्रमांक 1077 दिनांक 1.9.99

बृजकिशोर द्विवेदी तनय श्री तेजमान द्विवेदी  
साकिन-जर्नादनपुर जिला-सतना मध्यप्र

1000x1  
100x2  
50x1  
10x3  
= योग- 1280/-



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

अपराधन सिपायक/पायक/परिचालक  
बृजकिशोर  
का हस्ताक्षर पर सत्यता दा  
खे सिद्धा गया।

8 SEP 1999

*[Handwritten signature]*

हस्ताक्षर उप संवीयक  
अनु 20(1) द्वारा अंगिकृत

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

being satisfied myself that

This document was executed by

श्री. श्री. बृजकिशोर दिनांक 4.9.99 - 9 17-5

his attendance and signatures are checked  
and will be admitted in  
evidence

*[Handwritten signature]*

हस्ताक्षर उप संवीयक  
अनु 20(1) द्वारा अंगिकृत

71



File No. 16/Q2/99  
 Attached in Aggrum 1 - Q. L. 4/5



COLLECTOR  
 SATNA (M. P.)

*[Signature]*  
 अधिकारी  
 जिला मदन (म.प्र.)

*[Handwritten signature]*

72

क्रमांक 1077 दिनांक 1.9.99

बृजशिवोर द्विवेदी तनय श्री तेजमान द्विवेदी  
साकिन - जनायनापुर जिला-सतना

॥म०प्र०॥

1000x1  
100x2  
50x1  
10x3  
= योग- 1280/-



डीप दानाकेज राज्य है।

8 SEP 1999

वारा ३१३५ - १२  
॥ २२ - १९६५  
बिना दस्तावेज किया गया।

१९९९  
मुख्यालय उप पंजीयक  
सतना (म०प्र०)



मुख्यालय उप पंजीयक  
सतना (म०प्र०)

960  
5  
42.  
-----  
1007 =

73



[ 2 ]

के बीच आज तारीख 5-9-99 को किया गया।

पट्टेदार/पट्टेदारों ने, मध्यप्रदेश गौण खनिज, नियम १९९६ (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) इसके नीचे लिखी गई अनुसूची के भाग एक में वर्णित भूमियों के सम्बन्ध में

के हेतु उत्खनन पट्टेदार के लिये सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है और राज्य सरकार के पास प्रतिभूति के रूप में रुपये 1000/- पा 90 33 दिनांक 21-8-99

इस बात का साक्षी है कि इस विलेख में तथा इसमें इसके नीचे लिखी अनुसूची में या उसके द्वारा आरक्षित और अन्तर्विष्ट भाटको तथा स्वामिस्वों का पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा भुगतान किये जाने के और उसके/उनके द्वारा अनुपालन, पालन की जाने वाली प्रसंविदाओं तथा करारों के प्रति फलस्वरूप, समक्ष प्राधिकारी, एतद द्वारा, पट्टेदार/पट्टेदारों को पट्टा प्रदान और अन्तरित करता है।

यहां खनिज या खनिजों का विवरण दें) जिसे इसमें इसके पश्चात और अनुसूची में उक्त खनिजों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है), जो उन भूमियों में, जिन्हें उक्त अनुसूची के भाग-एक में निर्दिष्ट किया गया है, स्थित, अवस्थित है और उनमें तथा उसके नीचे है, इसके सम्बन्ध में प्रयोज्य स्वतन्त्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों को सम्मिलित करते हुये, जो उक्त अनुसूची के भाग-दो में वर्णित है, ऐसी स्वतन्त्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने तथा उपभोग करने के सम्बन्ध में उन निबन्धनों तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुये, जो उक्त अनुसूची भाग तीन के वर्णित हैं, इस अपवाद के साथ और इस पट्टे में से, राज्य सरकार के प्रति के स्वतन्त्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार आरक्षित करते हुये, जो उक्त अनुसूची के भाग-चार में वर्णित है परिसर धारण करने हेतु पट्टेदार/पट्टेदारों को एतद द्वारा प्रदान किये जाते हैं पट्टे पर दिये जाते हैं।

अतः उन विभिन्न भाटको तथा स्वामिस्वों को, जो उक्त अनुसूची के भाग-पांच में वर्णित हैं, क्रमशः ऐसे समयों पर, जो उसमें विनिर्दिष्ट है, उक्त अनुसूची के भाग छः में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्वधीन रहते हुये राज्य सरकार को देगा या उनका भुगतान करेगा और पट्टेदार एतद द्वारा, राज्य सरकार के साथ ऐसी प्रसंविदा करता है/करते हैं, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-सात में अभिव्यक्त किया गया है और राज्य सरकार एतद द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ ऐसी प्रसंविदा करती है, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-आठ में अभिव्यक्त किया गया है और इसके पश्कारों के बीच पारस्परिक रूप से ऐसी सहमति की जाती है, जो अनुसूची के भाग-नों में अभिव्यक्त की गई है। जिसकी साक्ष्य में यह विलेख उस दिनांक और वर्ष को जो कि ऊपर लिखे हैं, उस रीति में, जो इसके अधीन प्रकट होती है, निष्पादित किया जाता है।

Handwritten signature and the number 75 in a circle.

[ ४ ]

(३) रास्तों तथा मार्गों इत्यादि-काम बनाना या जाना और विद्यमान रास्तों तथा मार्गों का उपयोग-इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिये या उसके सम्बन्ध में, भूमि में उक्त या उसके ऊपर कोई ट्राम पथ, रास्ते तथा अन्य मार्गों को बनाने और घोड़ी, पशुओं, वेगनों या अन्य वाहनों सहित या रहित उसका (या उक्त भूमि में या उस पर किसी विद्यमान ट्रामपथों, रास्तों तथा अन्य मार्गों) ऐसी शर्तों पर, जैसी कि सहमत हो, उनका उपयोग करने की या उनके सम्बन्ध में स्वतन्त्रता तथा शक्ति ।

(४) भवन तथा रास्ते की सामग्री इत्यादि-इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिये या उसके सम्बन्ध में उत्खनन कर पत्थर, बजरी तथा भवन और रास्ते के निर्माण सम्बन्धी अन्य सामग्रियों तथा मिट्टी प्राप्त करने और उनका उपयोग करने और उन्हें काम में लेने तथा ऐसी मिट्टी से ईंटें या कबलू धिनिर्मित करने और ऐसे ईंटों तथा कबलुओं का उपयोग करने के लिये और उसके सम्बन्ध में स्वतन्त्रता तथा शक्ति, किन्तु ऐसी किसी सामग्री, ईंटों या कबलुओं का विक्रय करने के लिये नहीं ।

(५) जलधाराओं से पानी का उपयोग इत्यादि-इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिये किन्तु किसी विद्यमान या भावी पट्टेदारों के अधिकारों के अधीन रहते हुये तथा कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा से उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किन्हीं जलधाराओं, जलमार्गों, झरनों या अन्य स्रोतों को काम में लाने और उनका पानी उपयोग करने या ऐसी किसी जलधारा या जलमार्ग को मोड़ने, उसे बढ़ाने या उस पर बांध बनाने और ऐसे किसी जल को संग्रहित करने तथा अवरुद्ध करने और किसी जलमार्ग, पुलिया, नालियां या जलाशयों को बनाने, निर्माण करने और बनाये रखने के लिये और उस सम्बन्ध में स्वतन्त्रता तथा शक्ति, किन्तु इस प्रकार नहीं कि जिससे किन्हीं कृष्य भूमियों, ग्रामों, भवनों या पशुओं के पानी पीने के स्थानों या पूर्व में आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त रूप से जल प्रदाय से वंचित करेगा और न किसी भी प्रकार से किसी जलधारा या झरनों को गन्दा या प्रदूषित ही करेगा, परन्तु यह कि पट्टेदार किसी नाण्य जलधारा में नौचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा या राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी जलधारा को नहीं मोड़ेगा ।

(६) चट्टे लगाने ढेर, लगाने, जमा करने के प्रयोजनों के लिये भूमि का उपयोग-उक्त भूमियों की सतह के पर्याप्त भाग पर, उसमें खदानों के किसी उत्पाद या किये गये कोई काय और किन्हीं औजारों, उपकरणों, मिट्टी तथा सामग्रियों और पदार्थों के, जो इस भाग में वर्णित स्वतन्त्रताओं शक्तियों का प्रयोग करते हुये खोदे गये हो, या निकाले गये हो, चट्टे लगाने, ढेर लगाने-भण्डारण करने या जमा करने के प्रयोजनों के लिये, प्रवेश करने और उपयोग करने की स्वतन्त्रता तथा शक्ति ।

*(Handwritten signature)*

[ ५ ]

भाग तीन--भाग--दी में वर्णित स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में निबन्धन तथा शर्तें

(१) कतिपय स्थानों पर कोई भवन इत्यादि नहीं होगा-किसी सार्वजनिक बिहार भूमि, शमशान भूमि या कब्रिस्तान भूमि या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने गए किसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान में या जिसे राज्य सरकार सार्वजनिक स्थान के रूप में अवधारित करें, कोई भवन या तद्दृश्य कोई संरचना ऐसी रीति में निर्मित, स्थापित या रखी नहीं जायेगी और कोई भी भूतल सक्रियाएं नहीं की जायेगी जिससे किन्हीं भवनों कार्यों संपत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को, कोई हो या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े और भूतल सक्रियाओं के लिये ऐसी किसी भूमि का, जो इस पट्टे में सम्मिलित न होने वाले कार्यों या प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा पूर्व में ही दखल में ली गई हो उपयोग नहीं किया जायेगा पट्टेदार किसी मांग, कुएं या तालाब के संबन्ध में किसी अधिकार में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा / नहीं करेगा ।

(२) ऐसी भूमि में जो पूर्व से उपयोग में न हो, भूतल सक्रियाओं के लिये अनुज्ञा ऐसी भूमि का, जो भूतल सक्रियाओं के लिये पूर्व में ही उपयोग में नहीं लाई गई है उस बावत उपयोग करने के पूर्व, पट्टेदार, जिले के कलेक्टर को दो कलेण्डर मास पूर्व की एक लिखित सूचना देगा / देगे जिसमें स्थान का नाम या अन्य वर्णन तथा इस प्रकार उपयोग किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि की सीमा और वह प्रयोजन जिसके लिये वह अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट किया जायेगा तथा उक्त भूमि का, यदि कलेक्टर उसके द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त के दो मास के भीतर आपत्ति करे, तब तक इस प्रकार उपयोग नहीं किया जायेगा जब तक कि इस प्रकार की गई आपत्ति राज्य सरकार को निर्देश दिये जाने पर, निष्प्रभावित नहीं की जाती या वह अभिव्यक्त नहीं कर दी जाती ।

(३) प्रतिषिद्ध दूरी के भीतर कोई खनन सक्रियाएं नहीं की जायेंगी- पट्टेदार नियम ३० के उप-नियम [१२] में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध दूरियों के भीतर किसी भी स्थल पर कोई कार्य या खनन सक्रियाएं नहीं करेगा / करेगा या उन्हें करने की अनुज्ञा नहीं देगा ।

(४) लगी हुई शासकीय अनुज्ञप्तियों तथा पट्टों के लिये सुविधाएं-पट्टेदार, ऐसी किसी भूमि पर जो पट्टेदार / पट्टेदारों द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट है, या ऐसी भूमि से लगी हुई है या जिस तक उसके/उनके द्वारा धारित भूमि से पहुंचा जाता है शासकीय अनुज्ञप्तियों या पट्टे के विद्यमान तथा भावी धारकों को उस तक पहुंच की युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान किये जाने बावत अनुज्ञा देगा ।

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तियों या पट्टों के ऐसे धारकों द्वारा इस विलेख के अधीन पट्टेदार / पट्टेदारों की सक्रियाओं के बारे में कोई सारवान प्रतिवाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा और इस स्वतंत्रता का उपयोग किये जाने के कारण पट्टेदार/पट्टेदारों को हुई हानि या नुकसान के लिये पट्टेदार / पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो, या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये ।

अधिकारी  
[ ७७ ]

अधिकारी

[ ६ ]

भाग-चार-राज्य सरकार के लिये आरक्षित स्वतंत्रताएं,  
शक्तियां तथा विशेषाधिकार

(१) अन्य खनिजों के बारे में कार्य करना-राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या किसी पट्टेदार को उक्त भूमि में तथा उस पर प्रवेश करने और उक्त खनिजों को छोड़कर अन्य खनिज तथा किन्हीं अन्य पदार्थों की खोज करने, प्राप्त करने, उसके सम्बन्ध में कार्य करने, खोदने, पाने, उत्खनन करने, दरेशी करने, प्रसंस्करित करने, संपरिवर्तित करने और ले जाने और उन प्रयोजनों के लिये, खनने सुरंग बनाने, तैयार करने, स्थापित करने, निर्माण करने, संधारण करने और ऐसे गड्ढों, कूपकों, भानतियों, अनुसुरंगों, समतालिकाओं तथा अन्य लाइनों, जलमार्गों, वायुमार्गों, जल प्रवाहों, नालों, जलाशयों, इन्जनों, मशीनरियों, संयन्त्र, भवनों, नहरों, ट्रामपथों, रेलपथों, सड़क मार्गों तथा अन्य कार्यों, और ऐसी सुविधाओं का जैसा कि आवश्यक या सुविधाजनक समझी जाये उपयोग करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति ।

परन्तु यह कि ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्ति का प्रयोग करने में, इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उनके सम्बन्ध में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जायेगा और जायेगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो, या असहमति की दशा में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये ।

(२) रेलपथ तथा रास्ते बनाना-राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या किसी पट्टेदार को इस विलेख के भाग-दो में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिये उक्त भूमियों में तथा उस पर प्रवेश करने और उस पर, उसके ऊपर या उसके आरपार किन्हीं रेलपथों ट्रामपथों तथा सड़क मार्गों को बनाने, संधारित करने और उनकी मरम्मत करने या किन्हीं विद्यमान रेलपथों, ट्रामपथों, सड़क मार्गों, पाइप लाइनों तथा अन्य मार्गों से या उन पर से या उनके साथ-साथ समस्त प्रयोजनों के लिये और जैसा कि किसी अवसर पर अपेक्षित हो, घोड़े, पशुओं या अन्य पशुगाडियों, बेगनी, बाहकी, लोकोमोटिवो या अन्य वाहनों सहित या रहित, पुनः पार करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति ।

परन्तु यह कि ऐसे अन्य पट्टेदार या व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्ति का करने प्रयोग में इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उनके सम्बन्ध के कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जायेगा और इस स्वतंत्रता या शक्ति का प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार/पट्टेदारों को हुई हानि या नुकसान के लिये पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकार दिया जायेगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो या असहमति की दशा में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये ।

बहाल



(२) स्वामित्व के संगणना के ढंग- उक्त स्वामित्वों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिये, पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा खपत किये गये तथा प्रेषण किये गये खनिज/खनिजों के उत्पादन का एक सही लेखा रखेगा। साथ ही खनिज / खनिजों की मात्रा का, जो कि स्टॉक में है या निर्यात की प्रक्रिया में है, इस नियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल की जा सकेगी।

(३) यदि भाटको और स्वामित्वों का समय पर भुगतान नहीं होता है तो कार्यवाही इस विलेख के निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन राज्य सरकार को शोध्य कोई भाटक, स्वामित्व या अन्य रकम का पट्टेदार / पट्टेदारों द्वारा विहित समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो वह रकम, उस पर शोध्य चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, साधारण व्याज के साथ, खनिज अधिकारी / सहायक खनिज अधिकारी के प्रमाणपत्र पर भू-राजस्व की वकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।

### भाग—सात पट्टेदार / पट्टेदारों की प्रसंविदाएं

(१) पट्टेदार भाटकों तथा स्वामित्वों, करो इत्यादि का भुगतान करेगा पट्टेदार, इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक तथा स्वामित्वों का ऐसे समयों पर तथा ऐसी रीति में, जो इस विलेख के भाग-पांच तथा छः उपबंधित है, भुगतान करेगा / करेगा और ऐसे समस्त करो रेंटों, निधोरणों तथा अधिरोपणों का चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, जो सांख्यिक मांग के स्वरूप के हों और जो पट्टेदार / पट्टेदारों के उन परिसरों तथा संकायों के, जो तत्सदृश्य अन्य परिसरों तथा संकायों के शामिलारी हों, सिवाय भू-राजस्वों की मांगों के, पर या उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा समय-समय पर प्रभावित किये जाये, निर्धारित किये जाये या अधिरोपित किये जाये, का भी भुगतान करेगा / करेगा तथा उनका उन्मोचन करेगा / करेगा।

(२) सीमा चिन्हों का अच्छी हालत में सवारण करना तथा रखना- पट्टेदार अपने उनके स्वयं के व्यय पर इस पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाये जाने वाले सीमांकन के अनुसार सीमा चिन्हों तथा स्तम्भों को स्थापित करेगा और समस्त समयों पर उन्हें सधारित तथा मरम्मत में रखेगा ऐसे चिन्ह तथा स्तम्भ झडियों से तथा अन्य बाधाओं से पर्याप्त स्पष्ट रहेंगे जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें।

(३) सक्रियाएं एक वर्ष के भीतर प्रारम्भ की जाएंगी और कुशलता से कार्य किया जायेगा पट्टेदार, पट्टा निष्पादित किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर सक्रिया प्रारम्भ करेगा / करेगा और उसके पश्चात् इस पट्टे के चालू रहने के दौरान समस्त समयों पर उक्त खनिजों को, स्वेच्छापूर्वक अवरोध के बिना निपुणता से तथा कुशलता से और इसमें इसके पश्चात् खण्ड १२ में विनिर्दिष्ट रीति से, उक्त भूमियों के भूतल या उस पर की फसलों, भवनों, संरचनाओं या अन्य सम्पत्ति को बनावश्यक या परिहार्य नुकसान किये बिना या किये जाने की अनुज्ञा दिये बिना, प्राप्त करेगा/करेगा, उनके सम्बन्ध में कार्य करेगा / करेगा तथा विकास करेगा / करेगा, इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये सक्रियाओं में खान के सम्बन्ध में मशीनरी स्थापित करना, ट्रामपथ विछाना या किसी रास्ते का निर्माण करना सम्मिलित है।

*[Handwritten Signature]*

१०

(४) सरकार की समस्त दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति रखा जायेगा-पट्टेदार, ऐसे समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिये, जो इस पट्टे द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उसके / उनके द्वारा किये गये हो, उस विषय पर प्रवृत्त विधि के अनुसार एमा युक्तियुक्त हरजाना तथा प्रतिकर देगा तथा उनको भुगतान करेगा / करेगा जो कि विधियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये और ऐसे समस्त दावों के तथा उसके बारे में समस्त लागत तथा खर्च के विरुद्ध, ऐसे किसी नुकसान क्षति या विघ्न के सम्बन्ध में जो किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किये जाये, राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा / करेगा और पूर्णरूप से तथा सम्पूर्णतः क्षतिपूर्ति रखेगा / रखेगा ।

(५) गडडे इत्यादि को सुरक्षित करना तथा अच्छी हालत में रखना-पट्टेदार इस पट्टे के अस्तित्व में रहने के दौरान समस्त गडडों तथा खदानों को, जो कि उक्त भूमियों में बनाये जाये या उपयोग में लाये जाये इमारती लकड़ी या अन्य टिकाऊ साधनों से अच्छी तरह से तथा पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा / रखेगा और ऐसे प्रत्येक गडडे या खदान के चाहे वह परित्यक्त हो अथवा न हो, ईद गिर्द, कलेक्टर के समाधान पर्यन्त बाड लगाएगा / लगाएगा तथा उसे संधारित करेगा / करेगा और उस अवधि के दौरान, उक्त भूमियों में की समस्त खदानों को सिवाय ऐसी खदानों के जो परित्यक्त कर दी है, यथा सम्भव जल से तथा दूषित वायु से मुक्त रखेगा / रखेगा ।

(६) खान को आवश्यक सीमा तक मजबूत करना तथा संभालना-पट्टेदार, यथास्थिति, मंविधित रेल प्रशासन या राज्य सरकार के समाधान पर्यन्त खान के किसी भाग को, जो कि उसकी राय में किसी रेलपथ, जलाशय, नहर, रास्ते, तथा किसी अन्य सार्वजनिक कार्य या संरचना की सुरक्षा में लिये ऐसा मजबूतीकरण या संभाल अपेक्षित है, मजबूत करेगा / करेगा तथा संभाल करेगा / करेगा ।

(७) खदानों का निरीक्षण अनुज्ञात किया जाना-पट्टेदार, निरीक्षण परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक्षण करने और उसके नक्शे बनाने, नमूने लेने तथा कोई आंकड़े एकत्र करने के प्रयोजन के लिये इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को परिसर में जिसमें कोई भवन, उत्खनन, या पट्टे में समाविष्ट भूमि सम्मिलित है, प्रवेश करने को अनुज्ञात करेगा / करेगा और पट्टेदार उसके / उनके द्वारा नियोजित ऐसे योग्य व्यक्ति के साथ, जो खान से तथा कार्यों से परिचित है, ऐसे अधिकारी अभिकर्ताओं, नौकरो तथा कर्मकारों को ऐसे प्रत्येक निरीक्षण करने के प्रभावी तौर पर सहायता करेगा / करेगा और खदानों के कार्यकरण के सम्बन्ध में ऐसी समस्त सुविधाएं जानकारी देगा / देगा जो कि वे युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित करे और ऐसे समस्त आदेशों तथा विनियमों, जैसे कि केन्द्र या राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा, समय समय पर अधिरोपित करना उचित समझ के अनुरूप धनिवार्य रूप से कार्य करेगा / करेगा तथा उनका अनुपालन करेगा / करेगा ।

(८) दुर्घटना की रिपोर्ट की जाना-पट्टेदार, बिना विलंब के कलेक्टर को किसी ऐसी दुर्घटना की एक रिपोर्ट भेजेगा / भेजेगा जो इस पट्टे के अधीन सक्रियाओं के अनुक्रम में हुई हो जिनके कारण मृत्यु या गम्भीर शारीरिक क्षति या संपत्ति में गम्भीर क्षति कारित की गई हो या जो जीवन या संपत्ति को गम्भीर रूप से प्रभावित या संकटापन्न करने वाली हो ।

Y  
कार्य (पट्टेदार)

बिना विलंब के

[ १० ]

(९) अन्य खनिजों के अन्वेषण की रिपोर्ट की जाना-पट्टेदार, पट्टा क्षेत्र में ऐसे किसी खनिज को, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, अन्वेषण की रिपोर्ट ऐसे प्रत्येक उपलब्ध के स्वरूप तथा स्थिति के बारे में पूर्ण विवरण के साथ कलेक्टर को अविलंब देगा / देगे। यदि ऐसा कोई खनिज, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, पट्टा क्षेत्र में अन्वेषित किया जाता है तो पट्टेदार ऐसे खनिज को तब तक प्राप्त नहीं करेगा / करेगे और उसका निपटारा नहीं करेगा / करेगे जब तक कि ऐसे खनिज को पट्टे में सम्मिलित न कर लिया जाये या उसके लिये पृथक एक पट्टा अभिप्राप्त न कर लिया जाये।

(१०) उत्पादन तथा कर्मचारियों इत्यादि के बारे में अभिलेखों तथा लेखाओं की रखा जाना-पट्टेदार उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर ऐसे कार्यालय में जो उक्त भूमियों पर या उसके निकट स्थित हो लेखाओं की सही तथा बोधगम्य ऐसी लेखा पुस्तकें रखेगा / रखेगे या रखवायेगा / रखवायेगे, जिनमें निम्नलिखित के सम्बन्ध में समय-समय पर सही प्रविष्टियां अन्तर्विष्टि होगी:—

[१] उक्त भूमियों से प्राप्त उक्त खनिज/खनिजों की मात्रा तथा प्रकार।

[२] उन खनिज / खनिजों को जिनका विक्रय तथा निर्यात किया गया हो, मात्राएं तथा विभिन्न प्रकार पृथक-पृथक रूप से।

[३] अन्यथा निपटाये गये विभिन्न प्रकारों के उक्त खनिज / खनिजों की मात्राएं और ऐसे निपटारे की रीति तथा प्रयोजन।

[४] उक्त खनिज / खनिजों के समस्त विक्रयों की कीमते तथा अन्य समस्त विवरण।

[५] उक्त भूमियों पर खानों या कार्यों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तकनीकी कामियों की राष्ट्रीयता अर्हत एवं तथा वेतन विनिर्दिष्ट करते हुये।

[६] ऐसे अन्य तथ्य, विशिष्टियों तथा परिस्थितियां, जिनके बारे में केन्द्र या राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे और अधिकारियों को ऐसे समयों पर जैसा कि केन्द्र या राज्य सरकार नियत करे ऐसी समस्त या किन्हीं लेखा पुस्तकों के अंशली तथा सही संक्षिप्त सार और पूर्वोक्त समस्त या किसी विषय के बारे में ऐसी जानकारी, विवरणियां, जैसा कि राज्य सरकार विहित करें, नि शुल्क प्रस्तुत करेगा / करेगे तथा ऐसे युक्तियुक्त समयों पर ऐसे अधिकारियों को, जैसा कि केन्द्र या राज्य सरकार उस निमित्त नियुक्त करे, उक्त लेखा पुस्तकों, रेखांकों तथा अभिलेखों का परीक्षण तथा निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपियां तथा उनके उद्धरण तैयार करने के प्रयोजनों के लिये उक्त कार्यालयों में प्रवेश करने तथा उन तक अबाध पहुंच रखने के लिये अनुज्ञात करेगा / करेगे।

(११) रेखांक इत्यादि संधारित करना-पट्टेदार, उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर खान कार्यालय में उक्त भूमियों में की खानों के सही, बोधगम्य, आदिनांक तथा सम्पूर्ण रेखांक संधारित करेगा / करेगे पट्टे के अधीन उक्त रेखांक में उसके / उनके द्वारा की गई समस्त सक्रियाएं तथा खूनाई और उसके/उनके द्वारा की गई सक्रियाओं के अनुक्रम में उसके/उनके द्वारा की गई समस्त खड्डा, गडढ तथा भू-वैज्ञानिक आंकड़े दर्शाये जायेंगे और ऐसे समस्त रेखांक उस प्रयोजन के लिये किये जाने वाले ऐसे वास्तविक सर्वेक्षण से और उसके द्वारा जो कि बारह मास या किसी ऐसी कालावधि के अन्त में,

जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, संशोधित किये जायेगे तथा भरे जायेगे धीरे पट्टेदार, राज्य सरकार को जब कभी अपेक्षित किये जाये, ऐसे रेखांकों की सही तथा ठीक प्रतिलिपियां निःशुल्क प्रस्तुत करेगा / करेगी समस्त खाइयो, गढडो के शुद्ध अभिलेखों में—

[क] वह अवमृदा तथा स्तर (स्ट्राटा) । समें वे हैं ।

[ख] कोई खनिज जो मिला है ।

[ग] राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हित का कोई अन्य विषय और समस्त आंकड़े दर्शाए जायेगे ।

पट्टेदार इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को समस्त युक्तियुक्त समयों पर उसका निरीक्षण करना अनुज्ञात करेगा / करेगी, जब कभी राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय, उस क्षेत्र का एक ऐसा संयुक्त रेखांक भी प्रदाय करेगा/करेगी जिसमें मोटाई, झुकाव, ढाल इत्यादि के साथ-साथ भण्डार के प्रकार के अनुसार मात्रा दर्शाई जाएगी ।

(१२) तृतीय पक्षों को हुई क्षति के लिये प्रतिकर का भुगतान- पट्टेदार इस विलेख द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताओं तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुये किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के किये गये समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिये युक्तियुक्त तथा समाधानकारक प्रतिकर देगा तथा उसका भुगतान करेगा/करेगी और समस्त समयों पर, से समस्त वायदे, दावो तथा मांगों के लिये तथा उनके विरुद्ध जो कि ऐसे किसी नुकसान, क्षति या विघ्न के लिये किसी व्यक्तियों द्वारा किये जाये राज्य सरकार की हानिरहित रूप से बचाएगा और क्षतिपूर्ति रखेगा शासकीय भूमि की दशा में क्रमशः १० तथा २० वर्षीय पट्टो के मामले में पट्टेदार भू-राजस्व के २० तथा ६० गुना के बराबर प्रतिकर का भुगतान करेगा / करेगी ।

(१३) अन्य खनिजों की खुदाई में बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी- पट्टेदार, एतद द्वारा प्रदान की गई स्वतन्त्रताओं तथा शक्तियों का ऐसी रीति में प्रयोग करेगा / करेगी कि जिससे उक्त भूमियों के भीतर ऐसे किसी खनिज का, जो इस पट्टे में सम्मिलित नहीं है, के विकास तथा खुदाई में कोई अनावश्यक या युक्तियुक्त रूप से परिहार्य कोई बाधा या अवरोध न हो और समस्त समयों पर, यथास्थिति उक्त भूमियों से निकट किसी भूमि में किसी ऐसे खनिजों या किन्ही खनिजों के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्य सरकार तथा पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियों या उत्खनन पट्टों के धारकों को, से खनिजों को प्राप्त करने खुदाई करने विकास करने तथा उनको ले जाने के प्रयोजन के लिये उन तक उक्त भूमियों के ऊपर तथा उसके आरवार युक्तियुक्त पहुंच मार्ग तथा सुरक्षित और सुविधाजनक पथ प्रदान करेगा / करेगी।

परन्तु यह कि पट्टेदार, ऐसे पट्टेदारों या पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियों के धारकों द्वारा ऐसे पथ के उपयोग के कारण या परिणामस्वरूप उसे / उन्हें किसी नुकसान या क्षति के लिये युक्तियुक्त प्रतिकर प्राप्त करेगा / करेगी ।

अधिकारी  
संयोजक (म.प्र.)

(१३)

(१४) पट्टे का अन्तरण-पट्टेदार, मन्जूरी प्राधिकारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना

[क] उद्वहनन पट्टा या उसमें के किसी अधिकारी, हक या हित को सममुदेशित नहीं करेगा / करेगा, उप-पट्टे पर नहीं देगा / देगा, बन्धक नहीं करेगा / करेगा या किसी भी रीति से अन्तरित नहीं करेगा / करेगा, या

[ख] ऐसा कोई ठहराव, संविदा या समझौता नहीं करेगा / करेगा जिसके द्वारा पट्टेदार / पट्टेदारों का सारवान सीमा तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से विन वाषण होगा जिसके द्वारा या जिसके अधीन पट्टेदार की सक्रियता या कारबार सरवार रूप से पट्टेदार / पट्टेदारों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की निकाय द्वारा नियंत्रित की जाये।

[ग] मन्जूरी प्राधिकारी एक लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय पट्टे को पर्यवसित कर सकेगा यदि उसकी राय में पट्टेदार / पट्टेदारों ने ऊपर दिये गये उपबन्धों से किसी उपबन्ध का भंग किया है या नियम ३५ में दिये गये अनुसार के सिवाय पट्टे या उसमें के किसी अधिकार, हक या हित का अन्तरण किया है परन्तु यह कि ऐसा कोई भी आदेश पट्टेदार / पट्टेदारों को उसका / उनका कथन करने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(१५) पट्टेदार आवश्यक अतिरिक्त रकम जमा करेगा-जब कभी रुपये .../१०००/..... का प्रतिभूति निक्षेप या उसका कोई भाग या प्रतिभूति निक्षेप की पुन. पूर्ति करने, राज्य सरकार के पास इसमें इसके पश्चात जमा की गई और रकम समपहत की जाये या इसमें इसके पश्चात घोषित शक्ति के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा उपयोग की जाये, तब पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और रकम जमा करेगा / करेगा जो कि प्रतिभूति रकम के अविनियोजित भाग के साथ मिलकर राज्य सरकार के पास जमा रकम को रुपये .../१०००/..... तक लाने के लिये पर्याप्त हो।

(१६) पट्टे का पर्यवसान किये जाने पर अच्छी हालत में खदान की राज्य सरकार को सुपुर्दगी-पट्टेदार उक्त अवधि या उसके नवीकरण का अवसान होने पर या ऐसी अवधि से पहले उसका पर्यवसान कर दिये जाने पर राज्य सरकार को समस्त खाने गड्डे, जलमार्ग और अन्य कार्य जो अब विद्यमान है या जो इसमें इसके पश्चात उक्त भूमि पर खोदे जाने वाले है या उस पर या उसके अधीन बनाये जाने वाले हैं, सिवाय उनके जिनका राज्य सरकार की मन्जूरी से परिहारा कर दिया गया है और किसी सामान्य उचित कार्यकरण वाले समस्त इंजिनों, मशीनरी, संयंत्र भवनों संरचनाएं अन्य कार्य तथा सुविधायें जो कि उक्त अवधि के प्रारम्भ होने के समय उक्त भूमि पर या उसके नीचे

89

स्वाकिसीर

[ १३ ]

थे तथा पट्टेदार / पट्टेदारों द्वारा स्थापित ऐसी समस्त मशीनरी जो कि खानों को क्षति पहुंचाये विनिकाली नहीं जा सकती या उक्त भूमि के नीचे के खुदाई कार्य (सिवाय उसमें से ऐसे जो राज्य सरकार की मन्जूरी से काम में न लाने वाले हो गये हैं) और पट्टेदार / पट्टेदारों द्वारा भूतल के ऊपर ईंटों या पत्थर से बनाये गई समस्त भवन तथा संरचनाएं, अच्छी मरम्मत की हालत में तथा दशा में और उक्त खानों का तथा उक्त खनिजों की और खुदाई के लिये समस्त दृष्टि से उपयुक्त हो, सुपुर्द करेगा / करेगे ।

(१७) अग्रक्रय का अधिकार- (क) राज्य सरकार वो, उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर तथा समस्त समयों पर एतद द्वारा अन्तर्गत उक्त भूमियों में पड़े उक्त खनिजों या पट्टेदार / पट्टेदारों के नियंत्रण में और कहीं पड़े हुये उक्त खनिजों को अग्रक्रय करने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेदार / पट्टेदारों को लिखित सूचना देकर किया जायेगा) और पट्टेदार सम्भव समस्त शीघ्रता से समस्त खनिजों को या इस उपबन्ध के अधीन, राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गये उत्पाद या खनिजों को, ऐसी मात्रा में ऐसे समयों पर ऐसी रीति में तथा ऐसे स्थान पर जो कि उक्त अधिकारों का प्रयोग करने बाबत सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये हैं सुपुर्द करेगा / करेगे ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा एतद द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये अग्रक्रय में लिये गये समस्त खनिज या खनिजों के उत्पादों की भुगतान की जाने वाली कीमत वह होगी जो कि अग्रक्रय के समय विद्यमान उचित बाजार कीमत हो ।

परन्तु यह कि उक्त उचित बाजार कीमत की संगणना करने में सहायता करने की दृष्टि से पट्टेदार, यदि ऐसी अपेक्षा की जाये, राज्य सरकार को, उसकी गोपनीय जानकारी के लिये अन्य ग्राहकों को, वेचे गये उक्त खनिजों या उनके उत्पादों की मात्राओं, वर्णनों तथा कीमतों के और माल भाड़े के लिये उसका वहन करने के लिये किये गए भाटक-पत्र (चाटंर) के विवरण प्रस्तुत करेगा / करेगे और ऐसे अधिकार या अधिकारियों को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाये, ऐसे खनिजों या उत्पादों के विक्रय या मालभाड़े के लिये पक्षकारों द्वारा की गई संविदाओं तथा भाटक पत्रों की मूल या अभिप्रमाणित प्रतिलिपिया प्रस्तुत करेगा / करेगे ।

(ग) युद्ध स्थिति या आपात काल के विद्यमान रहने की दशा में (जिसके विद्यमान रहने के बारे में भारत के राष्ट्रपति एकमात्र निर्णायक रहेंगे और भारत के राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना निश्चायक सवृत होगी) राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की सहमति से उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर तथा समस्त समयों पर उक्त भूमियों पर या उनके सम्बन्ध में पट्टेदार / पट्टेदारों के कार्यों, संयंत्र मशीनरी तथा परिसर का या इस पट्टे के अधीन संक्रियाओं का तत्काल कब्जा तथा नियंत्रण लेने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेदार / पट्टेदारों की एक लिखित सूचना द्वारा

अधिकारी

ना (मोप्रा)

85

अधिकारी

किया जायेगा) और ऐसे कब्जे या नियन्त्रण के दौरान पट्टेदार ऐसे कार्यों, समय और परिमर्तों तथा खनिज के उपयोग करने या उन्हें काम में लाने के बारे में केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन तथा पालन करेगा / करेगे।

परन्तु यह कि ऐसे उचित प्रतिकर का जो कि राज्य सरकार द्वारा कशर करने में व्यतिक्रम किये जाने पर उसके द्वारा अवधारित किया जाये, पट्टेदार / पट्टेदारों को इस खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में या उसके परिणामस्वरूप उसे / उन्हें हुये समस्त हानि या नुकसान का भुगतान किया जायेगा।

परन्तु यह और कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग, एतद द्वारा प्रदान की गई उक्त अवधि को पर्यवसित नहीं करेगा या इस विलेख के निबन्धनों तथा उपबन्धों को इस खण्ड के उपबन्धों को प्रभावशील करने के लिये आवश्यकता से अधिक प्रभावित नहीं करेगा।

(१८) राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली-यदि कोई ऐसे कार्य या विषय जो कि उस निमित्त इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट प्रसविदाओंके अनुसार पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा किये जाने है या उनका पालन किया जाना है उस निमित्त विनिदिष्ट किये गये समय के भीतर नहीं किये जाते हैं या उनका पालन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार उन्हें करवा सकेगी या उनका पालन करवा सकेगी और पट्टेदार मांग की जाने पर राज्य सरकार को ऐसे समस्त व्ययों का भुगतान करेगा / करेगे जो कि इस प्रकार कार्य किये जाने या उनका अनुपालन किये जाने में किये गये हो तथा ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(१९) अन्य व्यवहाराएँ- (क) पट्टेदार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से अन्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा/करेगे।

(ख) पट्टेदार, खान अधिनियम १९५२ तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का पालन करेगा / करेगे।

(ग) पट्टेदार स्वयंके व्यय पर पर्यावरण की सुरक्षाके लिये वृक्षारोपण, भूमि का पुनरुद्धार, प्रदूषण नियन्त्रण युक्तियों का उपयोग जैसे उपाय और ऐसे अन्य उपाय करेगा/करेगे जैसे कि कलेक्टर द्वारा समय-समय पर विहित किये जाये।

(घ) पट्टेदार, नियमों में निर्धारित तारीख पर तथा रीति में भूमि के अधिभोगी को प्रतिकर का भुगतान करेगा / करेगे।

(ङ) पट्टेदार, नियोजन के विषय में जन जातियों तथा स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा/देगे।

(च) पट्टेदार नियमों में यथा उल्लिखित विधिमान्य अभिवहन पास के बिना पट्टा क्षेत्र से कोई खनिज या उसके उत्पाद का परिवहन नहीं करेगा / करेगे।

(१४)

बुधबुधबुध (१४)

भाग—आठ राज्य सरकार की प्रसंविदाएं

(१) पट्टेदार अधिकारों को निर्बाध रूप से धारण कर सकेगा / सकेगे तथा उनका उपभोग कर सकेगा / सकेगे—पट्टेदार, एतद द्वारा आरक्षित भाटकों तथा स्वामित्वो का भुगतान करने पर और इसमें अन्तर्विष्ट समस्त प्रसंविदाओं तथा करारों का पालन तथा सम्पादन करने पर या पट्टेदार / पट्टेदारों की ओर से पालन तथा सम्पादन किये जाने पर ऐसे अधिकारों तथा परिसरों का जो एतद द्वारा पट्टान्तरित किये गये है तथा ऐसी अवधि के दौरान जो कि एतद द्वारा प्रदान की जाती है, राज्य सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसके अधीन दावा करे बिना किसी अवैध विधन के धारण करेगा / करेगे या धारण कर सकेगा / कर सकेगे और उनका उपयोग करेगा / करेगा या उपभोग कर सकेगा / कर सकेगे ।

(२) तृतीय पक्षों की भूमि का अर्जन तथा उसका प्रतिकर— यदि, इस अनुसूची के भाग सात के खण्ड ४ के उपबन्ध के अनुसार, पट्टेदार, उक्त भूमियों के किसी भाग की सतह के दखलदार को किसी नुकसान या क्षति के लिये जो कि पट्टेदार / पट्टेदारों की प्रस्तावित संक्रियाओं के कारण उदभूत हो प्रतिकर देने की प्रस्थापना करे और उक्त दखलदार राज्य सरकार को आरक्षित तथा इस विलेख द्वारा पट्टेदार / पट्टेदारों को पट्टान्तरित किये गये हैं अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करने में अपनी सहमति देने से इन्कार करे तो पट्टेदार इस विषय की रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा / करेगे और उसके पास वह रकम जमा करेगा / करेगे जो कि प्रतिकर के रूप में प्रस्थापित की थी और यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिकर की प्रस्थापित रकम उचित तथा युक्तियुक्त है या यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है और पट्टेदार / पट्टेदारों ने उसके पास ऐसी और रकम, जैसी कि राज्य सरकार उचित तथा युक्तियुक्त समझे तो राज्य सरकार दखलदार को यह आदेश देगी कि वह पट्टेदार / पट्टेदारों को उस भूमि में प्रवेश करना और ऐसी संक्रियाएं करना अनुज्ञात करे जैसी कि इस पट्टे के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो। ऐसे प्रतिकर की रकम का निर्धारण करने में राज्य सरकार भूमि-अर्जन अधिनियम के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी ।

(३) नवीकरण किया जाना— नियमों के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार उत्खनन पट्टा नवीकरण किये जाने योग्य है ।

(४) पट्टा पर्यवसित करने की स्वतंत्रता— [१] पट्टेदार, मन्जूरी प्राधिकारी को कम से कम छः कलेण्डर मास की एक लिखित सूचना देकर इस पट्टे को किसी भी समय पर्यवसित कर सकेगा / कर सकेगे और ऐसी सूचना का अवसान होने पर, यदि पट्टेदार ऐसा अवसान होने पर समस्त भाटको, स्वामित्व, नुकसानों के लिये प्रतिकर और ऐसा धन देगा / देगे और उसका भुगतान करेगा / करेगे जो कि उस समय शोध्य हो तथा इस विलेख के अधीनस्थ पट्टाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को देय है और इस विलेख को राज्य सरकार को परिदत्त करेगा तब यह पट्टा तथा

स्थान अधिकारी

तनना (म०प्र०)

87

*(Handwritten signature)*

उक्त अवधि और एतद द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार अतिरिक्त रूप से समाप्त हो जायेंगे और पर्यवसित हो जायेंगे किन्तु वे, इस विलेख में अत्यविष्ट किन्ही प्रसिद्धियों या करार के किसी भाग के सम्बन्ध में पट्टाकर्ता के किसी अधिकार या उपचार पर कोई अतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे ।

(२) मन्जूरी प्राधिकारी, पट्टेदार द्वारा किये गये आवेदन पर उसे उसके पट्टे से, जो कि खनिजों समूह के लिये है, या अधिक खनिजों का इस शत के अध्वधीन रहते हुये कि खनिज के भण्डार अब इस सीमा तक निशेष हो चुके हैं या उनका इस सीमा तक हास हो गया है कि इस खनिज के बारे में कार्य करना आर्थिक रूप से और आगे सम्भव नहीं है अर्पित करने की अनुज्ञा देगा कि पट्टेदार:—

[क] ऐसे खनिज के अर्पण के लिये आवेदन ऐसी आशयित तारीख के कम से कम छः माह पूर्व करेगा, और

[ख] यह वचन देता है कि वह, इस प्रकार अर्पित खनिज के बारे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे उस खनिज के लिये बाद में उत्खनन पट्टा प्रदान किया गया है, की जाने वाली खुदाई में कोई रुकावट कारित नहीं करेगा ।

(५) प्रतिभूति निक्षेपों की प्रतिदाय— इस पट्टे या उसके किसी नवीकरण का पर्यावसान होने के पश्चात् ऐसी तारीख को जिसे कलेक्टर चयन करे, इस पट्टे के सम्बन्ध में भगतान की गई प्रतिभूति निक्षेप की रकम का जो राज्य सरकार के पास जमा है और जिसका उपयोग इस पट्टे में विगत प्रयोजनों में से किसी के लिये अपेक्षित नहीं है पट्टेदार / पट्टेदारों को प्रतिदाय कर दी जायेगी प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं होगा ।

#### भाग—नी—सामान्य उपबंध

(१) निरीक्षण में बाधाएं— इस मामले में, जहां पट्टेदार या उसका / उनके अंतरिती समुदेशिती उन अधिकारियों द्वारा जो उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये गये हैं, प्रवेश किये जाने या निरीक्षण किये जाने की अनुज्ञात नहीं करता है तो कलेक्टर, पट्टेदार / पट्टेदारी को लिखित सूचना देगा तथा उससे / उनसे यह अपेक्षा करेगा कि वह / वे ऐसे समय के भीतर, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, यह कारण बतलाये कि पट्टा क्यों न पर्यवसित कर दिया जाये तथा उनका / उनके प्रतिभूति निक्षेप क्यों न समपहृत कर लिये जाये, और यदि पट्टेदार उपरोक्त समय में मन्जूरी प्राधिकारी को समाधानपर्यन्त कारण बतालाने में असफल रहता है / रहते है तो वह पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा प्रतिभूत निक्षेप की सम्पूर्ण राशि या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगा ।

*Handwritten signature*

88

(२) स्वामित्व का भुगतान करने में व्यतिक्रम करने तथा प्रसविदाओं को भंग करने के मामले में शांति- यदि पट्टेदार या उसकी / उनके अधिनस्थ या समुदायिता नियमों, अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित भाटक या स्वामित्व का भुगतान करने में व्यतिक्रम करता है / करते हैं या शर्तों में से किसी शर्त तथा प्रसविदा को, उन शर्तों को छोड़कर, जो कि ऊपर प्रसविदा क्र० १ में निदिष्ट है भंग करता है / करते हैं, तो कलेक्टर, पट्टेदार / पट्टेदारों से यह अपेक्षा करते हुये एक सूचना देगा कि वह 7 वे यथा स्थिति, भाटक स्वामित्व का भुगतान या भंग का उपचार, सूचना की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर करे और यदि ऐसे समय के भीतर भाटक तथा स्वामित्व का भुगतान या भंग का उपचार नहीं किया जाता है, तो मन्जरी प्राधिकारी ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कि उसके / उनके विरुद्ध की जा सकती है, पट्टेदारों को सूचित कर सकेगा तथा प्रतिभूति निक्षेप की सम्पूर्ण राशि या उसका कोई भाग समपूत कर सकेगा या नियमों में यथा उपबंधित शांति अधिरोपित कर सकेगा।

(३) अपरिहार्य घटना के कारण पट्टे की पूर्ति करने में असफलता पट्टेदार / पट्टेदारों द्वारा इस पट्टे की शर्तों में से किसी भी शर्त की पूर्ति करने में अफल रहने पर राज्य सरकार पट्टेदार / पट्टेदारों के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेगी या ऐसी असफलता को इस पट्टे का भंग होना नहीं समझा जायेगा जहां तक कि ऐसी असफलता को उस सरकार द्वारा अपरिहार्य घटना के कारण उद्भूत होने वाली समझा जाता है और यदि अपरिहार्य घटना के कारण पट्टेदार / पट्टेदारों द्वारा इस पट्टे की शर्तों तथा निबंधनों में से किसी शर्त तथा निबंधनों को पूर्ति में विलम्ब होता है तो ऐसे विलम्ब की अवधि को इस पट्टे द्वारा नियत की गई कालावधि में जोड़ दिया जायेगा। इस खण्ड में आभ-व्यक्ति "अपरिहार्य घटना" से अभिप्रेत है, दबोका, युद्ध विप्लव, बलवा सिविल अशांति, हड़ताल भूकम्प, ज्वार भाटा, तूफान, ज्वारिया, लहर, बाढ़, तूफान, (लायटनिंग), विस्फोट, आग या अन्य कोई ऐसी घटना जिसे पट्टेदार युक्तियुक्त रूप से निवारित या नियंत्रित नहीं कर सकता था/कर सकते थे।

(४) पट्टे का अवसान होने पर पट्टेदार उसकी / उनकी सम्पत्ति हटा लगे- पट्टेदार, इस विलेख के कारण देय भाटकों तथा स्वामित्वों का प्रथमतः भुगतान करने पर तथा उन्हें उन्मोचित करने पर उक्त अवधि का अवसान होने के पश्चात या उसका पूर्वतर पयोवसान किये जाने के पश्चात तीन कलेण्डर माह के भीतर (जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड १ तथा २ के अधीन पर्यवसित न कर दिया जाये और उस मामले में, पन्द्रह दिन से कम न होने वाले समय में किसी भी समय, ना कि ऐसे पयोवसान से तीन कलेण्डर माह के भीतर (उसके / उनके फायदे के लिये समस्त या किसी इंजिन, मशीनरी, संयंत्र भवन, संरचना, ट्रामपथ तथा अन्य किसी कार्य, परिनिर्माण और सुविधाओं को जो कि पट्टेदार / पट्टेदारों द्वारा उक्त भूमियों में या उन पर खड़े किये गये हो स्थापित किये गये हो या रखे गये हो और जिन्हें पट्टेदार इन नियमों के अधीन राज्य सरकार को परिदत्त करने के लिये बाध्य नहीं है, उठाए जा सकेंगे तथा हटाये जा सकेंगे।

(५) पट्टा पर्यवसित किये जाने से तीन मास से अधिक समय के पश्चात रहने दी गई सम्पत्ति का समहरण-यदि उक्त अवधि के अवसान या इस अनुसूची के भाग-आठ के खण्ड ४ में अन्तर्विष्ट उपबंध के अधीन उस अवधि के पूर्वतर [पर्यावसान प्रभावी होने से तीन कलेण्डर माह के अन्त में उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजिन, मशीनरी, संयंत्र, भवन, संरचनाएं, ट्रामपथ तथा अन्य कार्य; परिनिर्माण

मान अधिकारी  
चिन्ता मतना (म०म०)

२०/१२/२०१५

[ ८५ ]

तथा सुविधाएं या अन्य सम्पत्ति, जो कि पट्टेदार / पट्टेदारों द्वारा उद्धृत पट्टे के अधीन उनके द्वारा / उनके द्वारा प्रारित किन्हीं अन्य स्थितियों में किये जाने वाले संकायों के सम्बन्ध में अर्पण नहीं है तो वे उन्हें हटाये जाने की अपेक्षा करते हुये कलेक्टर द्वारा पट्टेदार / पट्टेदारों को कोई लिखित सूचना के पश्चात् यदि एक कलेक्टर माह के भीतर न हटाये जाये, तो वे उनके संबंध में पट्टेदार / पट्टेदारों को कोई प्रतिकर देने या उस बाबत उन्हें कंफियत देने के दायित्व के बिना राज्य सरकार की सम्पत्ति समझे जायेगे, तथा वे ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार उचित समझ विवक्षित किये जा सकेंगे या उनका निपटारा किया जा सकेगा।

(६) यह पट्टा जिला सतना में निष्पादित किया गया है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद २२३ के अधीन, पट्टेदार और पट्टाकर्ता के बीच एतद द्वारा यह करार किया जाता है कि पट्टे के अधीन क्षेत्र पट्टे की शर्त, पट्टे के अधीन वसूलीय शोध्या के सम्बन्ध में तथा पट्टाकर्ता के सम्बन्ध के बारे में कोई विवाद होने की दशा में, बाद (या अपीले) जिला सतना कोर्ट (स्थित नगर का नाम) के जज न्यायालयों में फाइल किये जायेंगे तथा यह स्पष्टतः करार किया जाता है कि ऊपरनामित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में कोई वाद फाइल करने तथा कोई कार्रवाई करने या कोई याचिका फाइल करने के लिये पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार संक्षम नहीं होगा।

(७) स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिये पट्टान्तरित क्षेत्र से प्रत्याशित स्वामित्व रुपये 32000/- रायनीया प्रतिवर्ष है।

जिसके साक्ष्य में यह जिलेख, प्रथमतः ऊपर लिखी तारीख को इसके अधीन वर्णित रीति में निष्पादित किया गया है।

(८) कार्यपत्र पत्रिका रपनन के अधिकतम गहराई २ मीटर तक रखेगा।  
साक्षी : राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिये तथा उनकी ओर से


(1) [Signature] 2/3/52 COLLECTOR SATNA (M. P.)  
द्वारा हस्ताक्षरित  
जिला सतना (M.P.)

(साक्षी): [Signature] M.P.  
(१) [Signature] पट्टेदार

(२) [Signature] साक्षी-I  
[Signature] तारीख

हस्ताक्षरित तथा अंदाजिताने  
विक्रेता—सतना फोर्टी काली सेक्टर 24430 सतना विद्वान प्रेस 26430

90



उत्तराखण्ड में स्वीकृत क्षेत्र  
 ग्राम रामबजा  
 तहसील रामपुरा जिला  
 जिला सतना (म.प्र.)  
 पैमाना 16" = 1 मील

श्रीमान श्री  
 श्रीमान श्री  
 श्रीमान श्री  
 श्रीमान श्री

COLLECTOR  
 SATNA (M. P.)

*[Signature]*  
 श्रीमान (No. 8)

स्वीकृत क्षेत्र  
 उत्तराखण्ड जिला सतना  
 1289 P  
 1344 P  
 15  
 S-85 एन.प्र.


91

# 137

## Consent Order

Annexure - 13

Amarpatan Maihar By Pass,  
Rewa Road Satna, Pin -485001  
Satna



RED-SMALL	CCA-Fresh	CONSENT NO: ***	PCB ID: 140004
-----------	-----------	-----------------	----------------

Outward No: 14074/24/12/2021  
NO: /MPPCB/SAT

Consent No: AW-94716

To,  
The Occupier,  
M/s. Ambuj Dwivedi S/o Shri Manoj Kumar Dwivedi  
(Srone Qarry Mines Ramnagar),  
Village :- Ramnagar, Rampur (Murwar),  
Dist : Satna, (M.P.)

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 & under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981  
Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1102929 Dt. 06/12/2021 .

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 05.12.2022, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

### SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- a. Location: 1289/1344/1/GA/1, Village Ramnagar , Tehsil Rampur Baghelan, Satna
- b. Mines Area 2 hect:
- c. Product & Production Capacity:

Product	Production Capacity
Mining of Stone boulder	20000 Cum per annum

Note:- For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.

The Validity of the consent is up to 05.12.2022 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

- Enclosures:-
- \* Conditions under Water Act
  - \* Conditions under Air Act
  - \* General conditions

To: District Mining Officer, (Mining Section) Collector office, Satna (MP) for information

*Sign*  
Digitally Signed with Aadhaar  
TPAV # 1RFN489VB5

Signature Not Verified  
Digitally Signed by : KAILASH PRASAD SONI, E.E.  
Date: 24/12/2021 05:01:02 PM

92

*Signature*  
KAILASH PRASAD SONI  
Regional Officer

Board - Satna  
Maihar By Pass,  
na, Pin -485001  
Satna  
07672-237273

**PROVISIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-**

The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage out fall of the unit shall not exceed 0.100 KL/day

**Trade Effluent Treatment:-**

The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0	TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.	Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.			
COD	Not exceed	250 mg/l.			
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.			

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 4.500	WWG : 0.100	Water Source	Remark
1	Domestic Purpose	0.500	0.100	Tankers	
2	Dust Suppression	4.000	0.000	Tankers	

4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt devolvement/gardening within premises. Hence zero discharge condition shall be practiced. In no case treated effluent shall be discharged outside of industry/unit premises.

5. Water meter preferably electromagnetic/ultrasonic type with digital flow recording facilities shall be installed separately for category wise consumption of water for Industrial cooling/boiler feed, mine spray, process & domestic purposes and data shall be submitted online through XGN monthly patrak/statements. The industry/unit shall also monitor the treated wastewater flow and report the same online through monthly patrak/statements.

6. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

7. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

8. The Consent does not authorize or approve the Construction of any physical structures or facilities or the undertaking of any work in any water course or within its high flood level (HFL) area

9. The specific effluent limitations and pollution control systems applicable to the discharge permitted herein are set forth as above conditions.

10. Compilation of Monitoring data-  
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.  
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.  
iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online

Consent No:AW-94710

93

the Board.

### Recording of Monitoring Activities & Results-

The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this consent.

1. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

- (i) The date, exact place and time of sampling
- (ii) The dates on which analysis were performed
- (iii) Who performed the analysis?
- (iv) The analytical techniques or methods used and
- (v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

12. Reporting of Monitoring Results:-  
Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

13. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-  
The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

14. Limitation of visible floating solids and foam:  
During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

15. Disposal of Collected Solid waste/sludge-  
All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

16. Provision for Electric Power Failure-  
The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

17. Prohibition of By pass system of treatment facilities-  
The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except :

- i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
- ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

18. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

### **Additional Water condition:- (if any) :-**

1. The mine management shall maintain zero discharge condition.
2. Mine management shall make arrangements for ground water recharge.
3. Ensure that the silt shall not flow into the nearby water body.

Consent No:AW-94716

99

**CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-**

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-
2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
  - a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (PM10  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  24 hrs. basis)
  - b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (PM2.5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  24 hrs. basis)
  - c. Sulphur Dioxide [SO<sub>2</sub>] (24 hrs. Basis) - 80  $\mu\text{g}/\text{m}^3$
  - d. Nitrogen Oxides [NO<sub>x</sub>] (24 hrs. Basis) - 80  $\mu\text{g}/\text{m}^3$
  - e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000  $\mu\text{g}/\text{m}^3$
3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
4. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.
5. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.
6. The industry/ unit shall ensure all necessary arrangements for control of odour nuisance from the industrial activities or process within premises
7. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

**Additional Air condition:- (if any) :-**

1. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation for general improvement of environmental conditions.
2. Major approach roads and haul roads shall be metal topped.
3. Drills shall be wet operated to reduce the fugitive emission.
4. Mining area should be surrounded by green belt having thick canopy of the tree cover.
5. Sufficient number of water tanker for water sprinkling shall be provided for the control of fugitive emission from haul road.
6. The Consent/Renewal issued under Air/Water acts is subjected to the mining lease issued by Mining Department. Therefore, at any time, if the mining lease is cancelled/suspended by Mining Department in future, this consent/renewal shall be treated as automatically null and void with immediate effect from the date of cancellation of mining lease and industry shall immediately stop the production at this site.

95

STATE OF MADHYA PRADESH  
Amarpatan Maihar By Pass,  
Rewa Road Satna, Pin -485001  
Satna

**GENERAL CONDITIONS:**

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
  - a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
  - b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
  - c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
  - d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
  - e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.
4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
5. Industry shall install separate electric metering arrangement for running of pollution control devices and this arrangement shall be made in such fashion that any non functioning of pollution control devices shall immediately stop electric supply to the production and shall remain tripped till such time unless the pollution control device/devices are made functional. The record of electricity consumption for running of pollution control equipment shall be maintained and submitted to the Board every month
6. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.
7. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
8. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation
9. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
10. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
  - (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
  - (b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
  - (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
11. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

**Additional condition:- (if any) :-**

For and on behalf  
M.P. Pollution Control Bd

96

Digitally signed by Kailash Prasad Soni  
DN: cn=Kailash Prasad Soni, o=MP PCB, email=kailash@mppcb.gov.in

KAILASH PRASAD SONI  
Regional Officer

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)

TPAV # 1RPN489VB5

प्ररूप-सात  
(नियम 26 देखिए)  
उत्खनन पट्टा विलेख

यह करार एक पक्षकार के रूप में म.प्र. राज्यपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उनके पदोत्तरवर्ती भी हैं) और दूसरे पक्षकार श्री अम्बुल द्विवेदी आत्मज श्री मनोज कुमार द्विवेदी, निवासी ग्राम/पोस्ट जनार्दनपुर, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना, म.प्र. (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिती भी हैं);

अथवा

.....X.....X..... (सोसायटी या सहयोजन का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) तथा .....X..... (व्यक्ति का नाम, पद सहित) जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उसके अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी हैं);

अथवा

.....X.....X..... (भागीदारों के नाम तथा पते) आत्मज .....X.....X..... निवासी .....X..... समस्त व्यक्ति, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932(1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म के नाम तथा अभिनाम .....X..... (फर्म का नाम) के अधीन भागीदारी में कारबार कर रहे हैं और जिनका रजिस्टर्ड कार्यालय .....X..... में .....X..... पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उक्त समस्त भागीदार, उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी हैं);

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी .....X.....X..... (कंपनी का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .....X.....X..... पर है (पता) जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी हैं);


के बीच आज तारीख ..... को किया गया।

पट्टेदार/पट्टेदारों ने, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) इसके नीचे लिखी गई अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों के संबंध में पत्थर (यांत्रिक विधि से गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनन पट्टे के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है और राज्य सरकार के पास प्रतिभूति के रूप में रुपये 1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) की राशि जमा की है;

*A. Deiveli*

97

उप संचालक (स्वनिज प्रशासन)  
जिला-सतना (MOPRO)



## Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Satna  
Amarpatan Maihar By Pass,  
Rewa Road Satna, Pin -485001  
Satna  
Tele : 07672-237273

RED-SMALL

CCA-Renewal  
(AW Validity 05/12/2027)

CONSENT NO: \*\*\*

PCB ID: 140004

NO: /MPPCB/SAT

Outward No:14556.12/01/2023

Consent No:AW-108874

To,

The Occupier,

M/s. Ambuj Dwivedi S/o Shri Manoj Kumar Dwivedi (Mines Area 2 Hect),

Vill.- Rampur (Murwar), Teh.- Rampur Baghelan

Dist.- Satna, Latitude : 24.6150 Longitude : 81.0755

Subject: Grant for Renewal of Consent under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 & under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

Ref: Your Application for Renewal Consent Receipt No. 1257161 Dt. 19/12/2022

With reference to your above application for Renewal of consent has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant for Renewal of consent up to 05/12/2027, subject to the fulfilment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

### SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- Location: Khasra-1289/1344/1/GA/1, Rakwa-2.0 Hect, Village -Ramnagar, Tehsil- Rampur Baghelan, Distt.- Satna (M.P.)
- Total Mining Lease Area:- 2.0 Hect.
- Product & Production Capacity:

Product	Qty / year
Mining of Stone Boulder	20000 M <sup>3</sup> /Y (Twenty Thousand Cubic Meter Per Year)

For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.

The Validity of the consent is up to 05/12/2027 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

#### Enclosures:-

- \* Conditions under Water Act
- \* Conditions under Air Act
- \* General conditions

CC-(9-

Mining officer Satna, Distt. Satna (M.P.) for information Please.

Signature Not Verified

Digitally Signed by : KAILASH PRASAD SONI, E.E.

Date: 12/01/2023 06:12:17 PM

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)

  
KAILASH PRASAD SONI  
Regional Officer

TPAV# 6Q6DQ956G6 mp.nic.in are valid and does not require physical signatures. the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

Page: 1 / 6

98

**Consent Order**

M.P. Pollution Control Board - Satna  
Amarpatan Maihar By Pass,  
Rewa Road Satna, Pin -485001  
Satna  
Tele : 07672-237273

**CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-**

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.300 KL/day

## 2. Trade Effluent Treatment:-

The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0	TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.	Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.
BOD <sub>5</sub> Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.			
COD	Not exceed	250 mg/l.			
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.			

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD <sub>5</sub> Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 3.500	WWG : 0.300	Water Source
1	Domestic Purpose	0.500	0.300	Tankers
2	Dust Suppression	3.00	0.000	Tankers

4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt development/gardening within premises. Hence zero discharge condition shall be practiced. In no case treated effluent shall be discharged outside of industry/unit premises.

5. Water meter preferably electromagnetic/ultrasonic type with digital flow recording facilities shall be installed separately for category wise consumption of water for Industrial cooling/boiler feed, mine spray, process & domestic purposes and data shall be submitted online through XGN monthly patrak/statements. The industry/unit shall also monitor the treated wastewater flow and report the same online through monthly patrak/statements.

6. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

7. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent


8. The Consent does not authorize or approve the Construction of any physical structures or facilities or the undertaking of any work in any water course or within its high flood level (HFL) area

9. The specific effluent limitations and pollution control systems applicable to the discharge permitted herein are set forth as above conditions.

## 10. Compilation of Monitoring data-

i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.

ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.



## Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Satna  
Amarpatan Maihar By Pass,  
Rewa Road Satna, Pin -485001  
Satna  
Tele : 07672-237273

iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

### 11. Recording of Monitoring Activities & Results-

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

- (i) The date, exact place and time of sampling
- (ii) The dates on which analysis were performed
- (iii) Who performed the analysis?
- (iv) The analytical techniques or methods used and
- (v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

### 12. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

### 13. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

### 14. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

### 15. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

### 16. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

### 17. Prohibition of Bypass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except:

- i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
- ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

18. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

### Additional Water condition:-

1. The mine management shall maintain zero discharge condition.
2. Mine management shall make arrangements for ground water recharge.
3. Ensure that the silt shall not flow into the nearby water body

**Consent Order**

M.P. Pollution Control Board - Satna  
 Anurpitan Malhar By Pass,  
 Rewa Road Satna, Pin -485001  
 Satna  
 Tele : 07672-237273

**CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-**

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-
2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 15/11/09. Some of the parameters are as follows:
  - a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (PM10  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  24 hrs. basis)
  - b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (PM2.5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  24 hrs. basis)
  - c. Sulphur Dioxide [SO<sub>2</sub>] (24 hrs. Basis) - 80  $\mu\text{g}/\text{m}^3$
  - d. Nitrogen Oxides [NO<sub>x</sub>] (24 hrs. Basis) - 80  $\mu\text{g}/\text{m}^3$
  - e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000  $\mu\text{g}/\text{m}^3$
3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
4. Industry/Unit shall provide with each stack port hole with safe platform of 1 meter width with support & spiral ladder/ Stepped ladder with hand rail up to monitoring platform as per specifications given in part-III emission regulation of CPCB. In no case monkey ladder shall be allowed as stack monitoring facility.
5. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.
6. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.
7. The industry/ unit shall ensure all necessary arrangements for control of odour nuisance from the industrial activities or process within premises
8. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.
9. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation preferably around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions and as stated in below..

(Minimum number of plants to be planted by the unit:-65 )

**Additional Air condition:-**

1. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation for general improvement of environmental conditions.
2. Major approach roads and haul roads shall be metal topped.
3. Drills shall be wet operated to reduce the fugitive emission.
4. Mining area should be surrounded by green belt having thick canopy of the tree cover.
5. Sufficient number of water tanker for water sprinkling shall be provided for the control of fugitive emission from haul road.
6. The Consent/Renewal issued under Air/Water acts is subjected to the mining lease issued by Mining Department. Therefore, at any time, if the mining lease is cancelled/suspended by Mining Department in future, this consent/renewal shall be treated as automatically null and void with immediate effect from the date of cancellation of mining lease and industry shall immediately stop the production at this site

**Consent Order**

M.P. Pollution Control Board - Satna  
Amarpatan Maihar By Pass,  
Rewa Road Satna, Pin -485001  
Satna  
Tele : 07672-237273

**GENERAL CONDITIONS:**

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

**Non Hazardous Solid wastes:-**

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny bags etc		Sale to authorized party/As Per CPCB. MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
- To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
  - To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
  - To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
  - To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
  - To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.
4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
5. Industry shall install separate electric metering arrangement for running of pollution control devices and this arrangement shall be made in such fashion that any non functioning of pollution control devices shall immediately stop electric supply to the production and shall remain tripped till such time unless the pollution control device/devices are made functional. The record of electricity consumption for running of pollution control equipment shall be maintained and submitted to the Board every month
6. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Trans boundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.
7. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
8. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation
9. The industry/unit shall establish a separate environmental cell, headed by senior officer of the unit for reporting the environmental compliances. The industry/ Unit shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
10. Industry shall obtain membership of Emergency Response Center of the Board if needed.
11. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
12. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following:
- Violation of any terms and conditions of this Consent.
  - Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
  - A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
13. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

102



## Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Satna  
 Amarpatan Maihar By Pass,  
 Rewa Road Satna, Pin -485001  
 Satna  
 Tele : 07672-237273

### Additional condition:-

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorization. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of  
 M.P. Pollution Control Board

Digitally signed by Kailash Prasad Soni  
 DN: cn=Kailash Prasad Soni, o=M.P. Pollution Control Board, email=kpsoni@mppcb.gov.in, c=IN

**KAILASH PRASAD SONI**  
 Regional Officer

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)

71E2A11751Q5BQ956G6 mp.nic.in are valid and does not require physical signatures. the certificate can be validated online from sgn.mp.nic.in using "TPAV" Number

Page: 6 / 6

Consent No:AW-108874

103

Annexure 14

## कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र सतना,



## वनमण्डल सतना (म.प्र.)



(मुख्यालय रेल्वे फाटक के पास सिविल लाईन सतना)

E-Mail-Rotsatna@mp.gov.in

क्रमांक / 977  
प्रति,

सतना, दिनांक / 23/4/26

क्षेत्रीय अधिकारी,  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना,  
जिला सतना (म.प्र.)

- विषय:- माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक 30/2026 (CZ) तुषार द्विवेदी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश के अनुसार संयुक्त निरीक्षण करने बावत्।
- संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 2091 / क्षे.का / प्र.नि.बो. / पूर्व / 2026 सतना, दिनांक 16.03.2026 एवं निरीक्षण दिनांक 18.03.2026

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में लेख है कि माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक 30/2026 (CZ) तुषार द्विवेदी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 18.03.2026 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में वन विभाग से संबंधित बिन्दुओं का उत्तर निम्नानुसार है

- In point no.-05 Petitioner complaint that respondent no. 09 has carried out mining operations without proper boundary demarcation, has illegally encroached into the adjoining forest area.

For above complaint team of revenue department and forest department conducted Joint survey (सीमांकन), there is no excavation in forest land area near by the sanctioned lease of respondent no. 09 (Annexer-01 survey report).

- In point no.-07 Petitioner complaint that respondent no. 09 has illegally encroached forest area under compartment No. 01, Kacch Karmank RF-759 for mining operations.

For above complaint team of team of revenue department and forest department conducted Joint survey (सीमांकन), there is no encroachment found in forest land area near by the sanctioned lease of respondent no. 09 (Annexure-01 survey report)

- In point no.-09 Petitioner complaint that respondent no. 09 (Annexure A-6) Petitioner complaint that respondent no. 09 remove 100mtr. plantation fence.

Above complaint is totally wrong, according to records available of plantation 100 hectare in RF-759 Beet Janardanpur (2016-17 to 2020-21), There is no provision of fence in sanctioned project and also not in measurement book of that project. (Annexure-02)

- In point no.-09 Petitioner complaint that respondent no. 09 mine in forest land depicted in photographs annexure-A-7 page 34 to 41

After examine block map of RF-759 and survey report of joint inspection of team of revenue department and forest department (सीमांकन) GPS given in annexure-A-7 page 34 to 41 are outside the forest boundary. (Annexure-03)

अतः प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- ब्लॉक मैप एवं सर्वे रिपोर्ट उपरोक्तानुसार

  
वन परिक्षेत्राधिकारी  
वन परिक्षेत्र सतना

109


पृष्ठा. क्रमांक/  
प्रतिलिपि :-

सतना, दिनांक/

प्राप्त दि:

1. वनमण्डलाधिकारी सतना की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. उप वनमण्डलाधिकारी सतना की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

  
वन परिक्षेत्राधिकारी  
वन परिक्षेत्र सतना

105

स्थल पंचनामा

मान दिनांक 09/08/2026 को श्रीमान महवीलदास मधेदेव  
 महवील रामपुर बासिलान के आदेशानुसार ग्राम रामनगर  
 वृत्त: दिबोटा श्री शाशी नं. 1344 के सीमा निधारण  
 बाबत गठित दल आ.प्र. ए. नि. दिबोटा, पठ 80 मही,  
 पठ 80 जगुण, पठ 80 चोलासी, पठ 80 रघुनाथपुर एवं  
 पठ 80 खुट्टा द्वारा एवं वन परिशेष बल्यक सज्जनपुर,  
 जीट गार्ड जनार्दनपुर तथा बरहदी लुक्के जग पंचानो  
 की उपस्थित में किया गया जिसमें पाया गया कि ग्राम  
 रामनगर की आ. नं. 1344 के वर्तमान रकबा के छिदी  
 भी बराक में वन भूमि दर्ज नहीं है जबकि मौके के आ. नं.  
 1344 के अंदर वनभूमि स्थित है। मौके के वनविभाग  
 के परिशेष बल्यक द्वारा वनविभाग का नक्शा प्रस्तुत  
 किया गया जिसकी जांच की जाकर मौके के मुहूर्त की गई।  
 वन नक्शा अनुसार वनभूमि मौके के सभी पाई गई वन-  
 भूमि की सीमा के अंदर कोई भी उत्खनन कार्य नहीं पाया  
 गया। वनभूमि की सीमा के अतिरिक्त आ. नं. 1344 के  
 दर्ज भूमिलेख भूमिस्वामी अपने एक लिखानुसार नक्शा है  
 पंचनामा मौके के तैयार किया गया एवं उपस्थित  
 पंचानो के हस्ताक्षर किए गए।

श्रीमान दिबोटा  
CA Mbuji Dival

प्रमाणित  
प.स. रामनगर  
01/08/26

अ.प्र. ए. नि. दिबोटा  
पठ 80 मही

जगुण  
जीट गार्ड पंचानो

खुट्टा  
चौलासी

रघुनाथपुर  
01/08/26

बल्यक  
सज्जनपुर

महवीलदास मधेदेव

इशजीत

अंकित

अ.प्र. ए. नि. दिबोटा  
पठ 80 मही

महजूर

रजनी



कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र, सतना (म0प्र0)

कमांक /

शतना, दिनांक /

प्रति

वन संरक्षक  
वन मण्डल सतना

द्वारा :- उप वन मण्डलाधिकारी, उप वन मण्डल सतना

विषय:- भांग संख्या 10-2406-01-0101-7882 व्ही-12-000 कार्य आयोजना क्रियान्वयन हेतु भौतिक लक्ष्य का आवंटन।

संदर्भ:- आपका पत्र कमांक 4747 दिनांक 06.06.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के पालन में अनुरोध है कि वन परिक्षेत्र सतना अंतर्गत आवंटित भांग संख्या 10-2406-01-0101-7882-व्ही-12-000 कार्य आयोजना क्रियान्वयन वृक्षारोपण रोपण का प्रस्ताव तैयार किया जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

क्र0	कार्य का विवरण	स्थल	राशि
1	भांग संख्या 10-2406-01-0101-7882-व्ही-12-000 कार्य आयोजना क्रियान्वयन वृक्षारोपण वर्ष 2016-17 से 2021-22	बीट जनार्दनपुर कक्ष क0 आर.759 रकबा 100.000 हेक्टेयर	6628736.00
		योग:-	6628736.00

संलग्न :- वृक्षारोपण का प्रस्ताव एवं

चिन्हित मानचित्र तीन-तीन प्रतियों में

  
वन परिक्षेत्राधिकारी  
वन परिक्षेत्र सतना

①

क्र.	विवरण	दिनांक/विवरण के मुताबिक	समाप्ति/रेट	कुल राशि	कुल प्रमाण	दिनांक
01	वितरण एकाई सी रोड कु. आदिवासी 5/10 सुविधा वसा. समिपार रुड़ अफ 11 सी. ए. टी. निर्माण कार्य	20/06/23 से 22/06/23	85 मार्ग 0.371	18921.00	कुल 17 नफ 67 MP	18/06/23
02	वितरण एकाई सी राफ रेखा वन बरि 20/06/23 से 5/10 राफ रेखा वन सा. 0 किराए रुड़ अफ 16 नफ 1 सी. ए. टी. निर्माण कार्य सी. ए. टी. एतार्दिनय कस. कु. RE-757	20/06/23 से 22/06/23	85 मार्ग 0.371	18921.00	कुल 17 नफ 67 MP	18/06/23
03	वितरण एकाई सी रोड कु. आदिवासी 5/10 सुविधा वसा. समिपार रुड़ अफ 16 1 सी. ए. टी. वी निर्माण कार्य	23/06/23 से 25/06/23	85 मार्ग 0.371	18921.00	कुल 17 नफ 67 MP	18/06/23
04	वितरण एकाई सी राफ रेखा वन 5/10 राफ रेखा वन सा. 0 कीट रुड़ अफ 16 नफ 1 सी. ए. टी. निर्माण कार्य	28/06/23 से 25/06/23	85 मार्ग 0.371	18921.00	कुल 17 नफ 67 MP	18/06/23
05	वितरण एकाई सी रोड कु. आदिवासी 5/10 सुविधा वसा. 0 समिपार रुड़ अफ 16 11 सी. ए. टी. निर्माण कार्य	26/06/23 से 28/06/23	85 मार्ग 0.371	18921.00	कुल 17 नफ 67 MP	18/06/23

101

(2)

66	बिबरद उकाद श्री राफ येलावन साकेर ४१० राफ सजावन सा० कीकर खंडं शस्य १६ नका । सी. पी. टी. निर्माय कार्य	२५/०६/२३ से २६/०६/२३	४६ मती. ३७१	०.६०	१८९२१.००	-१०-	<del>मती. ३७१</del>
67	बिबरद उकाद येलावन शासिकी ४१० सुदधीन सा. सजावन सा. शस्य १६। सी. पी. टी. निर्माय कार्य	२५/०६/२३ से २६/०७/२३	४६ मती. ३७१	०.६०	१८९२१.००	-१०-	<del>मती. ३७१</del>
68	बिबरद उकाद श्री राफ येलावन सा. सजावन सा. सजावन सा. सजावन सा. शस्य १६। सी. पी. टी. निर्माय कार्य	२५/०६/२३ से २६/०७/२३	४६ मती. ३७१	०.६०	१८९२१.००	-१०-	<del>मती. ३७१</del>
69	बिबरद उकाद श्री येलावन साकेर ४१० शासिकी सा. सजावन सा. सजावन शस्य १६। सी. पी. टी. निर्माय कार्य	०१/०७/२३ से ०२/०७/२३	४६ मती. ३७१	०.६०	१८९२१.००	-१०-	<del>मती. ३७१</del>
70	बिबरद उकाद श्री राफ येलावन साकेर ४१० राफ सजावन सा० कीकर खंडं शस्य १६ नका । सी. पी. टी. निर्माय कार्य	०२/०७/२३ से ०५/०७/२३	४६ मती. ३७१	०.६०	१८९२१.००	-१०-	<del>मती. ३७१</del>

(10)

(3)

11	निराद रकम श्री रमेशकुमार शर्मादेवली 5/0 सुदरनी रकम 16 नकद 1 श्री. एच. पी. डी. निराला	05/07/23 से 07/07/23 तक	457 6.60 मार्ग 371	18921.10 57MP	
12	निराद रकम श्री राहुलदेवराज शर्मा श्री. राहुलदेवराज सा. कौशिक रकम श्री. 16 नकद / श्री. एच. पी. डी. निराला	05/07/23 से 07/07/23 तक	457 6.60 मार्ग 371	18921.10 57MP	
13	निराद रकम श्री रमेशदेवराज रमेशकुमार शर्मादेवली 5/0 सुदरनी रकम 16 नकद 1 श्री. एच. पी. डी. निराला कार्य	08/07/23 से 10/07/23 तक	457 6.60 मार्ग 371	18921.10 57MP	
14	निराद रकम श्री राहुलदेवराज शर्मा 5/0 रकम सुदरनी 16 नकद श्री. एच. पी. डी. निराला	08/07/23 से 10/07/23 तक	457 6.60 मार्ग 371	18921.10 57MP	
15	निराद रकम श्री रमेशकुमार शर्मादेवली 5/0 सुदरनी रकम 16 नकद 1 श्री. एच. पी. डी. निराला	11/07/23 से 13/07/23 तक	457 6.60 मार्ग 371	18921.10 57MP	

(3)

(4)

16	विठ्ठल रमक सी राफ सेलाकेन स्टोकेट ४० राफ सेलाकेन सां० कीकिं खंन शंस्. (C नफर / सी. र्क. वी विगीन कर्क	11/07/23 से 13/07/23 से	४६२५१ मै०	०.६० ३७७	१३९२५.०० १०००००	१३/०७/२३ १३/०७/२३	
17	विठ्ठल रमक सी राफ सेलाकेन स्टोकेट ४० राफ सेलाकेन सां० कीकिं रमक शंस्. २३ नफर / सी. र्क. वी विगीन कर्क	14/07/23 से	५०२४० मै०	०.६०	३९७५.०० ३३३३	१४/०७/२३	
18	विठ्ठल रमक सी राफ सेलाकेन स्टोकेट ४० राफ सेलाकेन सां० कीकिं रमक शंस्. २३ नफर / सी. र्क. वी विगीन कर्क	14/07/23 से १५/०७/२३ से	९७२५५ मै०	०.६०	२२६०००.०० ५१०००	१५/०७/२३ १५/०७/२३	
19	विठ्ठल रमक सी राफ सेलाकेन स्टोकेट ४० राफ सेलाकेन सां० कीकिं रमक शंस्. २३ नफर / सी. र्क. वी विगीन कर्क	14/11/23 से १५/११/२३ से	४५२२५ मै०	०.६०	१९२७६.५०	१५/११/२३ १५/११/२३	

112

3

२०	विठ्ठलराव व्हाडी वी. विठ्ठल वी. वी. २८/११/२०२३	४५२५	०.६०	१९२७३०	शुक्रवार
	५० बुधवार सा. देवराज व्हाडी ०५/१२/२०२३	सा.			५० बुधवार
	शुक्रवार सा. देवराज वी. वी. २४				
	विठ्ठल व्हाडी				
२१	विठ्ठल व्हाडी वी. विठ्ठल वी. वी. ०६/१२/२०२३	४५२५	०.६०	१९२७३०	-१०-
	५० बुधवार सा. देवराज	सा.			
	दिवस शुक्रवार ०५				
	५१ वी. वी. वी. विठ्ठल व्हाडी				

113

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र, सतना (म०प्र०)

क्रमांक /

सतना, दिनांक /

प्रति

वन संरक्षक  
वन मण्डल सतना

द्वारा :- उप वन मण्डलाधिकारी, उप वन मण्डल सतना

विषय:- मांग संख्या 10-2406-01-0101-7882 व्ही-12-000 कार्य आयोजना क्रियान्वयन हेतु भौतिक लक्ष्य का आवंटन।


संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 4747 दिनांक 06.06.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के पालन में अनुरोध है कि वन परिक्षेत्र सतना अंतर्गत आवंटित मांग संख्या 10-2406-01-0101-7882-व्ही-12-000 कार्य आयोजना क्रियान्वयन वृक्षारोपण रोपण का प्रस्ताव तैयार किया जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

क्र०	कार्य का विवरण	स्थल	राशि
1	मांग संख्या 10-2406-01-0101-7882-व्ही-12-000 कार्य आयोजना क्रियान्वयन वृक्षारोपण वर्ष 2016-17 से 2021-22	बीट जनार्दनपुर कक्ष क्र० आर.759 रकबा 100.000 हेक्टेयर	662,87,36.00
		योग:-	6628736.00

संलग्न :- वृक्षारोपण का प्रस्ताव एवं

चिन्हित मानचित्र तीन-तीन प्रतियों में

  
वन परिक्षेत्राधिकारी  
वन परिक्षेत्र सतना

119

# मध्य प्रदेश शासन वन विभाग



## परियोजना प्रतिवेदन

मांग संख्या 10-2406-01-0101-7882-व्ही-12-000 (मिश्रित वृक्षारोपण)

(स्थल- आर.759 बीट जनार्दनपुर)

परियोजना का नाम	-	मांग संख्या 10-2406-01-0101-7882-व्ही-12-000 (मिश्रित वृक्षारोपण)
स्थल का नाम	-	आर.759 बीट जनार्दनपुर
रकबा	-	100 हेक्टेयर
योजना अवधि	-	2016-17 से 2020-21
कुल लागत	-	6624736.00 रुपये

वन परिक्षेत्र - सतना

वन मण्डल - सतना

वन वृत्त - रीवा (मध्य प्रदेश)

115

भाग संख्या 10-2406-01-0101-7882-बी-12-000 (मिश्रित वृक्षारोपण) परियोजना  
प्रतिवेदन

## भाग 1 सामान्य विवरण

1	परियोजना का नाम	-	भाग संख्या 10-2406-01-0101-7882-बी-12-000 योजना
2	जिला	-	सतना
3	वन मण्डल	-	सतना
4	परिक्षेत्र	-	सतना
5	तहसील	-	सतना
6	विकास खण्ड	-	रामपुर बघेलान
7	विमान सभा क्षेत्र	-	रामपुर बघेलान
8	ग्राम पंचायत	-	रामपुर बघेलान
9	क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	-	बेला
10	क्षेत्रीय परिहार (डीट)	-	सज्जनपुर
2	स्थल विशेष जानकारी :-	-	जनार्दनपुर
1.	ग्राम वन समिति	-	डांडार
2	वन खण्ड एवं कक्ष क्रमांक	-	सतरी, आर0 - 759
3	कक्ष का कुल रकबा	-	344.944 हे0
4	कार्य वृत्त	-	वृक्षारोपण
5	उपचार श्रेणी/पातन श्रेणी	-	डिबडरा
6	उपचार इकाई/कूप क्रमांक एवं ड्यू वर्ष	-	VIII
7	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	-	45 कि0मी0
8	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण	-	निरंक
9	प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण	-	निरंक
10	गठित समिति का प्रकार	-	ग्राम वन समिति
11	समिति का मुख्यालय	-	डांडार
12	समिति में सम्मिलित गांव	-	डांडार, सिजहटा, करगत
13	समिति के अध्यक्ष का नाम	-	श्री सुशील मिश्रा
14	परिहार रक्षक का नाम	-	श्री नरेन्द्र कुमार पयासी वनरक्षक
15	परिक्षेत्र सहायक का नाम	-	श्री अंजनी कुमार पटेल वनपाल
16	समिति के सदस्यों की जानकारी	-	
3	समाचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना) :-	-	
	क्षेत्रीय	-	समतल
	समाचार	-	
		-	निरंक
		-	अच्छी

(घ) भू-क्षरण		सागाना
4. घट्टानों का विवरण	-	शेप्य रछोग
5. गिट्टी का प्रानर	-	गुलर्ष मुश्गागुमल, कनारीली
6. औरत चारिक चर्पा	-	1100 मि.मी.
7. नरग गिट्टी का क्षेत्र (हे०)	-	00.00 हेक्टयर
8. कडी गिट्टी का क्षेत्र (हे०)	-	40.00 हेक्टयर

#### 4. वन क्षेत्र का विवरण :-

1. पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	-	100 हे०
2. चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	-	निरंक
3. विकृत बांस का क्षेत्र	-	निरंक
4. क्षेत्र जो पथरीला काटव वाला	-	0 हे०
5. प्राकृतिक रूप से कार्य अयोग्य क्षेत्र	-	0 हे०
6. जैविक दबाव	-	

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्याधिक	औसत	नगण्य
वन्यप्राणी	-	हैं	-
चराई	हैं	-	-
व्यक्ति	हैं	-	-

#### 5. योजना का उद्देश्य

- विलुप्त पौध प्रजातियों का रोपण कर संरक्षित करना।
- स्थानीय ग्रामीणों को निस्तार हेतु जलाउ लकड़ी उपलब्ध करना।
- क्षेत्रीय जनता को रोजगार के अवसर उपलब्ध करना।
- वृक्षारोपण कर प्रदूषण को कम करना।
- पौधों की सुरक्षा घन लिंक फेन्सिंग द्वारा कर उन्हें सुरक्षित करना।
- पौधा रोपण कर वन क्षेत्र की अतिक्रमण से सुरक्षा करना एवं ग्रामीणों को वन तथा वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना।
- पौधा रोपण कर भू-जल संरक्षण करना एवं वर्षा की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करना।
- खाली पडी वन भूमि को हरी-भरी करना।
- क्षेत्रफल

100 हेक्टयर

#### 6. उम्रकार कार्यों का संक्षिप्त विवरण :-

1. कट वैक का क्षेत्र	-	0 हे०
2. वृक्षारोपण का क्षेत्र	-	100 हेक्टयर
3. भू-जल संरक्षण का क्षेत्र	-	0 हेक्टयर
4. दीज बुवाई का क्षेत्र	-	0 हेक्टयर

117

क्र. संख्या	विवरण	प्रमाण
7.	रोपणी का नाम जहाँ पीछे रोपण किया जायेगा	अनुसंधान विभाग रोपणी समन्वयक या अन्य
8.	रोपणी से रोपण स्थल की दूरी	प्र. 100-100 कि.मी. / विस्तृत दूरी - 1 कि.मी.
9.	सिंचाई का विवरण	विवरण
10.	प्रति हे० पीछे की संख्या	
1.	प्रति हे० सी.बी.ओ. से प्राप्त होने वाले पीछे की प्रस्तावित संख्या	- 0
2.	क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 से.मी. से अधिक)	- 0
3.	क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पीछे (20 से.मी. से कम)	- 0
4.	रोपण से प्राप्त होने वाले पीछे की प्रस्तावित संख्या	- 1440
5.	कुल योग	- 1440 पीछे प्रति हेक्टयर
11.	योजना की अवधि	2016-17 से 2021-22
12. 1.	योजना पर होने वाला संभावित व्यय	66278836.00 रुपये
2.	प्रति हेक्टयर व्यय	66287.00 रुपये
13.	अन्य विवरण (जी०पी०एस० लोकेशन)	N-24° 30' 33.5" E-081° 56' 00.5" N-24° 30' 40.2" E-081° 56' 36.5" N-24° 30' 21.0" E-081° 56' 00.7" N-24° 30' 19.5" E-081° 56' 36.2"

भाग- 2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल के समस्त आंकड़ों का संग्रहण मेरे द्वारा स्थल भ्रमण कर किया गया है।

(नरेन्द्र कुमार पगारी)

वन रक्षक बीटगाई जनार्दनपुर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण कर संग्रहित आंकड़ों का सत्यापन एवं मिलान किया गया एवं उपचार मानचित्र तैयार किया गया।

(गंजनी कुमार पटेल)


(गंजनी कुमार पटेल)

वनपाल परिक्षेत्र सहायक राजनपुर

118

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का नैरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्य/वृक्षारोपण के अन्व है।

  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
वन परिक्षेत्र रातना

उप वन मण्डलाधिकारी  
उप वन मण्डल रातना

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का नैरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्य/वृक्षारोपण के अन्व है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुसंधान की जाती है।

वन संरक्षक  
वन मण्डल रातना (न०प्र०)

अनुमोदित  
सकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ द्वारा जारी की गई।

मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त रातना (न०प्र०)

119

भाग संख्या 10-2406-01-0101-2002-सी-12 000 कार्य आयोजना का विमानमन  
 आय का विस्तृत प्रामाण्य

भाग-1 वित्तीय वर्ष प्रथम वर्ष भूमि रैगिडी वर्ष 2016-17 (गजदूरी की दर 263.00)

वर्ष का विवरण	भाग नं० मात्रा	मन संरक्षक शीमा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि में)	दर प्रति इकाई	कुल मानव दिवरा	दर प्रति मानव दिवरा	योग (रु में)	विमान
1	2	3	4	5	6	7	8
(अ) सर्वे एवं सीमांकन (हे०)	4	3.00	प्रति कि०मी०	14.4	263.00	3787	
संपन्न मानचित्र बनाना	100	0.45	प्रति हे०	45	263.00	11835	
क्षेत्र साफाई (खरपतवार/लेन्टानादि प्राचुरादित क्षेत्र में)							
क्षेत्र की समस्त अनुपयोगी झाड़ियों को काटना, एकत्र करना एवं जलाना	80	4.00	प्रति हे०	320	263.00	84160	
क्षेत्र तैयारी कार्य							
गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट अंतराल 2X2 मी., 3X2 मी., 4X4 मी. पर	14000	2.50	प्रति हजार	360	263.00	94680	
रोपण हेतु गड्ढा खोदाई 100 हेक्टेयर क्षेत्र में							
(अ) साईज 30X30X30 सेमी	75000	3.00	प्रति सैकड़ा	2250	263.00	591750	
(ब) साईज 45X45X45 सेमी.	35000	5.00	प्रति सैकड़ा	1750	263.00	460250	
योग	110000					1052000	
अभियांत्रिकीय कार्य							
A गटर मार्वोस्टिंग निर्माण	2						
अन्य व्यय जैसे वॉर्ड निर्माण, चूना, रस्सी, मेरू, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि एवं अन्य आवश्यक व्यय					LS	200000	
					LS	35000	
कुल योग :-						1481462	
प्रति हेक्टेयर व्यय (रूपये में)						14815	

भाग-2 वित्तीय वर्ष प्रथम रोपण वर्ष 2016-17 (गजदूरी की दर 263.00)

1	रोपणी कार्य						
2	पौधों का परिष्करण (गड्ढा) (10)						
	पीपल, तोड़िया / अनालीडियम कार्य	144000	4.00	प्रति हजार	576	263	151488
	(अ) टी / ई कर द्वारा परिष्करण	144000	3.00	प्रति पौधा रु			432000
	(ग) सिस्कांडा द्वारा परिष्करण	144000	0.40	प्रति सैकड़ा	576	263	151488
3	रोपण कार्य						
	(अ) साईज 30X30X30 सेमी	75000	1.50	प्रति सैकड़ा	1125	263	295875
	(ग) साईज 45X45X45 सेमी	45000	1.00	प्रति सैकड़ा	630	263	165900
	योग	110000					461875
4	सापिन रुटशूट कार्य	34000	5.00				170000
	उपचार द्वारा सापिन रुटशूट कार्य	34000	0.30	प्रति सैकड़ा	1224	263	321852

120

निर्देश क्रमांक -

1	प्रथम निर्देश	1440000	1.25	प्रति रोगकांड	1000	263	473400
2	द्वितीय निर्देश	1440000	1.00	प्रति रोगकांड	1440	263	370720
1	खाद एवं कीटनाशक दवा का व्यय	1440000	LS				75000
2	गुंडाई के समय सांसायनिक खाद एवं कीटनाशक दवा का प्रयोग	1440000	0.50	प्रति रोगकांड	720	263	109360
7	सुदूर 9 माह 2 श्रमिक	270	1.00		270	263	142020
8	अन्य व्यय						15000
	योग :-						2310553
	प्रति हेक्टेयर व्यय						23106

• वर्ष का प्रति हेक्टेयर व्यय

38000  
 ज. प्र. परिषद् अधिकारी  
 ज. प्र. परिषद्, सतना

121

रुमा

रुमा

व्यय का विस्तृत प्रावकलन (द्वितीय वर्ष)

द्वितीय वर्ष रोपण पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव वर्ष 2017-18 (10 प्रतिशत मुद्दि के साथ पत्रद्वी की दर 2019-20)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षण सेवा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इगमई	कुल मानव दिवस	दर प्रति मानव दिवस	व्यय राशि (रु. में)	शिगान
2	3	4	5	6	7	8	9
रजनी व्यव (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	0	0.00	प्रति पौधा			0	
पुनरोपण हेतु पौधों का रोपण स्थल तक परिवहन (संख्या)	14400	3.00	प्रति पौधा			43200	
10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण	14400	1.50	प्रति सौ पौधा	216.00	306	66096	
निर्दाई कार्य:-							
1 प्रथम निर्दाई	144000	1.25	प्रति सौ पौधा	1800	306	550800	
2 द्वितीय निर्दाई	144000	1.00	प्रति सौ पौधा	1440	306	440640	
5 खाद एवं कीटनाशक दवा का कय	144000					70000	
6 खाद एवं कीटनाशक दवा का प्रयोग	144000	0.50	प्रति सौ पौधा	720	306	220320	
7 अग्नि सुरक्षा कार्य (6 मी. चौड़ी)	0	3.35	प्रति कि.मी.	27	306	8201	
8 सुरक्षा कार्य 12 माह 2 श्रमिक	360	1.00		360	306	220320	
9 अन्य व्यय						25000	
गोम :-						1644577	
प्रति हेक्टर पर व्यय						16446	

122

## व्यय का विस्तृत प्रावकलन (तृतीय वर्ष)

वित्तीय वर्ष रोपण पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव वर्ष 2019-20 (10 प्रतिशत वृद्धि के साथ गजपूरी की दर 337.00)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक शीमा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	दर प्रति मानव दिवस	व्यय राशि (रु. में)	रिमांक
2	3	4	5	6	7	8	9
अग्नि सुरक्षा कार्य (6 भी चौड़ी )	8	3.35	प्रति कि.मी.	27	337	9032	
सुरक्षा 12 माह 2 श्रमिक	360	1.00		360	337	242640	
अन्य व्यय	15					15000	
योग :-						266672	
प्रति हेक्टर व्यय						2667	

## व्यय का विस्तृत प्रावकलन (चतुर्थ वर्ष)

वित्तीय वर्ष रोपण पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव वर्ष 2019-20 (10 प्रतिशत वृद्धि के साथ गजपूरी की दर 370.00)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक शीमा द्वारा अनुमोदित दर (मा.दि. में)	दर प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	दर प्रति मानव दिवस	व्यय राशि (रु. में)	रिमांक
2	3	4	5	6	7	8	9
अग्नि सुरक्षा कार्य (6 भी चौड़ी )	8	3.35	प्रति कि.मी.	27	370	9916	
सुरक्षा 12 माह 2 श्रमिक	360	1.00		360	370	266400	
अन्य व्यय	15					2642	
योग :-						278958	
प्रति हेक्टर व्यय						2790	

*Alwa*  
 वन विभाग, परिशिष्टाधिकारी  
 सतना, प्रशिक्षण सतना

125



भाग - 4

प्रावकल्प के अनुसार धाम का गीशमारा

वर्ष	कार्य का विवरण	मजदूरी दर (प्रति वर्ष 10% की वृद्धि के साथ)	राशि रु०	दिवेद्वार	प्रति दिवेद्वार धाम	दिनांक
2	3	5	6	7	8	9
2016-17	भूमि तैयारी एवं रोपण	263.00	3800015	100	38000	
2017-18	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	306.00	1644577	100	16446	
2018-19	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	337.00	266672	100	2667	
2019-20	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	360.00	278958	100	2790	
2020-21	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	407.00	303948	100	3039	
2021-22	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	448.00	334566	100	3346	
	योग :-		6620736		66207	

*[Signature]*  
परिदेवाधिकारी  
परिदेव सतना

उप वन मण्डलाधिकारी  
उप वन मण्डल सतना


प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंरा के साथ प्रेषित है।

वन संरक्षक  
वन मण्डल सतना


प्रस्तावित राशि रुपये 7250000.00 अनुमोदित।

मुख्य वन संरक्षक,  
सीमा वृत्त सीमा (गोप्रो)

125



... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..



...	...
...	...
...	...
...	...

... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..

127

**Photographs taken during Joint Inspection on dated  
18/03/2026**





